Wednesday, 27 July, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

Preservation
Fumigated On 30-12-83
Parliament Library

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1129 Ai LS-A

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—3, बुधवार, 27 जुलाई, 1966/5 श्रावण, 1888 (शक)

No. 3—Wednesday, July 27, 1966/Sravana 5, 1888 (Saka)

निधन संबंधी उल्लेख		OBITUARY REFERENCE	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या			
S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
61.	बेरोजगार लोगों का बीमा	Insurance of Jobless People	2—5
62.	पाकिस्तानी जासूस	Pakistani Spies	5—9
63.	भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान	Indo-U.S. Education Foundation	9—13
64.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का माध्यम	Media for U.P.S.C. Examination	13—18
65.	सम्पर्क स्थापित करने वाले पुरुष तथा स्त्रियां	Contactmen and Contactwomen	18—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
66.	पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Journalists	22
67.	दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों की हड़ताल	Strike by Telephone Operators in Delhi	22–23
68.	गैर-सरकारी (प्राइवेट) शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विधान	Legislation to control Private Educational Institutions	23–24
69.	मंगलौर मे उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant, Mangalore	24
70.	राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Political Parties	24–25
71.	उद्योगों में स्वचालित मशीनें लगाना (ओटोमेशन)	Automation in Industries	25
72.	पाटस्कर प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया	Government's Reaction to Patasker Report	26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
73.	मनीपुर में नागाओं और मिजो लोगों द्वारा घुसपैठ	Infiltration by Nagas and Mizos in Manipur .	26–27
74.	हैदराबाद के निजाम द्वारा सम्पत्ति कर देने से इन्कार	Nizam of Hyderabad's refusal to pay Property Tax	27
75.	मिट्टी के तेल और हल्के डीजल तेल में आत्म-निर्भरता	Self-Sufficiency in Kerosene and Light Diesel Oil	27–28
76.	महाराष्ट्र और मैसूर के लिये सीमा आयोग	Boundary Commission for Maharashtra and Mysore	28–29
77.	इंडिया आफिस लाईब्रेरी	India Office Library	29
78.	आसाम में तेल निकालने के लिये रायल्टी	Royalty for Oil Exploration in Assam .	29–30
79.	उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Chief Minister of U.P.	30
80.	काश्मीर में पाकिस्तानी एजेन्ट	Pakistani Agents in Kashmir	30
81.	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	All-India Judical Service .	30–31
82.	कैरों हत्या कांड	Kairon Murder Case	31
83.	हमारी सीमा पर तस्करी	Smuggling on our Border	31
84.	कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा	Primary Education in Calcutta . .	32
85.	दिल्ली के पार्षदों (काउंसलर) की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of Delhi Councillors .	32
86.	तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की संयक्त रूप से खोज	Joint Exploration for Oil in Off shore Areas	33
87.	मनीपुर में उखरूल में संरक्षित क्षेत्र	Protected areas in Ukhrul in Manipur .	33–34
88.	विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम	Grades of University Teachers	34
89.	बिड़ला भवन, दिल्ली	Birla Bhawan, Delhi .	35
90.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षक	N.D.S. Instructors . . .	35

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

265.	श्रेणी 1 के पदों के लिये वैज्ञानिक कार्य	Class I Posts for Scientific Work . .	35
266.	यातायात नियमों का उल्लंघन	Traffic Rules Violation .	36

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
267.	दिल्ली प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases in Delhi Administration .	36
268.	पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing	36
269.	भारत में कला तथा तकनीकी कालेज	Arts and Technical Colleges in India .	36–37
270.	किराये की इमारतों में डाकघर	Post Offices in Rented Buildings .	37
271.	विक्रम तथा सागर विश्व-विद्यालयों में वित्तीय संकट	Financial Crises of Vikram and Saugar Universities	37
272.	अन्तर्राष्ट्रीय होकी टूर्नामेंट	International Hockey Tournament	37–38
273.	घाना के लिये शिक्षक (कोच) का पद	Coaching Assignment for Ghana	38
274.	केराकोट डाकघर (उत्तर प्रदेश) मे पार्सलों का गायब पाया जाना	Parcels found missing at Kerakot P.O. (U.P.) .	38
275.	बागानों के श्रमिक	Plantation Labour	39
276.	बेरोजगार स्नातक	Unemployed Graduates	39
277.	केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central University in Kerala	40
278.	केरल बन्द सम्बन्धी मामले	'Kerala Bandh' Cases .	40
279.	केरल में लम्बी सजायाफता कैदी	Long Term Prisoners in Kerala	40
280.	कालीकट में रात्रि-डाकघर	N.P.O. Kallicut	41
281.	प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre.	41
282.	केरल के स्कूलों में अवेतनिक शिक्षक	Honorary Teachers in Kerala Schools .	41
283.	सरकारी उपक्रमों में युद्ध सेवा वाले उम्मीदवार	War Service Candidates in Public Undertakings	41–42
284.	ब्रिटिश बागान मालिक का निष्कासन	Deportation of British Planter	42
285.	पूर्वी पाकिस्तान राइफलस् द्वारा गोली बारी	Firing by East Pakistan Rifles .	42
286.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान धार्मिक स्थानों को हुई क्षति	Damage to Religious places during Indo-Pakistan Conflict . . .	43

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
287.	पाकिस्तानी घसपैठ	Pakistani Trespassing .	43-44
289.	पाकिस्तान के साथ तार तथा टेलीफोन सम्पर्क	Telegraph and Telephone Link with Pakistan .	44
290.	दिल्ली अभिभावक शिक्षक परिषद्	Delhi Parents Teachers Council	44-45
291.	केन्द्रीय उच्च न्यायालय	Central High Court	45
293.	भारतीय पैट्रोलियम संस्था	Indian Institute of Petroleum	45-46
294.	मास्टर तारा सिंह के विचार	Master Tara Singh's Views	46
295.	पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Perto-Chemicals Complexes .	46
296.	शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Education Commission Reports	47
298.	सशस्त्र नागाओं द्वारा हमला	Attack by Armed Nagas	47-48
299.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल	Schools for Children of the Employees of Public Sector Undertakings . . .	48
300.	महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह	Birth Centenary Celebrations of Mahatma Gandhi	48
301.	हल्दिया तेल शोधन कारखाना	Haldia Refinery	49
302.	बेईमान ठेकेदार	Unscrupulous Contractors .	49-50
303.	आसाम और मनीपुर में तोड़-फोड़ करने की नागाओं की योजना	Naga Plan of Sabotage in Assam and Manipur	
304.	उत्तर बंगाल में विदेशी एजेन्ट	Foreign Agents in Northern Bengal	50
305.	चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट	Explosion of H-Bomb by China	50-51
306.	मिजो पहाड़ियों की स्थिति	Situation in Mizo Hills .	51-52
307.	मिजो विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये सरकारी कर्मचारी	Government officials captured by Mizo Rebels	52
308.	मिजो लोगों द्वारा अधजले करेन्सी नोटों का बदलवाया जाना	Exchange of Half-burnt Currency Notes by Mizos	52-53
309.	कार्यालय अभिस्थापन मित-व्ययिता	Office Orientation Economy .	53-54

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
310.	सीमा सुरक्षा पुलिस	Bordei Security Police . . .	54
311.	प्रशासनिक व्यवस्था में लाल फीताशाही	Red Tapism in the Administrative Machinery	55
312.	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (पी०) लिमिटेड से बैरलों का क्रय	Purchase of Barrels from M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd. .	55-56
313.	बरशेन घरेलू गैस का सम्भरण	Supply of Burshane Domestic Gas	56
314.	अम्बाला छावनी में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Ambala Cantt.	56
315.	विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श अधिनियम	Model Act for Universities .	57
316.	शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	57
317.	भारत रक्षा नियमों का प्रयोग	Use of D.I.R.	57-58
318.	रिक्शा चलाने का धंधा	Rickshaw Pulling	58
319.	मिजो तथा नागा विद्रोही	Mizo and Naga Rebels	59
320.	पंजाब सीमा आयोग	Punjab Boundary Commission	59
321.	गोआ का महाराष्ट्र में विलय	Merger of Goa with Maharashtra .	60
323.	गुप्त ट्रांसमिटर	Unlocated Transmitter . .	60
324.	विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध	Relations between Legislators and Administrators	60-61
325.	तकनीकी संस्थाओं के लिये अमरीकी ऋण	U.S.A. Loan for Technical Institutes	61
326.	तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा	Girls Education in Third Plan	61-62
327.	अध्यापकों का वेतन क्रम	Pay Scale of Teachers . .	62-63
328.	प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विश्व-विद्यालय	Central University in each State	63
329.	व्हिटले परिषद् योजना	Whitley Council Scheme	63
330.	राज्यों में प्राथमिक शिक्षा	Primary Education in States	64
331.	अपनी इच्छा से पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्ति	Voluntary Migrants	64-65
332.	श्रम कानून	Labour Laws	65

अता प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
333.	अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये रोजगार	Employment for Scheduled Caste Candidates .	66
334.	दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन सेट	Television Sets in Delhi Schools .	66–67
335.	पत्तन तथा गोदी कर्मचारी	Port and Dock Workers	67
336.	सेलेकशन ग्रेड पदों का बनाया जाना	Creation of Selection Grade Posts .	67
339.	जांच आयोग अधिनियम	Commission of Enquiry Act .	68
340.	गांधी हत्या काण्ड	Gandhi Murder Case . .	68
341.	कानपुर के एक व्यापारी के विरुद्ध आरोप	Charges against a Kanpur Businessman	68–69
342.	विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं	Health Services in Universities	69
343.	डाक तथा तार अधिकारियों के निवास टेलीफोनों का दुरुपयोग	Misuse of Residential Telephones of P & T Officers . . .	69–70
344.	आन्ध्र प्रदेश के अग्निकाण्ड से पीड़ित क्षेत्रों के लिये "केयर" तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता	Care & USAID Aid for the ravaged Area in Andhra Pradesh	70
345.	डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों के लिये टेलीफोन	Telephones to P. & T. Officers	71
346.	राज्यों तथा केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार	Correspondence between States and the Centre	71–72
347.	पौधों के रोगों की रोकथाम के लिये नये प्रतिजैविक पदार्थ	New Anti-biotics for controlling Plant Diseases	72
348.	स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास	History of Freedom Movement . . .	73
349.	प्रामाणिक (स्टेण्डर्ड) इतिहास की पाठ्य पुस्तकें	Standard History Text Books . .	73–74
350.	दिल्ली में गुण्डागर्दी	Goonda Menace in Delhi .	74
351.	दिल्ली में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता	Relief to Political Sufferers in Delhi .	74–75

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Nos.
352.	श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम	Workers' Education Programme	75
353.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme	75–76
354.	नागालैंड मनीपुर आदि के छात्रों का अन्तर्राज्यीय रहन-सहन	Inter-State Living by Students of Nagaland, Manipur etc.	76
355.	दिल्ली की बस्तियों में मकानों की बिक्री	Sale of Houses in Delhi Colonies	76
356.	नागा विद्रोहियों द्वारा व्यक्तियों का अपहरण	Abduction of Persons by Naga Hostiles	77
357.	विदेशी शराब का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Liquor	77
358.	दिल्ली म हौज काजी के डाक घर में जालसाजी	Fraud in Hauz Kazi P.O. Delhi	77–78
359.	कास्टिक सोडे का दाम	Price of Caustic Soda	78
360.	मंदसौर में प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का पाया जाना	Relics of Old Civilization Found in Mandsaur	78
361.	इंजीनियरिंग कालेज	Engineering Colleges	78–79
362.	सोने के डाक पार्सलों में पत्थर	Stones in Post Parcel of Gold	79
363.	पर्वतीय क्षेत्र विकास संस्था	Hill areas Development Institute	79–80
364.	सीमावर्ती राज्यों में भारत रक्षा नियम	D.I.R. in Border States	80
365.	संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से गोआ उर्वरक परियोजना	Goa Fertilizer Project in Collaboration with U.S.A.	80–81
366.	पंजाबी कवि श्री नन्द लाल की मृत्यु	Death of Shri Nand Lal, a Punjabi Poet	81–82
367.	उत्तर भारत में तेल शोधन कारखाना	Refinery in Northern India	82
368.	शिक्षा का प्रारम्भिक स्तर पर बर्बादी	Wastage of Education at Elementary Stage	82–83
369.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स प्रोजैक्ट	Hindustan Organic Chemical Project	83
370.	अनधिवासियों (स्क्वटर्स) का पुनर्वास	Rehabilitation of Squatters	83–84

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
371.	कवि नजरूल इस्लाम की पुस्तकें	Books of Poet Nazrul Islam .	84
372.	आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों की रिहाई	Release of Life-term Prisoners	84
373.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट)	Re-imbursement of Medical Expenses	84–85
374.	टोकियो में पुस्तक विशेषज्ञों का सम्मेलन	Conference of Book Experts in Tokyo	. 85–86
375.	पाकिस्तानियों द्वारा डकैतियां	Dacoities by Pakistanis	. 86–87
376.	बम्बई में टैलीफोन	Telephone Connections in Bombay	. 87–88
377.	फैंजाबाद डाकघर से धन का गायब हो जाना	Money found missing at Faizabad P.O. .	88
378.	गंगानगर में तस्करों की गिरफ्तारी	Arrest of smugglers at Ganga Nagar .	88–89
379.	टीपू सुल्तान के किले का बेचा जाना	Sale of Fort of Tipu Sultan .	89
380.	वित्तीय नियंत्रण का प्रत्यायोजन	Delegation of Financial Control	89-90
381.	विदेश से स्वदेश लौटने वाले भारतीय	Indian Migrants from Abroad	90
382.	उच्चत्तर शिक्षा	Higher Education . .	90–91
383.	संसद् के सचेतकों द्वारा संसदीय लोकतंत्र का अध्ययन	Study of Parliamentary Democracy by the Whips in Parliament	91
384.	एक नागा युवक की गिरफ्तारी	Arrest of Naga Youth . .	91
385.	युद्ध विराम रेखा के साथ सीमा पट्टी	Border Belt along Cease-fire Line .	92
386.	पश्चिमी बंगाल सरकार को देय पुनर्वास की राशि	West Bengal Rehabilitation dues	92–93
387.	कच्चे तेल के आयात पर अतिरिक्त बट्टा (डिस्काउन्ट)	Additional Discount on Imports of Crude Oil .	93
388.	एशियाई-अफ्रीकी वैज्ञानिकों का सम्मेलन	Conference of Asian-African Scientists .	93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
389.	मदुरै में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की डिस्पैंसरियां	E.S.I. Dispensaries in Madurai	94
390.	तकनीकी और विज्ञान की पुस्तकों का आयात	Import of Techanical and Scientific Books	94
391.	लमडिंग विस्फोट	Explosion in Lumding .	94–95
392.	वार्धक्यता की आयु	Age of Superannuation	95
393.	केरल के प्रशिक्षण कालेजों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Report on Training Colleges in Kerala	95
394.	गाजीपुर का मुख्य डाकघर	H.P.O. Ghazipur	95–96
395.	आसाम सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pak. Infiltration on Assam Border .	96
396.	रुपये के अवमुल्यन के पश्चात् विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Price of Scientific Books after Devaluation	96–97
397.	अन्दमान म घसपैठ	Infiltration in Andamans ...	97
398.	केरल में सरकारी कालेजों के प्रोफसर	Staff of Government Colleges Kerala	97
399.	रेडियो लाइसेंस	Radio Licences	98
400.	दूर मुद्रण (टेलीप्रिंटर) सेवा	Teleprinter Service	98–99
401.	नेफा प्रशासन	NEFA Administration	99
402.	श्रीनगर में टेलीफोन	Telephone connections in Srinagar.	99
403.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक	Aligarh University Bill	99–100
404.	पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैनों का हरिदासपुर सीमा के इस पार आक्रमण	Attack by East Pakistan Riflemen Across Haridaspur Border	100
405.	बस्तर कांड	Baster Incident	100
406.	दिल्ली में एक पुलिसमैनका अपहरण	Kidnapping of a Policeman in Delhi	100–101
407.	केन्द्रीय आर्थिक पुंज (सेंट्रल इकनामिक पूल)	Central Economic Pool	101
408.	केन्द्रीय सेवा में आई०ए०एस० पदालि में उड़ीसा का प्रतिनियुक्ति कोटा	Deputation quota of Orissa in I.A.S. Cadre in Central Service	101

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
409.	अगरतला में आम हड़ताल	General Strike in Agartala	101–102
410.	सैंट्रल कजोरा कोयला खान	Central Kajora Colliery	102
411.	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की नागरिकता	Citizenship of Displaced Persons in Tripura	102–103
412.	अगरतला डाक घर के लिये इमारत	Building for Agartala P.O.	103
413.	त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारी	Government Employees in Tripura	103
414.	उत्तर प्रदेश के उपकुलपत्तियों का सम्मेलन	Conference of U.P. Vice-Chancellors	104
415.	प्रति-व्यक्ति शुल्क	Capitation Fee	104
416.	विदेशों में शिक्षा	Education Abroad	105
417.	प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees on Deputation	105
418.	विशेष डाक टिकट	Special Postal Stamps .	105–106
419.	भोपाल में टेलीफोन एक्सचेंज	Bhopal Telephone Exchange	106
420.	"अपना व्यवसाय चुनो" अभियान	"Choose your Career" Campaign .	106–107
421.	पाकिस्तानी बम	Pak. Bombs	107
422.	सेवा-निवृति की आयु	Retirement Age .	107
423.	सेन्ट्रल सर्किल नागपुर का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of Central Circle, Nagpur	108
424.	रेलवे डाक सेवा, पटना की इमारत	R.M.S. Building, Patna	108
425.	ओंकार नाथ ठाकुर का इलाज	Treatment of Onkar Nath Thakur .	108
426.	आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये विश्वविद्यालय	University for Hill Districts of Assam	109
427.	पाकिस्तानी घुसपंठिये	Pak. Infiltrators .	109
428.	गुन्टूर में तेल निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey for Oil Deposits in Guntur.	110
429.	वालकाट द्वारा भाग निकलने का प्रयास	Walcott's attempt to Escape .	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
430.	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Refinery .	. 110
431.	कपड़ा मजूरी बोर्ड	Textile Wage Board	110-111
433.	विश्वविद्यालयों के लिये समान शिक्षा वर्ष	Uniform Academic year for Universities	111
434.	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्	All India Council of Sports .	111-112
435.	विशेष सूचना सेवा	Special Information Service . . .	112
436.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation for S.Cs. and S.Ts.	112-113
437.	डाक टिकटों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति	Foreign Exchange Earnings from Postal Stamps	113
438.	मद्रास के कालिजों में दाखिला	Admission in Colleges in Madras	113-114
439.	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Refinery	114
440.	चौथी योजना में नये विश्वविद्यालय	New Universities in Fourth Plan .	114 15
441.	महिला शिक्षा	Female Education	115
443.	लड़कियों की ट्यूशन फीस	Tuition Fee of Girls	115-116
444.	शरणार्थियों का शिविरों को छोड़कर चले जाना	Desertions by Refugees	116
445.	ज्वाला मुखी में खुदाई (ड्रिलिंग)	Drilling in Jawalamukhi	116
446.	त्रि-भाषायी सूत्र	Three Language Formula	116-117
447.	अकोककर (नॉन-कोकिंग) कोयले का प्रयोग	Use of Non-coking Coal	117
448.	निकोबार द्वीप समूह के सचिवालय से नक्शों की चोरी	Theft of Maps from Nicobar Islands Secretariat .	117-118
449.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह मे भ्रष्टाचार	Corruption in the Andaman and Nicobar Islands	118

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
450. अफगानिस्तान के लिये डाक के थैलों को स्वीकार करने से पाकिस्तान द्वारा इंकार	Refusal by Pakistan to accept Postal Bags for Afghanistan	118–119
451. दिल्ली में तार कर्मचारियों द्वारा तत्काल हड़ताल	Lightening Strike by Telegraph Staff, Delhi	119
452. सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Government Servants	119–120
453. इन्द्रावती बेसिन में कागज कारखाना	Paper Plant at Indravati Basin	120
454. जगदलपुर में कताई मिल	Spinning Mill at Jagdalpur	120
455. गृह-कार्य मंत्रालय मे वैज्ञानिकों के पद	Scientific Posts in the Ministry of Home Affairs	
ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices (Query	121
सभा-पटल पर रख गये पत्र	Papers laid on the Table	121—125
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committees on Private Members Bills and Resolutions	126
नब्बेवां प्रतिवेदन	Ninetieth Report	126
महाराष्ट्र मैसूर सीमा प्रश्न पर जांच आयोग के बारे में याचिका	Petition *re.* Inquiry Commission on Maharashtra Mysore boundary question	126
हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में	Re. Recent Railway Accidents	126
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	126
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	Forty-eighth Report	
सूती वस्त्र (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क)–(निरसन) विधेयक पुरःस्थापित	Cotton Fabrics (Additional Excise Duty) (Repeal) Bill-Introduced	126–127
देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव वाद-विवाद-स्थगित	Motion *re.* present Economic Situation in the country Debate adjourned	127—130

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सदस्यों के निलम्बन के रद्द किये जाने के बारे में	Re. Revocation of Suspension of Members	130
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member .	130
(श्री खाडिलकर)	(Shri Khadilkar)	130
व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक	Merchant Shipping (Amendment) Bill	130
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव श्री चे० मु० पुनाचा	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha Shri C.M. Poonacha	132
खंड 2 से 39 नये खंड 40 और 41 तथा खंड 1	Clauses 2 to 39, new clauses 40 and 41, and clause 1	132
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended .	132—135
बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक	Electricity (Supply) Amendment Bill	135
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	135—36
श्री कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	135-136
सभा का कार्य	Business of the House .	137-38
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	138
श्री भूतलिंगम को ब्रूसल्स में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का राजदूत नियुक्त करने के सरकार के निर्णय का समाचार	Reported Decision of Government to appoint Shri S. Bhoothalingam as Ambassador in E.E.C. at Brussels	138-39

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 27 जुलाई, 1966/5 श्रावण, 1888 (शक)

Wednesday, July 27, 1966/Sravana 5, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि चौधरी हैदर हुसैन का लखनऊ में ता० 24 जुलाई, 1966 को 76 वर्ष की उम्र में दुखद देहान्त हो गया ।

चौधरी हैदर हुसैन 1949 से 1957 में भारतीय संविधान सभा, अन्तकालीन संसद तथा प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे । हम इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ ही संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करेगी ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान इस सभा के एक और मित्र चौधरी हैदर हुसैन की मृत्यु के बारे में उल्लेख करते हुये मुझे बड़ा दुःख है । उनका भारतीय संविधान सभा, अन्तकालीन संसद् तथा प्रथम लोक सभा से सम्बन्ध रहा है । चौधरी हैदर हुसैन संसदीय जीवन में सन् 1937 में आये थे । उस समय यद्यपि वह एक सफल वकील थे परन्तु फिर भी उनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य सामाजिक संगठनों से रहा था । वह उत्तर प्रदेश विधान सभा में निर्वाचित होकर आए थे जिन संस्थाओं से उनका सक्रिय सम्बन्ध रहा है उनकी संख्या चालीस से भी ऊपर है । वह स्त्रियों की स्वतंत्रता के कार्य में सक्रिय रूप से लगे रहे तथा इस कार्य से सम्बद्ध सभी संस्थाओं के वे प्रेरणा स्रोत थे । वे विनम्र और मिलनसार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे तथा यही कारण था कि जहां कहीं भी वे रहे प्रसिद्ध हो गये ।

मुझे आशा है कि सभा इस मित्र की मृत्य पर शोक मनाने में मेरे साथ होगी । मैं आप से निवेदन करूंगा कि सभा की संवेदनायें संतप्त परिवार के सदस्यों को भेजी जायें ।

अध्यक्ष महोदय : सभा थोड़े समय के लिये अपना दुःख प्रकट करने को मौन खड़ी रहेगी ।

इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Written Answers to Questions

बेरोजगार लोगों का बीमा

+

*61. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री राम सेवक यादव : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री बागड़ी : श्री विभूति मिश्र :
श्री किशन पटनायक : श्री क० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये : श्री वी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री बेरोजगार लोगों के बीमे के बारे में 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1609 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों के लिये जो काम पर लगे हैं किन्तु जिनकी नौकरी छूट सकती है, बेरोजगार बीमा योजना आरम्भ करने के प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) अभी तक व्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am not asking a question of details in regard to principle. It is, therefore, desirable that the hon Minister should reply that on what principles Insurance of unemployed has been referred to in the report? Whether it has to be fixed on pay or income or on the ratio or percentage or cost of living ? If it is a percentage of income, how much it should be and if it is cost of living, how much of it should be given ? The hon. Minister may please let me know this and what is his reaction to that in principle.

Shri Shah Nawaz Khan : I have just now stated that it is a draft of the scheme and is still under consideration.

Mr. Speaker : The first thing he asks is that as a matter of policy has it been accepted that arrangement would be made for according compensation to the jobless people?

Shri Shah Nawaz Khan : Principally this has been accepted. Secondly the whole scheme would be kept before the Standing Labour Committee. The General opinion is that all those employees who are insured and come under Employees Provident Fund and Employees State Insurance scheme, will first of all be absorbed in it and afterwards other categories would be accommodated.

Mr. Speaker : The question is while doing this whether it will be seen that whatever pay they get some percentage of it or fully it would be paid to them or they would be paid as much as is needed for making their both ends meet ? Have I put correctly ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Yes, Sir.

Shri Shah Nawaz Khan : The question to provide them facilities according to the pay they get will be considered.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, today this is your question you may elicit answer for this. Under consideration has no meaning.

Mr. Speaker : Dr. Saheb if the Government has not taken any decision on it..........

Dr. Ram Manohar Lohia : They are doing nothing.

Mr. Speaker : You may put another question now.

Dr. Ram Manohar Lohia: It is useless to put questions when such answers are being given. You may see that I asked a very simple question and my another question is also the same. I may humbly submit that these Ministers do not know anything regarding their departments.

Mr. Speaker : Can you throw some more light on this ?

Shri Shah Nawaz Khan : Final decision has not been taken on this so far.

Shri Madhu Limaye : What is the reason Shri Jagjiwan Ram is not present in the House even for answering such important questions ? He could have probably answered this. This is an important Department but the Minister is absent.

Dr. Ram Manohar Lohia : Please elicit answer in regard to principle if not regarding to details.

Mr. Speaker : You have said that your another question is also the same. He says that no more light can be thrown on this. Let me know what should I do ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Take that very action against the persons that side *i.e.* on Treasury Benches which you are taking against the persons on this side. Please ask them to leave the house for some time.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has said that details are being considered. I do not want the details but only the salient features of it. Secondly are they thinking about those employees also who will become jobless because they will come under the management of big industries ? Will those also be included ?

Mr. Speaker : He has already stated that all those employees would be included who come under Employees State Insurance Scheme and Employees State Provident Fund.

Shri Ram Sewak Yadav : What are its salient features ?

Shri Shah Nawaz Khan : No final decision has been taken on this so far.

Shri Yashpal Singh : May I know whether some amount has been allotted for according priority to those 85 percent village employees whose services are terminated after 8 or 6 months of their service and the amount Government will spend on this ?

Mr. Speaker : Another question is...............

Shri Yeshpal Singh : I would like to point out that priorities are everywhere accorded to cities only and not to villages.

Shri K. N. Tiwary : Have the Government conducted any survey as to what is the number of such employees and of what Category ?

Shri Shah Nawaz Khan : I have said there are 4.5 million employees under Employees Provident Fund. All of them are included in this Scheme.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I would like to know from the hon. Minister whether he has ever paid attention to the three Directive Principles regarding employment and unemployment in our constitution ? As in Section 39, it has been said that everybody should get employment. Section 41 pertains to the problem of unemployment and Section 45 relates to nourishment.

Mr. Speaker : This question is too long to be included in it.

Shri Madhu Limaye : Has attention been paid to these Directive Principles ? How long will these principles remain like God without any image or will these be given solid form and shape of a practical Government in five, ten or fifteen years ? Have you ever thought about this or are enjoying jokes with us.

अध्यक्ष महोदय : यह विस्तृत नीति विषयक प्रश्न है तथा अनपूरक प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जा सकता ।

Shri Madhu Limaye : Keeping this in view limited question may be answered. Answers may be given at least regarding three sections. All Directive principles need not be answered. Light may be thrown on these sections.

श्री कपूर सिंह : श्रीमान यह सभा किसी भी हालत में सरकार को सोचने को बाध्य नहीं कर सकती कि यह अनुचित है ।

Shri K. Bibhuti Mishra : Do the Government intend of implementing this scheme and of introducing it in villages also ?

Shri Shah Nawaz Khan: For the present there is no intention of introducing it in villages. As I have said that the whole scheme would be kept under the Labour Standing Committee in the next meeting and whatever is decided there action would be taken accordingly.

श्री श्याम लाल सर्राफ: इस प्रश्न से मुझे मालूम होता है कि इसका सम्बन्ध केवल उन्हीं कर्मचारियों से है जो बेकार हो सकते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि जो लोग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं यदि वे बेकार हो जाते हैं उन्हें इस योजना के अन्तर्गत क्षति-पूर्ति दी जाती है तथा जो श्रम कानूनों के अन्तर्गत आते हैं तथा करखानों में काम करते हैं और बेकार हो जाते हैं, क्या वे भी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : सभी औद्योगिक कर्मचारियों की छटनी और जबरी छुट्टी के फायदों के अधिकार हैं । इस योजना के अन्तर्गत जो फायदे हैं उन फायदों के अतिरिक्त होंगे जिसका अभी निर्णय होना है तथा जो 6 महीनों के औसत वेतन के बराबर होगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि यह जबर छुट्टी तथा छटनी के फायदों के अतिरिक्त फायदा होगा । क्या सरकार जानती है कि बहुत सी स्थितियों में खासकर मिलों को बन्द करने की स्थिति में मालिक कर्मचारियों को हमेशा किसी न किसी बहाने से इन फायदों से वंचित रखते हैं ।

श्री शाह नवाज खां : यदि कोई शिकायतों सम्बन्धी विशेष मामले होते हैं, तो इस सम्बन्ध में एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत इन विवादों और शिकायतों को निबटाया जाता है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : प्रस्ताव से यह मालूम होता है कि यह योजना बेरोज़गारी के समय में उन लोगों पर लागू होगी जो रोज़गार में लगे हुये हैं तथा कुछ समय के लिये बेकार हो गये हैं। क्या यह योजना उन लाखों कर्मचारियों पर भी लागू होगी जिनको आकस्मिक कर्मचारियों की संज्ञा दी जाती है तथा कुछ समय के लिये जो बेकार हो जाते हैं ?

Shri Gulshan : Have the Government thought of taking any decision in respect of including farm labourers in this Scheme ?

Mr. Speaker : They are not included in this Scheme. Next question.

Shri Bagri : How is my name dropped, Mr. Speaker . .

Mr. Speaker : It is left only this time.

Shri Bagri : It is always left and this is only my misfortune.

Mr. Speaker : It is not done intentionally.

PAKISTAN SPIES

\+

*62 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Raghunath Singh :
Shri Yashpal Singh :
Shri Subodh Hansda :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Jashvant Mehta :
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri P.C. Borooah :
Shri Rameshwaranand :
Shri S.C. Samanta :
Shri M.L. Dwivedi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Jullundur, there is a centre of groups of Pakistani spies;

(b) whether it is also a fact that one dozen persons have been arrested by the police ;

(c) if so, the number and names of the Indian and Pakistani nationals separately amongst them; and

(d) the particulars of the articles recovered from them and the action taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b). In March, 1966, a few persons, including a Pak national, were arrested at Jullundur on charges of espionage for Pakistan.

(c) and (d). The case is still under investigation and it will not be in the public interest to disclose further details at this stage, as such disclosures are likely to affect the course of investigation.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What material has been captured from those who have been arrested ? Have some weapons and papers been found from those who have been arrested for espionage ? If so, what types of weapons and papers were those ?

Shri Hathi : I am not in a position to tell you all that has been found with the Pakistani spies but I can say this much that no weapons have been found.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have these arrested persons disclosed on enquiry that the spies of their group are spreading in some more places in the Country ? If so, what action is being taken for arresting them by the Government ?

Shri Hathi : We cannot disclose the whole thing now, because as the hon. member has stated that certain clues have been found and provided we do not disclose them, it would be easier to detect them otherwise it is very difficult.

श्री प्र० चं० बरुग्रा : जालन्धर में पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर ही नहीं ग्रपितु ग्रासाम में पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भी जासूस क्रियाशील हैं। एक श्री मोहित चौधरी जो पाकिस्तानी मुस्लिम जासूस हैं . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को किसी एक व्यक्ति का स्मरण है ?

श्री प्र० चं० बरुग्रा : एक मुसलमान पाकिस्तानी जासूस श्री मोहित चौधरी जिन्होंने भारत में ग्राने के बाद 3 बंगाली, 2 ग्रासामी तथा एक बिहारी—लड़कियों से शादी की तथा जासूसी का कार्य करते रहे, पिछली मई में घाटशेला में पकड़ लिये गये। उन्होंने जिलाधीश के सामने ग्रपनी स्वीकारोक्ति में कई भारतीयों के नाम लिये। केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहती थी। लेकिन ग्रभी कुछ नहीं हुग्रा। क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार भी पश्चिमी पाकिस्तानी सीमा पर जासूसों के विरुद्ध वही कायवाही करने जा रही है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न जालन्धर से सम्बन्धित है। जहां तक पश्चिमी बंगाल तथा दूसरे मामलों का सम्बन्ध है, मुझे नोटिस की ग्रपेक्षा है . . . (व्यवधान) . . .

श्री त्यागी : एक गलतफहमी हो गई है। माननीय सदस्य ने कहा है कि बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के ग्रादेशों का उल्लंघन किया है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये। क्या यह सच है कि गृह-मंत्री ने बंगाल सरकार को कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का ग्रादेश दिया था जिसका उन्होंने उल्लंघन किया।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : राज्य सरकार सहमत नहीं हुई क्योंकि इस मामले से ग्रखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है। इसलिये बंगाल सरकार उनको पकड़ने में भी सहायता नहीं कर रही है जो पाकिस्तानी जासूसों से भी सम्बद्ध हैं।

श्री हाथी : राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की ग्रवज्ञा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या वह पकड़े गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न का जवाब दें ।

श्री हाथी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री

श्री हेम बरुआ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । श्री प्रकाशबीर शास्त्री ।

श्री हेम बरुआ : उनको ठीक सूचना देनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

Shri Prakash Vir Shastri : Have such Pakistani spies been detected apart from Jullundur after Indo-Pakistan conflict who had been working in Government or semi-Government concerns and who had settled here and married after coming to India ? If so, what is their number and secondly why this search has only been started after conflict with Pakistan and why have our Government not been vigilant before ?

Shri Hathi : Yes, Sir in some parts of Panjab there are such people who have been detected. They were detected and apprehended before also.

Shri Prakash Vir Shastri : What is their number ?

Shri Hathi : Barring Panjab, they are 80-85 in all.

Shri Rameshwarananda : Mr. Speaker, I would like to know whether the spies who come from Pakistan and mingle with people here, live with Hindus, Sikhs and Christans also apart from Muslims ?

Shri Hathi : I could not follow.

Mr. Speaker : What he wants to say is that whether spies live with Indian citizens here and are helped by them in their activities ?

Shri Hathi : There are two types of people. Firstly there are people who live here and indulge in espionage and secondly those who come from Pakistan and live with Indian citizens and carry on their undesirable activities of espionage.

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that during the last few months the espionage activities of the Pakistanis have increased in areas like Jammu and Kashmir and since the state Government is taking action against them, they have shifted the bases of their espionage activities to places like Jullundur, and if so, the steps being taken by Government to smash those bases ?

Shri Hathi : It is not that they have come to Punjab from Kashmir but they were already carrying on some activities in Punjab and they have been apprehended also and as the action against them has been precipitated more persons are being arrested.

Shri Bade : For how long the Pakistani soldiers, caught in Jullundur as stated by you, had been carrying on the espionage activities there and why did the Jullundur Police not taken any action against them at that time ?

Shri Hathi : I said some of them were prosecuted and few others arrested also, but at the same time this is also correct that still there remain some persons who are yet to the arrested and we shall search them out.

Shri Bade : For how many years was he here ?

Shri Hathi : For about one or two years.

श्री स० चं० सामन्त : उन जासूसों से जो कागजात प्राप्त हुए हैं, क्या उन की जांच कर ली गई है, और क्या अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी कोई सुराग मिला है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा हमारे पास कुछ सामग्री है और उसकी जांच की जा रही है । इसीलिये मैं ने कहा कि हम और ब्यौरा नहीं देंगे क्योंकि इस से कुछ सुरागों का पता चलता है ।

Shri U. M. Trivedi : Does our C.I.D. remain completely ignorant of and indolent to such activities ? While political workers like us are kept under strict surveillance of 5-7 persons, the foreign spies are not searched even to find out and tell you that the leader of the Gujrat girl students expedition to Gangotri mountain was a Pakistani spy.

Shri Hathi : There was no political workers among those arrested in Jullundur.

Shri U. M. Trivedi : Is it not a Political thing ?

Shri Hathi : I said that there is not ever one person who belongs to opposition parties or is a political worker among those 80-85 arrested on the charge of spying.

An Hon. Member : No. No, it is not so.

Shri Hathi : It is so.

Shri Raghu Nath Singh : May I know whether the activities of the Pakistani spies in Kashmir have assumed in bigger dimensions during the last few days and in several pockets created there anti-Indian activities are being carried on and if so, the number of persons arrested in Kashmir ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : A few days back I visited Kashmir and studied the conditions there in detail. The cells that had been created there have been successfully unearthed and the network of the spies has been completely smashed.

An Hon. Member : How many have been arrested there ?

Shri Nanda : A number of persons have been arrested there during the last few days.

Shri Sham Lal Saraf : How many escaped ?

Shri Nanda : It is possible that some of them might have made good their escape. Hundred per cent success has not been achieved, but great success has been achieved...... (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order, Order.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Indian profiteers, who are smuggling various commodities worth crores of rupees to Pakistan and passing information to Pakistan are also placed in the category of spies if so, how many of them have been prosecuted ?

Mr. Speaker : I do not allow this question.

श्री कपूर सिंह : क्या पाकिस्तान में किन्हीं लोगों को इस आरोप पर गिरफ्तार किया गया है कि वे भारतीय जासूस हैं ?

श्री हाथी : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि भारत में पाकिस्तानी जासूसों को, इस देश के कुछ पाकिस्तानी राजनयिक प्रतिनिधि मण्डलों की सक्रिय नैतिक और वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो इस देश में कुछ पाकिस्तानी राजनयिक प्रतिनिधि मण्डलों और पाकिस्तानी जासूसों के बीच इस सम्बन्ध को तोड़ने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री हाथी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इन सम्बन्धों के बारे में हमें कुछ संकेत मिले हैं । पुलिस मामले में अग्रेतर जांच करने और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रयत्न कर रही है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न स्पष्ट था ।

अध्यक्ष महोदय : और यह आग्रह था । मूल प्रश्न जालन्धर में की गई गिरफ्तारियों के बारे में था, अन्य किसी चीज़ के बारे में नहीं ।

Shri Prakash Vir Shastri : I rise on a point of order. If the hon. Minister makes a reference in his reply to any other State, then will it be open to the hon. Members to put a question relating to that other State ?

Mr. Speaker : This depends upon the question I will decide it when it comes.

+ भारत अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान

*63. श्री नम्बियार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्री क० ना० तिवारी :
श्री अ० शं० आल्वा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ही ना० मुकर्जी :

श्री रा० बरुआ : श्रीमधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भागवत झा आजाद : श्री बागड़ी :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती :
श्री स० चं० सामन्त : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा : श्री किशन पटनायक :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : श्री विश्वनाथ पाण्डेय
श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री हेमराज
श्री उटिया : श्री दलजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल में बताया है कि भारत-अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो उस समय क्या क्या शर्तें रखी गई थीं ?

(ग) क्या प्रसिद्ध शिक्षाविदों के सुझावों के अनुसार नई शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस करार की अन्तिम शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) प्रधान मंत्री ने बताया था कि भारत-अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रस्ताव मार्च, 1965 में जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे, सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया गया था।

(ख), (ग) और (घ) कोई भी सरकार मार्च, 1965 में किन्हीं नियत शर्तों के लिए बचनबद्ध नहीं थी न अब भी, स्थिति अनिश्चित है। विभिन्न प्रस्तावों पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, जो कि नियम पूर्वक व्यवस्थित की गयीं थीं, उन पर सरकार द्वारा पूर्णतया तब विचार किया जाएगा, जब कि अमरीकी प्राधिकारियों के साथ आगे बातचीत होंगी, जिन के लिए अभी तक कोई कार्य-क्रम नियत नहीं किया गया है ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय लोक मत का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे प्रतिष्ठान के विरुद्ध है, जिससे कि भारत में अमरीकी राजनीतिक तथा आर्थिक नियन्त्रण को निश्चय ही बढ़ावा मिलेगा, क्या सरकार ने मामले पर पुनर्विचार किया है और प्रस्तावित योजना को छोड़ देने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस प्रश्न की दोनों धाराओं का खंडन करता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह नहीं मानता कि लोक मत इस प्रतिष्ठान के स्थापित किये जाने के विरुद्ध है ।

श्री वासुदेवन नायर : इस प्रश्न पर हम सरकार को चुनौती देते हैं।

श्री मु० क० चागला : दूसरी धारणा यह है कि इस प्रतिष्ठान के स्थापित किये जाने से अमरीका का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण हो जायेगा। चूंकि दोनों धाराएं गलत हैं। शेष प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री नम्बियार : क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालयों के सर्वोपरि प्राध्यापकों ने भी इस प्रतिष्ठान के स्थापित किये जाने का विरोध किया है ? क्या सरकार ने प्राध्यापकों द्वारा व्यक्त किये गये मत पर विचार किया है।

श्री मु० क० चागला : मैं ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की एक बैठक बुलाई थी। उनसे मेरी बातचीत हुई थी। फिर हम ने एक दूसरी बैठक बुलाई, जिसमें प्रधान मंत्री उपस्थित थे। हमने उनको सुना, और हम ने जो नतीजा निकाला वह यह था कि यद्यपि इस विषय पर आलोचना की गई थी कि यह प्रतिष्ठान क्या रूप लेगा, मोटे तौर पर प्रतिष्ठान के सिद्धान्त पर कोई गम्भीर विरोध प्रकट नहीं किया गया।

Shri Bibhuti Mishra : Has any proposal been put before the Prime Minister or the Education Minister to the effect that this money should be given to the Education Ministry for utilisation or that this money should be spent only on the technical education and so on other item ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा शास्त्रियों की बैठक में दिये गये सुझावों में यह भी एक सुझाव था कि प्रतिष्ठान स्थापित करने की बजाय इस धन को मंत्रालय को दे दिया जाये, और उत्तर यह था कि यह पैसा अमरीका का है। यह धन पूर्ण रूप से अमरीका का है, और अमरीका से यह कहना कठिन है कि एक प्रतिष्ठान स्थापित करने की बजाय, वह पैसे को हमें दे दे। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रालय के लिये, किसी दूसरे देश से इस धन को एक भेंट के रूप में स्वीकार करना सही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि अभी शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रतिष्ठान की रचना चाहे कुछ भी हो, इस मामले में सरकार की क्या राय है ? क्या सरकार की यह राय है कि सम्पूर्ण प्रतिष्ठान का निदेश, नियंत्रण तथा प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में होगा ?

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जब प्रतिष्ठान स्थापित हो जायेगा तो भारतीय मत काफी प्रभावशाली होगा। प्रतिष्ठान को कभी भी कोई ऐसी नीति बनाने या उसको क्रियान्वित करने की अनुमति नहीं होगी जो कि हमारी राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध जाती है; न ही हम किसी अमरीकी प्रभाव को अपनी संस्कृति और अपने जीवन में प्रवेश होने की इजाजत देंगे।

Shri Siddheshwar Prasad : May I know whether at the time of concluding agreement with America regarding the import of foodgrains from that country under PL-480, any agreement was reached as to the manner in which this amount is to be disposed of, if so, the terms thereof and whether this money can be spent on any item other than education such as irrigation, power, construction of roads etc. and if so, whether Government of India have considered this proposal or not ?

श्री मु० क० चागला : पी० एल० 480 के अन्तर्गत हमें जो प्रतिरूप रुपया मिलता है उसको इस तरीके से खर्च करना होता है : भारतीय और अमरीकी दोनों सरकारों की सहमति से

80 प्रतिशत को विकास कार्यक्रमों पर खर्च करना होता है; 13 प्रतिशत अमरीका द्वारा अमरीकी व्यापार की सहायता के लिये खर्च किया जा सकता है; 7 प्रतिशत को अमरीका चाहे जिस तरीके से खर्च कर सकता है और इसको "अमरीका के उपयोग के लिये धन" कहा जाता है । यह 7 प्रतिशत 200 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है और सुझाव इस 150 करोड़ रु० के लेने के बारे में है जिसे कि अमरीका किसी भी प्रयोजन के लिये व्यय कर सकता है और जिस पर कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : आपने कहा कोई भी प्रयोजन । क्या यह जासूसी के लिये भी खर्च किया जा सकता है ?

श्री नम्बियार : जासूसी के लिये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ।

श्री मु० क० चागला : अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के अन्तर्गत किसी भी प्रयोजन के लिये, परन्तु यह अमरीका का रुपया है और इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । हम उससे यह नहीं पूछ सकते हैं कि वह इस को किस पर खर्च कर रहा है या क्यों कर रहा है ? इसलिये, हमारे देश के लिये यह अच्छी बात है कि इस सारे धन को खर्च करने के लिये अमरीका के पास छोड़ने की बजाये, हम इसका उपयोग करते हैं। इस धन का विनियोजन सरकारी प्रतिभूतियों में किया जायेगा। प्रतिष्ठान भारतीय विधियों द्वारा नियन्त्रित एक भारतीय प्रतिष्ठान होगा और भारतीय नीतियों का पालन करेगा ।

Shri Kishen Pattnayak : Is it a fact that this Foundation is a conspiracy to make American language stable in this country and to influence Indian culture and civilisation by American culture and civilisation through American language ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी भाषा और अमरीकी भाषा के बीच फर्क बतला रहे हैं। वह बिल्कुल सही है । अमरीकी भाषा अब एक पृथक भाषा बन गई है ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा ख्याल है कि आपने गलत समझा है ।

Shri Kishan Pattnayak : Please try to understand ?

श्री भागवत झा आजाद : पन्त बाजार सुपर मार्किट बन गया है । यह है अमरीकी भाषा ।

श्री मु० क० चागला : मैं सुपर मार्किट नाम को पसन्द नहीं करता ।

Shri Kishan Pattnayak : It should be understood that English language is more of the Americans and not so much of the Britishers.

श्री मु० क० चागला : मैं बता देना चाहता हूं कि आज कई अमरीकी प्रतिष्ठान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान, भारत; फुलब्राइट ग्रुप ; अमरीकी सहायता अभिकरण ; फोर्ड प्रतिष्ठान; राकफैलर प्रतिष्ठान ; एशियाई प्रतिष्ठान । ये भारत में शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से अमरीकी प्रतिष्ठान हैं और इन पर कोई भारतीय नियंत्रण नहीं है । निश्चय ही, इन सभी प्रतिष्ठानों ने

हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं किया जिसका मुझे बहुत गर्व है (अन्तर्बाधा) हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक प्रतिष्ठान जो कि काफी हद तक भारत के नियंत्रणाधीन होगा हमारी संस्कृति को क्षति पहुंचायेगा ।

Shri Kishen Pattnayak : Are you answering or questioning ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि देश में इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना के परिणाम स्वरूप स्वयं अमरीकी लोगों में एक प्रतिक्रिया हुई थी ? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ? क्या यह सच है कि वे इस को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं और हम भी इसको भूल जाना चाहते हैं और कोई भी पहल करने को तैयार नहीं है ; यदि हां, तो कौन पहल कर रहा है और यह अब किस अवस्था पर है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं ; अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा एक घोषणा की गई थी और हमारे प्रधान मंत्री एक प्रतिष्ठान स्थापित करने के विचार से सहमत हो गये थे। शास्त्री जी, जब वह प्रधान मंत्री थे, इस मामले को मंत्रिमंडल के सामने लाये और मंत्रिमंडल ने प्रतिष्ठान को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया , इस प्रकार प्रतिष्ठान के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है । अमरीका अच्छी तरह जानता है कि भारत कितना भावुक है और यह सही भी है । हम अपनी संस्कृति के प्रति बहुत भावुक हैं और हम इस में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहते। इस देश की भावुकता को जानते हुए——(**व्यवधान**) —— क्या मैं अपनी बात पूरी कर लूं ?

Shri Rameshwaranand : Will you just tell, what is your culture ?

श्री मु० क० चागला : अमरीका को यहां की आलोचना का पता है । अमरीका को बता दिया गया है कि लोगों की क्या राय है। इसलिये, ऐसा किया गया है ! मुझे खुशी है कि इस देश में लोकमत ने अपने को व्यक्त किया है । अतः अन्त में, जब हम इसके ब्यौरे पर चर्चा करेंगे, तो अमरीका इस बात को ध्यान में रखेगा कि इस देश में लोकमत क्या है ?

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, हम बाद में इस विषय पर दो घन्टे की चर्चा करना चाहते हैं (**व्यवधान**) ।

श्री मु० क० चागला : एक पत्र है . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की यह इच्छा है और मैं भी ऐसा महसूस करता हूं—— (व्यवधान) ——शांति, शांति——बाद में कभी इस विषय पर चर्चा की जा सकती है क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इससे क्षुब्ध हैं।

श्री मु० क० चागला : जैसी सभा की इच्छा हो। समय निकाला जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सूचना दी जाये, तो मैं कोशिश करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम सूचना देंगे ।

संघ लोक-सेवा आयोग की परीक्षा का माध्यम

*64. **श्री सेझियान :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री मधु लिमये : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री किशन पटनायक : **श्री सुबोध हंसदा :**

डा० राम मनोहर लोहिया : श्री भागवत झा आजाद :
श्री उमानाथ : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुथिया : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मौर्य : श्री लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सभी चौदह भाषाओं में केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षायें आयोजित करने के संबंध में एक सूत्र तय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सूत्र को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कब लागू किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री सेझियान : क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री श्री भक्तवत्सलम द्वारा मदुराय में दिये गये इस प्रेस बयान की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं को भारत की सभी 14 भाषाओं में लेने के लिये संघ लोक-सेवा आयोग ने एक फार्मूला निकाल लिया है ? यह बयान मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है अथवा नहीं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : संघ लोकसेवा संघ में इस योजना को अन्तिम रुप देने के लिये प्रगति हो रही है । इस योजना को क्रियान्वित करने में अभी कुछ समय लगेगा ।

श्री सेझियान : क्या यह सच है कि सरकार वर्ष 1954 से सभा में यह आश्वासन देती रही है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम सभी मुख्य प्रादेशिक भाषायें होंगी ? ऐसे आश्वासन देने से पूर्व क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली थी अथवा क्या वह आश्वासन अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों को केवल धोखा देने के लिये दिये गये थे अथवा क्या वे इन आश्वासनों को गम्भीरता से क्रियान्वित करना चाहती हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस प्रश्न पर सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के बीच कोई मतभेद नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Ministry of Law has advised the U.P.S.C. that Central Government is not responsible for the work relating to conducting examinations and as such the Articles of the Constitution relating to Hindi need not be implemented by them and, if so, whether this has the approval of the Central Government also ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से एक गुप्त पत्र प्राप्त हुआ था जोकि विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट किया गया था और यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि उस में क्या लिखा था ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, on a point of order, Sir, this news has already appeared in the press and also the substance of the advice given by the Ministry of Law. In the circumstances, what is meant by the hon. Minister when he says that it would not be in

public interest to disclose it ? While he can disclose it to the press' he cannot disclose it here in the House. Much heat . . .

Shri Vidya Charan Shukla : What is reported in the press is not always correct. So, far as the question of its disclosure to the House is concerned, a thing which is in public interest must be disclosed to the House.

Shri Madhu Limaye : What is there which is in public interest ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Government should tell us whether the press report is correct or not ?

Mr. Speaker : If any spokesman of the Government has given this information to the press, then I would ask the hon. Minister to give this information to this House also but if the press has got this information from any other source, then what can I say ?

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, the hon. Deputy Minister is saying that there was a secret order of the Ministry of Law.

Shri Vidya Charan Shukla : No.

Shri Prakash Vir Shastri : Can any secret order appear in the press? The hon. Deputy Minister of Home Affairs should clearly state that what has appeared in the newspapers is wrong. If he does not refute these reports, it is obvious that this secret information leaked out from his office for which the responsibility lies on the Home Minister. One of these two things must be there.

Mr. Speaker : The question of responsibility can be dealt with separately. I cannot compel the hon. Minister to tell us about the correspondence which takes place among Government Departments. The hon. Minister has stated that what has appeared in the newspapers can be wrong also. He has given a round about reply. He has not clearly stated whether it is correct or incorrect.

Shri Rameshwaranand : Let the hon. Minister say that it is wrong. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : I am very sorry that five to six hon. Members get up and begin to speak. I have been requesting again and again that this thing should be done away with. If one Member is standing then the other should sit down.

श्री रंगा : वे कैसे जान सकते हैं कि अन्य सदस्य खड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे केवल खड़े हो जाते हैं तो वह एक अलग बात है । वे सभी खड़े हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं ।

The hon. Members are saying that this news has appeared in the newspapers.

Shri Vidya Charan Shukla : No such information has been given by any Government spokesman. Such guesses go on appearing in the newspapers (*Interruptions*)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister should refute what has appeared in the press.

Shri Madhu Limaye : On a point of order.

Mr. Speaker : Shri Bhagwat Jha Azad.

श्री भागवत झा आजाद: मैं आपका ध्यान आप द्वारा पहले दिये गये विनिर्णय की ओर दिलाता हूं कि जब एक मंत्री यह दावा करे कि कोई जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है तो पीठ यह निर्णय करेगी कि क्या यह सार्वजनिक हित में है अथवा नहीं । अब मैं यह निवेदन करने के लिये विशेषाधिकार का दावा करता हूं कि मंत्री महोदय ने जो यह कहा है कि यह जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है । आप कागज़ मंगायें और देखें कि क्या यह सार्वजनिक हित में है अथवा नहीं क्योंकि भाषा जैसे एक महत्वपूर्ण मामले में जिस के बारे में सभी प्रश्न पूछ रहे हैं यदि मंत्री महोदय कहते हैं कि जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो मैं कहता हूं कि वह इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं । मैं आप के विनिर्णय को ही उद्धृत कर रहा हूं तथा निवेदन करता हूं कि आप कागज़ मंगायें और तब निर्णय दें कि क्या मंत्री महोदय इस विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया अध्यक्ष को मंत्री की बात को मानना पड़ता है यदि वह कहते हैं कि यह जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है । यह नियम है । परन्तु यदि कोई आपवादिक तथा असाधारण मामला हो जिस में सन्देह हो कि क्या विशेषाधिकार का जो दावा किया जा रहा है वास्तविक है तो मैं केवल ऐसे मामलों को ही छानबीन कर सकता हूं । अन्यथा सामान्यता मुझे इसे स्वीकार करना पड़ता है । यह नियम है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन से बात करने का अवसर दीजिये और तब निर्णय करने दीजिये ।

Shri Madhu Limaye : All right I accept your decision, but a part of my question was that whether what has appeared in the newspapers is correct. This much he can tell us. You have always been giving this ruling that questions can be asked about facts. I am ready to accept your decision which will be given by you in regard to secret communication etc. But at least the hon Minister should state whether such advice has been given to the U.P.S.C. by the Ministry of Law and whether the news which has appeared in the newspapers in this regard, is correct or not.

Mr. Speaker : I can ask only this much whether any advice has been given or not. But I cannot ask as to what advice has been given.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, please try to understand me. I am not asking as to what advice has been given. I want to know whether the press report is correct or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : The Ministry of Law has advised the Ministry of Home Affairs in this connection. *(Interruptions)*

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The question is whether the press report is correct or not. *(Interruption)*

Mr. Speaker : If six, seven or eight hon. Members get up and go on speaking, then how can we proceed further. *(Interruption)*

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, Members get up because incorrect replies are given by the Government. It is a very simple thing whether the report appeared in the press is correct or not. The Government is itself responsible for these scenes in the Parliament.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker,...(*Interruptions*)

श्री सेझियान : महोदय यह केवल प्रेस रिपोर्ट ही नहीं है। इसका सम्बन्ध तो मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा 19 मई को मदुराय में दिये गये सार्वजनिक बयान से है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक राज्य सरकार के मुख्य नेता हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह, सही है अथवा नहीं। वह इसका उत्तर दे सकते हैं।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, I want to say that the hon. Minister does not want to give this information to the House on the plea that it is not in public interest to disclose it. But this information has already reached the public through the newspapaers. I think, the hon. Minister wants to put off the matter in the name of public interest.

Mr. Speaker : It has already been said.

Shri Madhu Limaye : I want to know that . . . .

Mr. Speaker : Shri A.P. Sharma.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr Speaker,......

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

श्री अ० प्र० शर्मा : महोदय उपमंत्री ने कहा है . . . . . (अन्तर्बाधाएं)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker,......

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के वृतांत में नहीं जायेगा (अन्तर्बाधाएं) शान्ति शान्ति।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Mr. Speaker : When I have called an hon. Member, then no other Memb er shouldnot thrust himself like that.

श्री अ० प्र० शर्मा : महोदय उपमंत्री ने कहा है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उसी आपत्ति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुन सकता हूं अन्यथा मैं मंत्री महोदय को कहूंगा. . . . .

**Not recorded.

**यह कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा प्रश्न केवल इसी के बारे में ही है। उपमंत्री महोदय ने कहा है कि गृह-कार्य मंत्रालय संघ-लोक-सेवा आयोग तथा विधि मंत्रालय के बीच एक गुप्त पत्र था और अनुमान लगाया गया है कि इस का सार समाचारपत्रों मे छप चुका है। क्या गृह-कार्य मंत्री का अथवा गृह-कार्य मंत्रालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इस बात से इनकार करें और कहें कि यह सही नहीं है और इस भ्रान्त वर्णन को देश में न फैलने दें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से कहूंगा यदि जैसा कि श्री सेझियान ने कहा है मद्रास के मुख्य मंत्री ने भी ऐसा बयान दिया है **(अन्तर्बाधायें)**। यदि एक राज्य के मुख्य मंत्री ने ऐसा बयान दिया है तो मैं यह कैसे मानूं कि यह जानकारी देना लोक-हित में नहीं है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मख्य मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यदि ऐसा है तो मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। यदि यह ऐसा है जो यह बात निश्चय ही इन सीमाओं से बाहर है जो सीमायें निश्चित हैं।

अध्यक्ष महोदय : कि वह पता लगायेंगे और मैं इन प्रश्नों को पूछने के लिये एक और अवसर दूंगा।

सम्पर्क स्थापित करने वाले पुरुष तथा स्त्रियां

65. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथपाई :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से यह रिपोर्ट मिल गई है अथवा मांगी गयी है कि सम्पर्क स्थापित करने वाले अवांछनीय पुरुषों तथा स्त्रियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री : (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिविष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह प्रश्न पिछले एक वर्ष से. . . . . सितम्बर, 1965 से और अब जुलाई का अन्त आ गया है---इस सभा में उठाया जाता रहा है तथा सरकार इस मामले को दबाने की नीति अपना रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको सम्पर्क स्थापित करने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों के केवल नामों से ही क्यों शर्म आती है। पिछली बार, पिछले सत्र में 11 मई, को यहां. .

अध्यक्ष महोदय : मैं हैरान हूं कि इस मामले में अविवाहित दिलचस्पी ले रहे हैं . . . . .

श्री भागवत झा आजाद : विवाहितों की बजाय अविवाहित तथा विधुरों का इससे अधिक सम्बन्ध है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने स्वयं इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस का प्रयोग तो मंत्री महोदय, श्री हाथी ने किया था। क्या मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि इस विषय पर उत्तर देते हुए 11 मई, को उन्होंने सम्पर्क स्थापित करने वाले अवांछनीय पुरुषों तथा स्त्रियों के नामों की सूची ---यह पहली बार था जब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। पता नहीं श्री हाथी इस शब्द को क्यों इतना पसन्द करते हैं---जैसा कि केन्द्रीय जांच विभाग ने पता लगाया है– सम्बद्ध मंत्रालयों तथा विभागों को ऐसी कार्यवाही करने के लिये भेज दी गई है, जो वे आवश्यक समझें। यह पहले का प्रश्न था। जैसा कि मैं ने कहा है कि यह मामला इस सदन में पिछले एक वर्ष से उठाया जाता रहा है। आज प्रश्न इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में है। आज उन्होंने दोनों प्रश्नों का उत्तर "नहीं" दिया है।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न के लिये "नहीं" और दूसरे के लिये "नहीं उठता"।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछला उत्तर मई में दिया गया था और जुलाई का अन्त आ गया है। क्या सभा यह समझे कि विभागों तथा मंत्रालयों ने केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों, भेजी गयी नामों की सूची के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है अथवा उन्हें प्रतिवेदन प्राप्त ही नहीं हुए हैं जिस मामले में कार्यवाही न करने के कारण क्या हैं क्योंकि ये सम्पर्क स्थापित करने वाले पुरुष तथा स्त्रियां, जो बड़े-बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के विचौलिये हैं, सत्ताधारी दल के हितकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इतना लम्बा नहीं होना चाहिये।

श्री हाथी : श्री कामत ने प्रश्न पूछा है कि क्या प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह एक भाग है। दूसया प्रश्न यह था कि क्या उन्हें मंगाया गया है। उन्हें नहीं मंगाया गया है। अतः उत्तर "नहीं" है। अब मैं स्पष्ट करूंगा कि प्रतिवेदन क्यों प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा प्रतिवेदन क्यों नहीं मंगाये गये हैं। इसका कारण यह है कि हमने इन नामों की सूची इन हिदायतों के साथ विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों को भेज दिये हैं कि ये व्यक्ति निर्णय लेने में अधिकारियों पर प्रभाव डालने के लिये परिचय तथा मित्रता का लाभ उठा रहे हैं अतः इन पर निगाह रखी जानी चाहिए तथा इन्हें मान्यताप्राप्त अभिकर्त्ताओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिये। अब जब उनसे मिलने का कोई प्रश्न आता है तो अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और उन से इतना अधिक सम्पर्क स्थापित नहीं करना चाहिये जिससे अन्ततोगत्वा . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : इतना अधिक सम्पर्क स्थापित करने का क्या अर्थ है ? ज़रा अपनी बात को स्पष्ट और कर के कहिये।

श्री हाथी : . . . . .जिससे उन से मुलाकातों की संख्या में वृद्धि हो और जिसके फलस्वरूप इन लोगों का अधिकारियों निर्णयों पर कोई प्रभाव पड़े। परन्तु उन्हें अधिकारियों से मुलाकात नहीं करने दी जानी चाहिये तथा जब फर्मों से मान्यताप्राप्त अभिकर्त्ताओं की सूचियां आयें तो इनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिये और इन व्यक्तियों को मान्यताप्राप्त अभिकर्त्ताओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हमने ये हिदायतें भेजी हैं। अतः प्रतिवेदनों का मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

श्री हरि वष्णु कामत : पिछली बार 11 मई को यह उत्तर दिया गया था कि नामों की सूची मंत्रालयों तथा विभागों को ऐसी कार्यवाही करने के लिये भेज दी गयी है जो वे आवश्यक समझें। क्या सभा यह समझे कि गृह-कार्य मंत्रालय इस बात का पता नहीं लगाता है कि वे क्या करते रहे हैं और

उन्होंने इस मामले में कोई कार्यवाही की भी है ? क्या मंत्री महोदय सम्पर्क स्थापित करने वाले इन पुरुषों तथा स्त्रियों के नामों की वह सूची सभा-पटल पर रखेंगे जो मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी गयी है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं तथा परिचय अथवा सहयोग के लिये क्या सीमायें निश्चित की गई हैं ?

श्री हाथी : जहां तक गृह-कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम इन व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगाह रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव न डालें। हम अधिकारियों पर भी निगाह रखते हैं कि क्या वे उनसे मिलते हैं अथवा नहीं । । इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जब तक आपको मंत्रालयों से प्रतिवेदन नहीं मिलते तब तक आप ध्यान कैसे रख सकते हैं ? यह सब क्या है ? यह देखने के लिये क्या आप की 100 आंखें हैं ?

श्री हाथी : ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या बहुत कम है .

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जानता हूं कि इनकी संख्या 300 है ।

श्री हाथी :. . . . . .और उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा सकती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कैसे ?

श्री हाथी : इन नामों को प्रकट करना तो सम्भव नहीं होगा. . . .

श्री हरि विष्णु कामत : लोक-हित में--

श्री हाथी :. . . .क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप नहीं है.

श्री हरि विष्णु कामत : अवांछनीय गतिविधि ।

श्री हाथी : . . . . .कि उन्होंने घूस दी है अथवा कदाचार किया है ।

श्री त्यागी : क्या आप उनकी जानकारी रखते हैं ।

श्री हाथी : जानकारी रखने का प्रश्न नहीं है । यदि वे कुछ कार्य करते हैं तो यह एक अलग मामला है ।

श्री हरि विष्णु कामत : केन्द्रीय जांच विभाग ने निर्णय लिया है कि वे अवांछनीय कार्य कर रहे थे । केन्द्रीय सूचना विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था : गृह-कार्य मंत्रालय ने ये नाम विभिन्न मंत्रालयों को कब भेजे थे, क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या इन मंत्रालय ने इस पर कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): यहा ऐसी व्यवस्था है जिस से हम इन नामों का पता लगा सकते हैं । निगाह रखने की व्यवस्था है । यह केवल प्रतिवेदन का प्रश्न नहीं है, परन्तु यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि क्या ऐसा किया जा रहा है अथवा नहीं । यह प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या वे कहते हैं कि हिदायतों का पालन किया गया अथवा नहीं; हम निगाह रख रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : कौन किस पर निगाह रख रहा है ?

श्री नन्दा : वही संगठन ।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्रालय का संगठन इस पर निगाह रखता है परन्तु क्या मंत्रालयों ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस मामले में वह कार्यवाही की है जो गृह-कार्य मंत्रालय उन से करवाना चाहता था ?

श्री नन्दा : यदि किसी समय इस की आवश्यकता पड़ेगी तो उन से पूछा जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह कोई उत्तर नहीं है । वह शर्म से उत्तर देने से बचना चाहते हैं ।

श्री नन्दा : मैं उत्तर देने से बच नहीं रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह कह सकते हैं कि पूरा उत्तर नहीं दिया गया है......

श्री हरि विष्णु कामत : बिना हार खाये वह उत्तर देने से बचना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हे उत्तर देने दीजिये । क्या यहां व्यवहार करने का यही तरीका है ? हम कैसे जान सकते हैं कि क्या यह लोक-हित में है, दल के हित में है अथवा उनके अपने व्यक्तिक हित में है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उत्तर दोहरा दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने तो दोहरा दिया है, परन्तु उत्तर क्या है ? उन्होंने कहा है जो आवश्यक होगा वह किया जायेगा । हमें जानना चाहिये कि उत्तर क्या है ? यह क्या है? क्या यह संसद है अथवा उनका अपना घर अथवा उनका निवास स्थान ? वह इसे बहुत सामान्य रूप से ले रहे हैं ।

श्री नन्दा : उत्तर टालने का तो बिलकुल कोई प्रश्न ही नहीं है । इन नामों का पता हमारे विभाग द्वारा लगाया जाता है । इनका पता लगाने के लिये एक संगठन है । यह सुनिश्चित करने के लिये हमारे पास एक संगठन है कि क्या हमारी हिदायतों का पालन किया जा रहा है अथवा उल्लंघन किया जा रहा है । यदि हमें पता लगता है कि इनका किसी प्रकार से उल्लंघन किया गया है तो हम अग्रेतर पूछताछ करते हैं । यह एक स्पष्ट उत्तर है । उत्तर देने से बचने की कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक बात जिसे मुझे दोहराना होगा । यह ठीक है कि कि गृह-कार्य मंत्रालय वह सब कुछ कर रहा है जिस का किया जाना आवश्यक है परन्तु जब इस सूची को मंत्रालयों में भेजा जाना उचित है समझा गया था तो क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन मंत्रालयों से प्रतिवेदन मांगें जाये जिससे पता लग सके कि क्या वे गृह-कार्य मंत्रालय की हिदायतों को क्रियान्वित कर रहे हैं ?

श्री नन्दा : अभिप्राय तो यही है कि इनको क्रियान्वित किया जाय ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह क्या बात हुई ? वह ठीक तरह से खड़े भी नहीं होते हैं उन्हें ठीक तरह से खड़ा होने दीजिये ।

श्री नन्दा : हम और कदम भी उठा सकते हैं। इस समय हम संतुष्ट है कि कदम उठाये जा रहे हैं। हम और कदम भी उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

*66. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों तथा ग़ैर श्रम-जीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में है, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इन दोनों मजूरी बोर्डों को महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा करना है और उन्होंने विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों पर विचार करना है। बोर्डों का काम जारी है और अब पूरा होने वाला है।

दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों की हड़ताल

*67. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बसुमतारी :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में टेलीफोन आपरेटरों की हड़ताल के फलस्वरूप दिल्ली में टेलीफोन सेवा अस्त-व्यस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल का क्या कारण था ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस विभाग को कितनी हानि उठानी पड़ी ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (घ). जी नहीं । दिल्ली टेलीफोन प्रणाली पूरी तरह स्वचालित प्रणाली है। अतः 24 और 25 मई, 1966 को टेलीफोन प्रचालकों की हड़ताल से शहर के भीतर स्थानीय टेलीफोन सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्थानीय सहायता तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं जैसी विशेष सेवाएं 25 मई, 1966 को 15 मिनट के लिए प्रभावित हुई थीं। क्योंकि उन सेवाओं पर नियुक्त कर्मचारियों ने काम रोको हड़ताल कर दी थी। कुछ स्थानीय टेलीफोन केन्द्रों में भी उपभोक्ता लाइनों की परीक्षा करने वाले परीक्षण डेस्कों पर काम कर रहे प्रचालकों ने अलग-अलग वक्त पर विभिन्न अवधियों के लिए काम रोको हड़ताल की। फिर भी टेलीफोन उपस्कर तथा लाइन प्लांट के अनुरक्षण के काम पर भीतरी तथा बाहरी तौर पर--दोनों तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

जहां तक ट्रंक सेवा का सम्बन्ध है, जिन मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायल प्रणाली चालू थी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी प्रकार देश के मुख्य स्थानों से दिल्ली आने वाला ट्रंक परियात जो कि दूरस्थ ट्रंक प्रचालकों द्वारा दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में डायल किया जाता है, प्रभावित नहीं हुआ। केवल दिल्ली से डायल किया जाने वाला ट्रंक परियात और दिल्ली ट्रंक टेलीफोन केन्द्र द्वारा पारेषित पारियात प्रचालकों की काम रोकों हड़ताल के कारण 24 मई को $\frac{1}{2}$ घंटे के लिए और 25 मई, 1966 को एक घंटे के लिए प्रभावित रहा। फिर भी इस अवधि के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवाओं को चालू रखने के लिए अधिकारियों सहित पर्यवेक्षण कर्मचारियों ने कुछ प्रमुख जगहों पर काम किया।

कथित अनुशासनहीनता के कारण 24 मई, 1966 को दिल्ली गेट टेलीफोन केन्द्र में एक टेलीफोन प्रचालक की सेवाएं निलम्बित कर दी गई। यह हड़ताल उसे निलम्बित करने के विरोध में की गई थी ।

यह पता लगाना संभव नहीं है कि वास्तव में राजस्व की कितनी हानि हुई। हड़ताल की कुल अवधि के दौरान दिल्ली के उपभोक्ताओं द्वारा बुक की गई ट्रंक कालों के सिलसिले में लगभग 3,000 रुपये की हानि हुई ।

दिल्ली गेट टेलीफोन केन्द्र के निलम्बित टेलीफोन प्रचालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है ।

गैर-सरकारी (प्राइवेट) शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विधान

*68. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी (प्राइवेट) शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए ताकि उन में विद्यमान कुरीतियां समाप्त की जा सकें सरकार का विधान बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस विधेयक के संसद् मे कब प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ग). एक आदर्श विधेयक तैयार किया जा चुका है और उसे जरूरी कार्रवाई तथा टीका टिप्पणी के लिए यदि कोई हो—राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। संघ राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस विधेयक के अधिनियमित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) विधेयक का लक्ष्य है कि प्रशासन में विनियमन कायम रखना तथा उन गैर-सरकारी (अमान्यता प्राप्त) शिक्षा संस्थाओं की गतिविधियों की देख भाल करना जो कि मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेटों के लिए छात्रों को तैयार करती हैं ?

मंगलौर में उर्वरक कारखाना

*69. **श्री अ० शं० आल्वा :**
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० श्री निवासन :
श्री सुरेंद्रपाल सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री बासप्पा :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड ने मंगलौर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से वहां का सर्वेक्षण किया था और क्या उन्होंने उस सम्बन्ध में सम्भाव्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या सरकार ने वहां पर स्वयं कारखाना खोलने अथवा गैर-सरकारी समवायों को लाइसेंस देने के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ग) इस कारखाने के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी हां।

(ख) और (ग). 20 जून, 1966 को मेसर्ज़ इण्टरनेशनल डिवेलपमेंट तथा इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि० नस्साओ वहामासा दुगल एण्टरप्राईसिज़ (पी) लि० नई दिल्ली को एक आशय पत्र जारी किया गया है। वे 6 महीनों की अवधि में विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे।

CODE OF CONDUCT FOR POLITICAL PARTIES

*70. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishang :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government held discussions with the leaders of important political parties with a view to evolving a code of conduct agreeable to all;

(b) if so, the result thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

Home Minister Shri Nanda : (a) to (c) : Government did not have any consultations with political parties to evolve a code of conduct acceptable to all. The National Integration Conference which was convened in September-October 1961 and which was attended by the representatives of political parties evolved such a code a copy of which I am laying on the Table. [*Placed in the Library* See *No. LT-6502/66*]. The conference was of the opinion that the representatives of various political parties at the State level and at the national level should continue to endeavour to develop the code of conduct and to evolve a machinery of mutual conciliation and consultation. The National Integration Council at its meeting held on June 1-2, 1962, re-affirmed the code and urged the various political parties in the country effectually to implement it in regulating the conduct of their members.

उद्योगों में स्वचालित मशीनें लगाना (ग्रोटोमेशन)

*71. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं, बैंकों, उद्योगों तथा अन्य संस्थानों मे कहां तक स्वचालित मशीनें लागू की गई हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप काफी संख्या में श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इन स्वचालित मशीनों का आयात करने के लिये अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने स्वचालित मशीनें लगाने की समस्या तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम वर्तमान छिद्रित कार्ड उपकरण के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक संगणक चालू कर रही है। जीवन बीमा निगम, बैंकों, उद्योगों अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में स्वचालित मशीनें लगाने के परिणामस्वरूप किसी श्रमिक के बेरोज़गार होने के बारे मे इस विभाग के पास कोई सूचना नहीं है। विभाग ने इस बात का भी कोई अनुमान नहीं लगाया कि इन संस्थानों में कितनी स्वचालित मशीनें लगाई गई हैं।

(ग) सूचना उपलब्ध नही है। 1965—66 वर्ष के दौरान बिजली से चलाई जाने वाली गणना मशीनों, लेखा-मशीनों और सांख्यिकीय मशीनों के आयात के बारे में प्राप्त सूचना संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6503/66]**

(घ) और (ङ). अभिनवीकरण के प्रश्न पर सामान्यतः 11—12 जुलाई, 1957 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें अधिवेशन में विचार किया गया। अभिनवीकरण की किसी भी योजना में अपरिहार्यरूप में कुछ शर्तें स्वीकार की गई। 29 और 30 जुलाई, 1966 को दिल्ली मे होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन की कार्यसूची मे एक मद "स्वचालित यन्त्र" है।

GOVERNMENT'S REACTION TO PATASKER REPORT

*72. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Hem Barua :
Shri Nath Pai :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Surendra Nath Dwivedi :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shr Shree Narayan Das :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Yash pal Singh :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Rishang Keishing :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Utiya :
Shrimati Renuka Barkataki :
Dr. Ranen Sen :
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Baswant :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Warior :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Basappa :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Brij Basi Lal :
Shri Gokulananda Mohanty :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri R. S. Pandey :
Shrimati Renuka Roy :
Shri Bade :
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** pleased to atete :

(a) whether Government of Assam have intimated their reaction to the Patasker Commissiom Report ;

(b) if so, the nature there of; and

(c) the nature of the decision taken by Government regarding the grant of greater autonomy to the Hill Districts ?

Home Minister Shri Nanda : (a) to (c). The report of the Commission on the Hill Areas of Assam is under examination of the Central Government in consultation with the Government of Assam and representatives of the political parties concerned. Preliminary reactions of the Assam Government have been received. They have suggested certain adjustments in the recommendations made by the Commission.

मनीपुर में नागाओं और मिजो लोगों द्वारा घुसपैठ

*73. **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रिशांग किशिंग :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मनीपुर के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि विद्रोही नागा और मिजो लोग मनीपुर में सम्बन्ध स्थापित और घुसपैठ करने का प्रयत्न कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नागा और मिजो लोगों ने आगामी महीनों में आसाम में भी बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ करने का फैसला किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर के मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया ।

(ख) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यथासम्भव जरूरत के अनुसार प्रबन्ध किया गया है ।

हैदराबाद निजाम द्वारा सम्पति कर देने से इन्कार

*74. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद नगर निगम को इस आधार पर 40 लाख रुपये का सम्पत्ति कर देने से इन्कार कर दिया है कि उन्हें विलय पत्र (इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन) के अन्तर्गत कर देने से छूट **मिली** हुई है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने परामर्श हेतु **यह** प्रश्न केन्द्र को भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य को **क्या परामर्श** दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). सरकार को इस बारे में सूचना नहीं मिली कि महामहिम निज़ाम हैदराबाद ने कर देने से इन्कार किया है । आंध्र प्रदेश सरकार ने महामहिम निज़ाम ने सम्पत्ति के लेखे में हैदराबाद निगम को 42.79 लाख रुपये की प्रतिमूर्ति के प्रश्न पर लिखा है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

मिट्टी के तेल और हल्के डीजल तेल में आत्म-निर्भरता

*75. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** 16 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को मिट्टी के तेल, डीज़ल और पैट्रोल में आत्म-निर्भर बनाने के मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) मिट्टी के तेल की सप्लाई किये जाने के बारे में राज्यों की मांगें कहां तक पूरी की गई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) अगस्त 1966 में कोचीन शोधनशाला चालू हो जायेगी । इस वर्ष के अन्त तक कोयाली और बरौनी शोधनशालाओं के 2

मिलियन मीटरी टन वाले यूनिट भी चालू हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त शोधन क्षमता के चालू होने से हाई स्पीड डीज़ल में आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जायेगी और मिट्टी के तेल की मांग एवं देशीय उत्पादन का अन्तर लगभग शून्य रह जायेगा। जहां तक कच्चे पैट्रोलियम का सम्बन्ध है अन्वेषण के यत्न जारी हैं। अतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए कई फर्मों के साथ सरकार बातचीत कर रही है ।

(ख) मार्च 1966 से प्रत्येक राज्य के लिए मिट्टी के तेल का मासिक कोटा लगभग 10,000 मीटरी टन तक बढ़ाया गया है

महाराष्ट्र और मैसूर के लिये सीमा आयोग

*76. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रा० बरुआ :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बाल गोविन्द वर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री अल्वारेस :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री बड़े :
श्री बसुमतारी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री काजरोलकर :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री बासप्पा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वृजवासी लाल :
श्री हु० च० सोय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और मैसूर तथा मैसूर और केरल के बीच के सीमा विवाद के संबंध में विचार करने के लिये एक सदस्यीय जांच आयोग स्थापित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) क्या इसके द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सरकार का विचार महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा विवाद पर विचार करने के लिये एक आयोग की स्थापना करने का है।

(ख) महाराष्ट्र और मैसूर के मुख्य मंत्रियों से इस आयोग के लिये ऐसे निर्देश पद निर्धारित करने को कहा गया है जो दोनों को मंजूर हों।

(ग) आयोग के प्रतिवेदन देने की तिथि तब निश्चित की जायगी जब आयोग की स्थापना होगी। किन्तु इरादा ये है कि इसका प्रतिवेदन लगभग एक वर्ष में मिल जाना चाहिये।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

*77. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया आफिस लाईब्रेरी तथा उसके सामान का प्रश्न हल किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर और यदि यह प्रश्न हल नहीं हुआ है तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रश्न के हल के लिए लागू होने वाले नियम के सम्बन्ध में भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो गई है। पाकिस्तान सरकार का निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

आसाम में तेल निकालने के लिये रायल्टी

*78. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती रेणुकाराय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने आसाम के तेल क्षेत्रों से होने वाली आय पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया द्वारा दी जाने वाली रायल्टी में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आसाम सरकार को मिलने वाली रायल्टी में की गई वृद्धि से सहमत हो गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*79. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री नाथ पाई :** **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री हेम बरुआ :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रामाणिक रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता **है** ।

काश्मीर में पाकिस्तानी एजेन्ट

*80. **श्रीमती सावित्री निगम :** **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री किशन पटनायक :** **श्री लीलाधर कटकी :** **श्री राम सेवक यादव :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री किन्दर लाल :** **श्री रघुनाथ सिंह :** **श्री बागड़ी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में पिछले दो मास में ऐसे कितने पाकिस्तानी एजन्टों तथा गिरोहों का पता लगाया गया है जिनका राष्ट्र-विरोधी तथा विध्वंसक कार्यवाहियों में हाथ था; और

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) पूरा विवरण बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, किन्तु ऐसे दो एजेन्टों पर अभी हाल ही में श्रीनगर के सेशन जज ने मकदमा चलाया था और उन्हें सजा दी थी।

(ख) राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जा रहे ।

ALL INDIA JUDICIAL SERVICE

***81. Shri Vishwa Nath Pandey :** **Shri P. R. Chakraverti :** **Shri Linga Reddy :** **Shri D. C. Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 425 on the 9th March, 1966 and state :

(a) whether Government have since finalised the scheme to set up an All-India Judicial Service in the country;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) if not, when the scheme is likely to be finalised ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) to (c) The proposal of the Chief Justices' Confernece regarding the setting up of an All-India Judicial Service has been referred to the State Governments for comments and further action will be taken when those comments are received.

Kairon Murder Case

***82. Shri Prakash Vir Shasrti : Shri Raghunath Singh : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Jagdev Singh Siddanti :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 303 on the 2nd March, 1966 and state :

(a) the further progress since made in connection with the enquiry into the Kairon Murder Case; and

(b) the main reasons for not arriving at a decision in the matter so far ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b) : Out of 5 suspects, one is absconding and 4 have been arrested. Out of these 4 one has turned an approver—and the cases against the remaining 3 were put in the Court of Chief Judicial Magistrate, Rohtak on 1-5-66. The proceedings were held up as one of the accused had moved the Punjab High Court for the transfer of the case from the Court of Chief Judicial Magistrate, Rohtak. His application has been rejected. The other two accused have now moved the Supreme Court for transfer of the case out of Punjab. The tr . a cation has been admitted by the Supreme Court and it is expected to come up for hearing in the first week of August, 1966.

हमारी सीमा पर तस्करी

***83. श्री लीलाधर कटकी : श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी सीमा पर तस्करी को रोकने के लिये भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ सीमा पुलिस अधिकारियों के एक दल की वाघा में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) हां । भारत तथा पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की 29-6-66 को स्थल नियमों के अधीन वाघा में एक बैठक हुई थी ।

(ख) अन्य बातों के साथ तस्करी की समस्या पर भी विचार किया गया । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी के विरुद्ध प्रबन्धों को मजबूत किया जाय ।

कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा

*84. **श्री मधु लिमयें :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5390-ग के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में इस बीच राज्य सरकार से विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं;

(ख) उन क्षेत्रों में स्कूल जाने योग्य आयु वाले कितने प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा नहीं पा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार से क्या कार्यवाही करने की सिफारिश करने का विचार है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ग) : राज्य सरकार ने प्रतिवेदन किया है कि उन्होंने कलकत्ता निगम प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर बातचीत की है और वे शिक्षा सम्बन्धी इस कार्य को लागू करने के लिए राज़ी हो गए हैं। और वे एक योजना तैयार कर रहे हैं, जो कि बाद में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रारम्भिक विधान को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) कलकत्ता निगम क्षेत्र में 6--11 आयु वर्ग के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, 37.91 प्रतिशत हैं अन्य शहरी क्षेत्रों की इस प्रकार की संख्या अलग से उपलब्ध नहीं हुई है।

INCREASE IN THE NUMBER OF DELHI COUNCILLORS

***85. Shri Naval Prabhakar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of Councillors of Delhi Municipal Corporation is being increased from 80 to 100;

(b) if so, the number of Councillors belonging to the Scheduled Castes among them; and

(c) the number of Aldermen proposed to be included in the Corporation ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir.

(b) Thirteen

(c) There are six aldermen at present in the Delhi Municipal Corporation. It is proposed to increase the number of aldermen to ten.

तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की संयुक्त रूप से खोज

*86. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नम्बियार :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बड़े :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दिगे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की संयुक्त रूप से खोज करने के बारे में विदेशी तेल कम्पनियों से बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में उखरूल में संरक्षित क्षेत्र

*87. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :
श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के मुख्यायुक्त ने मनीपुर में उखरूल के पर्वतीय सब-डिवीजन में 34 चौकियों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है ;

(ख) क्या ये उपाय अपनाते समय स्थानीय व्यक्तियों की विद्रोहियों से रक्षा करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार का नागालैण्ड क्षेत्रों में भी ऐसी योजनाएं लागू करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उखरूल सब-डिवीजन में 13 चौकियों को, तमेंगलोंग सब-डिवीजन में 11 और माओ—सबरा सब-डिवीजन में 11 चौकियों

को 26 मई, 1966 से पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम 1950 की व्यवस्था के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा चरूराचांदपुर सब-डिवीजन में 6 और जिरीबाम सबडिवीजन में एक चौकी को भी इसी अधिनियम के अधीन 7 जून, 1966 से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रकार कुल मिला कर 42 चौकियों को संरक्षित घोषित किया गया है।

(ख) कुछ स्थानों का संरक्षित घोषित किया जाना अपने आप में इस बात का कोई कारण नहीं है कि स्थानीय जनता की विद्रोहियों से सुरक्षा तथा रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की जाये। फिर भी स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिये यथा-सम्भव जरूरी कदम उठाये गये हैं।

(ग) नागालैण्ड की सरकार के सामने फ़िलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

*88. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये नये वेतन-क्रम लागू कर दिये हैं जिसका प्रस्ताव केन्द्र द्वारा किया गया था;

(ख) किन राज्यों ने नये वेतन-क्रम लागू करने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं तथा क्या कठिनाइयां बताई हैं;

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालय अध्यापक संघों में नये वेतन-क्रमों के बारे में क्या क्या मत व्यक्त किये हैं; और

(घ) उनके द्वारा व्यक्त किये गये मतों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) संशोधित वेतनमानों को सिद्धान्तरूप में असम, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने मान लिया है।

(ख) अब तक किसी भी राज्य सरकार ने नये वेतन-क्रमों को लागू करने में कोई कठिनाइयां नहीं बताई हैं। फिर भी, बहुत से राज्यों ने, जो उत्तर भेजे हैं, उनमें इस मामले पर निर्णय लेने के लिए स्पष्टीकरण मांगें हैं।

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालय अध्यापक संघों ने नये वेतन-क्रमों का प्राय: स्वागत किया है और उनमें से कुछ ने कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है।

(ख) बड़े पर्यालोचन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नये वेतन-क्रमों की सिफारिश की है और उन्हें आगे संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

बिड़ला भवन दिल्ली

*89. **श्री उटिया :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **शिक्षा** मंत्री क्रमश: 16 मार्च, 1966 और 24 नवम्बर, 1965 के क्रमश: तारांकित प्रश्न संख्या 572 और 416 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर दिल्ली स्थित बिड़ला भवन को सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लिये जाने के बारे में "पैट्रिग्राट" में प्रकाशित समाचार पढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट ठीक नहीं है ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षक

*90. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों को अखिल भारतीय (संवर्ग केडर) में रखने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी नहीं, यह मामला अभी राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है ।

(ख) राज्य सरकारों से परामर्श पूरा होने के बाद तुरन्त निर्णय किया जायेगा । इस परामर्श में अब अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्रेणी 1 के पदों के लिये वैज्ञानिक कार्य

265. **श्री काजरोलकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय तथा इस के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में गत तीन वर्षों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्य के लिये पदवार कितने श्रेणी 1 तथा उच्च पद मंजूर किये गये;

(ख) इनमें से कितने पद कनिष्ठ (जूनियर) श्रेणी 1 वेतन-क्रम के हैं जिसके लिए मंत्रालय ने वरिष्ठ (सीनियर) श्रेणी 1 वेतन-क्रम में पदोन्नति के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कितने पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से समाचारपत्रों में विज्ञापन करके सीधी भरती द्वारा भरे गये हैं और इनमें से कितनी नियुक्तियां चार वर्ष से पहले की गई थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी): (क) से (ग). इस बारे में संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Traffic Rules Violation

266. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of violation of traffic rules registered in Delhi during 1965-66; and

(b) the amount of fines realised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 59,443

(b) Rs. 10,59,743

Corruption Case in Delhi Administration

267. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the Delhi Administration detected by the Vigilance Department of Delhi during 1965-66 as having been involved in corruption cases; and

(b) the number of persons out of them convicted and the number against whom departmental action was takn ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) 284 (for the period 1-1-1965 to 30-6-1966)

(b) Convicted—10
Departmental
action taken—50

पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

268. **श्री वारियर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के बाद से देश के विभिन्न भागों में भीड़ पर काबू पाने के लिये पुलिस को कितनी बार गोली चलानी पड़ी:

(ख) इनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) पुलिस की गोलियों के कारण मारे गये व्यक्तियों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को क्या मुआवजा दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में कला तथा तकनीकी कालेज

269. **श्री वारियर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कला तथा तकनीकी कालेज हैं;

(ख) इन कालेजों में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं; और

(ग) उनमें से कितने कालेज गैर-सरकारी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): 1963–64 वर्ष की नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:—

(क) कला विषय पढ़ाने वाले कालेजों की संख्या 1,174 है और इंजीनियरी तथा टैक्नोलोजीय कालेजों की संख्या 105 है;

(ख) कला विषयों के कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8,08,994 है और इंजीनियरी तथा टैक्नोलोजीय कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 63,176 है; और

(ग) प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कला विषय पढ़ाने वाले कालेजों की संख्या 943 है और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे इंजीनियरी और टैक्नालोजीय कालेजों की संख्या 50 है।

किराये की इमारतों में डाकघर

270. **श्री वारियर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1966 को देश में कितने डाकघर थे;

(ख) उनमें से कितने डाकघर किराये की गैर-सरकारी इमारतों में हैं; और

(ग) इन गैर-सरकारी इमारतों के लिये कितना वार्षिक किराया दिया जा रहा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 96,936

(ख) 11,159।

(ग) लगभग 86,24,784 रुपए।

विक्रम तथा सागर विश्वविद्यालयों में वित्तीय संकट

271. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विक्रम तथा सागर विश्वविद्यालयों के गम्भीर वित्तीय संकट की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि संघ सरकार इन विश्वविद्यालयों को अपने हाथ में लेकर उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में चलाये; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट

272. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा** :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेमबर्ग (पश्चिम जर्मनी) में हो रहा अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें भारत को क्या सफलता मिली है; और

(ग) इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की स्थिति कैसी रही ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां, टर्नामेंट 22 मई, 1966 को समाप्त हो गया था।

(ख) इस टूर्नामेंट में भारत का स्थान प्रथम था।

(ग) इस टुनर्नामेंट में पाकिस्तान का स्थान पांचवा रहा।

घाना के लिये शिक्षक (कोच) का पद

273. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री राम हरख यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था, नेशनल इंस्टीच्यूट आफ स्पोर्टस, पटियाला के प्रख्यात कोच श्री सरपाल सिंह को घाना में कोच के रूप में काम करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य का व्यौरा क्या है और वह कब तक इस कार्यभार को संभाल लेंगे?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां।

(ख) वह छः मास की अवधि तक कार्य करेंगे। श्री सरपाल सिंह 4-6-1966 को घाना के लिये जा चुके हैं।

केराकोट डाकघर (उत्तर प्रदेश) में पार्सलों का गायब पाया जाना

274. **श्री राम हरख यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जौनपुर (उत्तर प्रदेश) केराकोट डाकघर से डाक राजस्ट्रेशन विभाग के 51 आवक पार्सल तथा अन्य बहुमूल्य सामान गायब पाये गये;

(ख) यदि हां, तो हानि का व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस घटना की कोई जांच की गई है तो उसका क्या परिणाम रहा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) वास्तव में जौनपुर रेल डाक व्यवस्था कार्यालय द्वारा 24 मई, 1966 को भेजे गए 51 बीमाकृत पत्र और अन्य डाक-वस्तुओं से भरा एक रजिस्ट्री थैला जो कि एक डाक थैले में रख कर भेजा गया था, जब केराकोट में खोला गया तो वह रजिस्ट्री थैला नहीं पाया गया।

(ख) गुम हुए इस रजिस्ट्री थैले में 51 बीमाकृत पत्र, 28 रजिस्ट्री पत्र तथा कुछ मनीआर्डर रखे हुए थे। अब तक पता लगी हानि की रकम 9648 रुपये थी।

(ग) विभागीय पूछताछ का काम समाप्त हो चुका है लेकिन अपराधियों का कोई सुराग़ नहीं मिल सका। जैसे ही इस नुकसान का पता लगा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई और उनके द्वारा जांच का काम जारी है।

बागानों के श्रमक

275. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को केरल के बागानों के श्रमिकों की मजूरी संबंधी मांग पर विचार करने के लिये आयोजित किये गये उच्च स्तरीय सम्मेलन का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केरल के बागानों के श्रमिकों ने अपनी मांगें पूरी कराने के लिये हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो उन श्रमिकों की मजूरी बढ़ाने तथा बागान क्षेत्र में औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी हां।

(ख) रबड़ बागानों में 4–7–1966 से आंशिक हड़ताल हुई है ।

(ग) भारत सरकार द्वारा चाय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और वे अब क्रियान्विति के लिए चाय बागानों की मैनेजमेंट के सामने हैं । रबड़ मजूरी बोर्ड ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं भेजी हैं परन्तु यह पता चला है कि उनकी सिफारिशें बहुत जल्दी भारत सरकार को प्राप्त हो जायेंगी । बागानों में श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन करने तथा बागान क्षेत्र में औद्योगिक शांति बनाए रखने सम्बन्धी प्रश्नों पर सरकार हमेशा सक्रिय रूप से विचार करती रही है । हाल ही में केरल के बागानों की एसोसियेशन ने एक परिपत्र जारी करके पुरुषों तथा महिलाओं दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए 10–4–1966 से 24 पैसे की वृद्धि की घोषणा की है । यह वृद्धि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में समायोजित कर दी जायगी ।

बेरोजगार स्नातक

276. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कला तथा मानवशास्त्रों के स्नातकों तथा स्नातकोत्तर छात्रों की सूचियों के संख्यात्मक आंकड़ों से जो हाल में एक प्रकाशन के रूप में छपे हैं, यह पता चलता है कि उनमें से बड़ी संख्या में लोग बरोजगार हैं और उनकी प्रतिभा बेकार जाती है; और

(ख) उनको प्रतिभा तथा सेवाओं का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). प्रश्न में संभवत: 29 मई, 1966 के 'योजना' में छपे "अवर मैनपावर इन आर्ट्स एण्ड ह्यमिनितीज" नामक लेख का संदर्भ है । इस लेख में कला और मानवविद्याओं के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्तरों पर स्नातकों (ग्रजुएट्स) की संख्या तथा विज्ञान में तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं । कला और मानवविद्याओं के स्नातकों की बरोजगारी के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है; वास्तव में लेख के अन्त में यह कहा गया है कि रोजगार और व्यक्तियों के उपयोग के प्रश्न पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी ।

करल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

277. श्री मे० क० कुमारन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल ऐरनाकुलम और कालीकट में दो उत्तर-स्नातक केन्द्रों के विकास के लिए, राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को ही स्वीकार किया है और उसका विचार है कि आरम्भ केवल एक केन्द्र से ही किया जाए ।

केरल बन्द सम्बन्धी मामले

278. श्री अ० व० राघवन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1966 को हुए केरल बन्द के सम्बन्ध में केरल राज्य में प्रत्येक स्टेशन में दर्ज किये गये मामलों का ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ;

(ख) क्या निर्णयाधीन मामलों को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इन मामलों को वापस लेने के विषय में केरल के विधायकों की सलाहकार समिति की सिफारिश को पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) ऐसा करना कठिन होगा और भाग (ख) और (ग) के उत्तरों को देखते हुए हो सकता है कि ऐसा करना जरूरी भी न हो ।

(ख) विद्यार्थियों के विरुद्ध सभी मामले या तो उठा लिये गए हैं और या वापस लेने के लिये कहा गया है ।

(ग) जी हां ।

केरल में लम्बी सजायापता कैदी

279. श्री अ० व० राघवन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में लम्बी सजायापता कैदियों की संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे कैदियों की संख्या कितनी है जिनको उन न्यायालयों द्वारा सजा दी गई है जो अब मद्रास तथा मैसूर उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हैं ;

(ग) क्या लम्बी सजायापता कुछ कैदियों को रिहा करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब निर्णय किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नातकर): (क) 1268 ।

(ख) क्रमश: 18 और 13 ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालीकट में रात्रि-डाकघर

280. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालीकट में एक रात्रि डाकघर खोलने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह डाकखाना कब से चालू हो जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) तथा (ख). 1965-66 के दौरान त्रिवेन्द्रम में एक रात्रि डाकघर खोला गया है। कालीकट में भी एक रात्रि डाकघर खोलने के प्रश्न पर दूसरे राज्यों के लिए ऐसे ही अन्य प्रस्तावों के साथ 1966–67 के दौरान विचार किया जाएगा।

प्रशिक्षण केन्द्र

281. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार निरीक्षकों, मैकेनिकों तथा टेलीफोन आपरेटरों के प्रशिक्षण के लिये त्रिवेन्द्रम में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में प्रशिक्षण कार्य कब से आरम्भ होगा ; और

(ग) इस केन्द्र में प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) किराये पर एक उपयुक्त इमारत ले ली गई है और यह प्रशिक्षण केन्द्र लगभग एक महीने में चालू हो जाएगा।

(ग) प्रति वर्ष लगभग 250 प्रशिक्षार्थी।

केरल के स्कूलों में अवैतनिक शिक्षक

282. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने स्कूलों में अवैतनिक शिक्षक नियुक्त करने की योजना बनाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां।

(ख) योजना में व्यवस्था है कि जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट पूर्व अनुमति के बाद किसी स्कूल में तीन अवैतनिक अध्यापकों से अधिक नहीं रखे जा सकते हैं। अवैतनिक अध्यापकों द्वारा नियत कार्य करने की आशा की जाएगी और उन्हें हैडमास्टर के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करना होगा।

सरकारी उपक्रमों में युद्ध-सेवा वाले उम्मीदवार

283. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन् :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध-सेवा वाले उम्मीदवारों की एक अग्रिम वेतन-वृद्धि का लाभ देने के लिये बनाये गये नियम सरकारी उपक्रमों और अन्य संविहित उपक्रमों में नियुक्त उम्मीदवारों पर लागू नहीं होते हैं ; और

(ख) सभी पात्र कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नास्कर) : (क) और (ख). इस लाभ को देने वाले आदेश युद्ध सेवा वाले केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर लागू होते हैं जो सरकार के अधीन असैनिक पदों पर नियुक्त कर दिये गये हैं ।

सार्वजनिक उपक्रमों तथा संविहित निकायों पर ये आदेश लागू नहीं होते ।

ब्रिटिश बागान मालिक का निष्कासन

284. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री वृजबासी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल में एक ब्रिटिश बागान मालिक को देश की सुरक्षा विरोधी उसकी गतिविधियों के कारण भारत छोड़कर जाने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियां किस प्रकार की थीं ; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें आसाम और नागालैंड भी शामिल हैं, अलग होने की भावना को प्रोत्साहन देने वाले विदेशी बागान मालिकों को भी इसी ही प्रकार के आदेश दिये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

285. **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मौर्य :
श्री बागड़ी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सोनावने :
श्री गुलशन :
श्री बसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मई, 1966 को प्रातःकाल पूर्वी पाकिस्तान राइफलमैनों ने आसाम में कछार के गोविन्दपुर क्षेत्र में भारतीय सीमा सुरक्षा सेना पर गोलीबारी की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस गोलीबारी का ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान की इस कार्यवाही के कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 17 मई, 1966 को 7.45 बजे सात पाकिस्तानी नागरिक जिनको पूर्वी पाकिस्तानी राइफल के एक गश्ती दस्ते की सहायता प्राप्त थी गोविंदपुर गांव में भारतीय क्षेत्र में 30 से 40 गज अन्दर तक घुस आये और वहां की जमीन पर हल चलाने को कोशिश की । जब हमारे गश्ती दल ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार करने की चेष्टा की तब पूर्वी पाकिस्तान राइफल के दस्ते ने तीन बार गोली चलाई और हमारे दस्ते को जवाब में गोली चलानी पड़ी । इस पर पाकिस्तानी उस क्षेत्र से भाग खड़े हुए ।

Damage To Religious Places During Indo Pakistan Conflict

286. Shri Hukam Chand Kachhayaiya :
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :
Shri Bade :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri D. J. Naik :

Will the Minister for **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the last Indo-Pak conflict, Pakistan destroyed seven temples, two gurdwaras and one church ;

(b) whether it is also a fact that as a result of bombing on St. Paul Church, there was a loss of about 5 lakhs of rupees;

(c) the total amount of damage done by the destruction of temples, gurdwaras and churches;

(d) the action taken by Government in respect thereof; and

(e) the full details of the damage done by Pakistan in villages and to religious places in the country ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) According to information available with us, some temples and other religous places were damaged due to Pakistani attack during the last conflict. Information about the exact number of places of religious worship damaged is being collected.

(b) Yes, Sir.

(c) From information so far available, the damage caused amounts to nearly Rs. 8 lakhs.

(d) No particular action is contemplated by Government of India in this behalf.

(e) The extent of damage to religious places has already been given in answer to part (c) of the question. Information about damage to villageS will be collected and laid on the table of the House in due course

Pakistani Trespassing

287. Shri Kukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani gang trespassed and cut trees in Phul Kumari forest at Tripura-Comila border during the last week of April;

(b) if so, the loss as a result thereof; and

(c) the action taken in this respect ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)

(a) Yes, Sir.

(b) Exact figure of loss on account of felling of trees is not known. There was, however, no loss of life on our side.

(c) Government of Pakistan has been requested to bring the culprits to book and to take steps to prevent such trespass and commission of crimes in future.

***Telegraph and Telephone Link with Pakistan**

***289. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether complete Post, Telegraph and Telephone links between Lahore and Amritsar have been etsablished;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons therefor ?

Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) Postal services have been restored completely. Telegraph & telephone lines have been partially restored between Amritsar and Lahore.

(b) and (c). *Postal Communications.* The Postal services have been completely restored between India and both wings have Pakistan with effect from 11th February, 966. Prior to the suspension of the service in Sept. '65 the mails for and from West Pakistan were carried by train between Amritsar and Lahore and exchanged at Lahore. Pending resumption of train service between Amritsar and Lahore, the mails are exchanged at Hussainiwala Bridge near Ferozepore.

Telecommunication facilities : The telegraph and telephone links have been partially restored between India and Pakistan *via* Amritsar-Lahore route.

A total number of 4 pairs of copper wires were originally existing between Amritsar and Lahore which were completely disrupted during Sept. '65 conflict. One pair of copper wires was restored between Amristar and Lahore during the month of February, 1966. Direct speech circuits between Amritsar and Lahore and New Delhi-Lahore were provided on 11-2-66. The telegraph outlet between New Delhi and Lahore was commissioned on 14-2-1966.

Delhi Parents-Teachers Council

290. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Rishang Keishing :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1393 on the 27th April, 1966 and state :

(a) whether Government have since considered the demand made by the Delhi Parents-Teachers Council; and

(b) if so, the action taken in this connection ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes Sir.

(b) The Council's demand for appointing a Statutory Commission to look, *inter alia*, into certain allegations against the Delhi Directorate of Education, Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee and the Managements of Private aided schools, as well as into certain cases of so-called victimisation has bot been accepted.

केन्द्रीय उच्च न्यायालय

291. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में देरी दूर करने और बकाया मामलों को निपटाने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय उच्च न्यायालय बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय मामला किस अवस्था में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अभी सरकार के सामने ऐसा कोई सुझाव नहीं है। विधि मंत्री ऐसे उपाय खोज रहे हैं जिनसे उच्च न्यायालयों को बकाया काम से छुटकारा दिलाया जा सके और मामले तेजी से निपटाये जा सकें।

भारतीय पेट्रोलियम संस्था

293. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूनेस्को ने भारतीय पैट्रोलियम संस्था के परिष्करण (रिफाइनिंग) डिवीजन को सुदृढ़ करने तथा इस संस्था में पेट्रोलियम-रसायन डिवीजन स्थापित करने के उद्देश्य से लाख को परियोजना के बारे में एक योजना पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। 'इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून' में परिष्करण (रिफाइनिंग) और पैट्रो-रसायन प्रभाग स्थापित करने के लिए भारत सरकार और राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (विशेष फण्ड) के बीच 2,504,550 अमरीकी डालर की अनुमानित लागत पर परिचालन की एक आयोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की तरफ से यूनेस्को निष्पादन एजेन्सी का कार्य करेगी।

(ख) आयोजना की मुख्य रूपरेखा नीचे दी गई है :—

1. आयोजना के परिचालन की अवधि चार वर्ष की होगी।

2. राष्ट्र संघ विकास आर्यक्रम का हिस्सा निम्न प्रकार, 1,254,550 अमरीकी डालर होगा :—

	अमरीकी डालर
(i) विशेषज्ञ (सलाहकार)	33,200
(ii) अधिछात्रवृत्तियां . .	56,000
(iii) उपस्कर और सामान	4,95,000
(iv) वैयक्तिक सेवाएं . .	5,02,850
(v) यात्रा व्यय . . .	28,800
(vi) अन्य व्यय . .	1,38,700
	12,54,550

भारत सरकार का अपना हिस्सा सामग्री के रूप में 59,52,500.00 रुपए होगा।

मास्टर तारा सिंह के विचार

294. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा दी गई चेतावनी के उत्तर में मास्टर तारासिंह की सिख बहुसंख्या क्षेत्र संबंधी हठ की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस मामले में सावधानी से निगरानी की जा रही है।

पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह

295. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह स्थापित करने में सहयोग देने के बारे में विदेशी गैर-सरकारी कम्पनियों ने हाल में कोई पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं ;

(ग) पेशकश की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) 1964 के अन्त में गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के बारे में सहयोग के लिए प्राप्त प्रस्तावों के अतिरिक्त, जिस के विषय में सदन को पहले से ही मालूम है, हाल में किसी विदेशी गैर-सरकारी कम्पनी से कोई पेशकश नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

296. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रा० बरुआ :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बासप्पा :
डा० श्री निवासन :
श्री गुलशन :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मुथिया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री किशन पटनायक :
श्री लखमू भवानी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 6504/66]**

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Attack By Armed Nagas

298. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on or about the 15th May, 1966, the armed Nagas attacked a village in the Ukhrul sub-division of Manipur;

(b) whether the rebles in this area have strongly fortified their positions; and

(c) if so, the action taken in the matter?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no such information. It is true, however, that Naga hostiles have been observed moving in this area.

(c) Suitable preventive measures have been and are being taken.

Schools For Children of the Employers of Public Sector Undertakings

299. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleasd to state:

(a) whether Government have opened Schools and Colleges on all-India basis for the children of the employees of Public Sector Undertakings where the syllabus and medium of education would be the same;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the steps taken to remove the difficulties regarding the education of children of those employees?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Besides, shcools available in the locality, Central Schools (100 of which have been established so far), also admit them, subject to availability of seats. In several cases, the Undertakings are making their own arrangements for running schools for these children.

Birth Centenary Celebrations of Mahatma Gandhi

300. **Shri Rishang Keishing :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by Government to the Mahatma Gandhi Birth Centenary Celebrations Committee for celebrating the Centenary;

(b) whether this Committee received money from the State Governments/public also; and

(c) the programme chalked out and the steps taken by the Committee in this regard so far ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Rupees One lakh.

(b) Yes, Sir.

(c) The programme chalked out and the steps taken by the Committee are given in the statement attached. [Placed in the Library. *See* No. LT-6505/66.]

Haldia Refinery

301. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K .N. Tiwary :
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri Warior :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri R. S. Pandey :
Shri R. Barua :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri C .K. Bhattacharyya :
Shri Dighe :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a final decision regarding the country with whose collaboration the Haldia Oil Refinery would be set up; and

(b) if so, the salient features thereof?

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) No.

(b) Does not arise.

बेईमान ठेकेदार

302. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेईमान ठेकेदारों, संभरणकर्ताओं तथा माल उठाने वाले एजेन्टों की देश व्यापी सूचियां तैयार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण त्रुटि रहित हो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और क्या उसके अनुसरणात्मक कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1966 में सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय सरकारी विभाग तथा निगमित उपक्रम बईमान ठेकेदारों, सम्भरण कर्ताओं तथा माल उठाने वाले एजेन्टों की सूचियां तैयार कर रही हैं।

(ख) विभागों तथा उपक्रमों को हिदायतें दी गई हैं कि ये इन सूचियों को तैयार करने में यथायोग्य सावधानी से काम लें। इन सूचियों में शामिल लोगों के बारे में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

(i) सूचियों की प्रतियां केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों तथा उपक्रमों को भेजी जायेगी। इनके साथ ऐसी हिदायतें भी होंगी कि सभी ऐसे लोगों से व्यवहार करते समय सावधान रहें।

(ii) ऐसे लोगों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों और उनके द्वारा किये गये व्यापारिक

1129 (ai)LS4.

सौदों की कड़ाई के साथ जांच और छानबीन ।

(iii) इन लोगों द्वारा बेईमानी के स्पष्ट मामले सामने लाना ताकि उनके खिलाफ खुली जांच की जा सके।

आसाम और मनीपुर में तोड़-फोड़ करने की नागाओं की योजना

303. **श्री हेम बरुआ :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्री नाथ पाई :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंदन के लिये रवाना होते समय पादरी माइकल स्कॉट के कब्जे से बरामद किये गये कुछ कागजों से पता चला है कि आसाम और मनीपुर में तोड़-फोड़ करने की नागाओं की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या था तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में उन लोगों की विद्रोह-पूर्ण कार्यवाहियों को भविष्य में रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर बंगाल में विदेशी एजेंट

304. **श्री हेम बरुआ :** **श्री मधु लिमये :**
श्री हरि विष्णु कामत : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री नाथ पाई : **श्री बागड़ी :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री किशन पटनायक :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की ही भांति उत्तर बंगाल के पर्वतीय जिलों में सरकार के विरुद्ध वहां के पर्वतीय लोगों में असन्तोष फैलाने के लिये कुछ विदेशी एजेन्ट इस समय सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराया है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट

305. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जनता के एक वर्ग ने विशेषकर एक राजनीतिक दल ने चीन द्वारा उद्जन बम के विस्फोट के समाचार का बड़े जोश के साथ स्वागत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह जोश प्रदर्शन किस प्रकार का था और इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सरकार को सूचना मिली है कि भारत के साम्यवादी दल (वामपक्षी) ने चीन द्वारा उद्जन बम के विस्फोट का स्वागत किया है। उस दल के प्रवक्ताओं ने चीन द्वारा आणविक बमों का निर्माण इस आधार पर उचित ठहराया कि चीन को अमरीका से आणविक युद्ध का खतरा है ।

मिजो पहाड़ियों की स्थिति

306. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री गुलशन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रा० बरुआ :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मा० श्री० अणे:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के मिजो पहाड़ी जिले की आधुनिकतम स्थिति कैसी है और क्या अब यह जिले पूरी तरह असैनिक प्रशासन के अधीन आ गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोहियों को भारत के विरुद्ध उनके विद्रोह में इस समय पाकिस्तान और चीन से ठोस समर्थन मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है और स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) मिजो पहाड़ी जिला लगातार असैनिक प्रशासन के अधीन चला आ रहा है । अधिकतर क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा चुकी है । किन्तु मिजो नेशनल फ्रंट ने अभी हाल ही में अपनी गतिविधियां तीव्र कर दी हैं और पुलिस तथा फौज के साथ कुछ झड़पें हुई हैं ।

(ख) सरकार को चीनी सहायता के बारे में कुछ नहीं मालूम, जब कि पाकिस्तान से मिजो विद्रोहियों को सहायता मिली है ।

(ग) मिजो नेशनल फ्रंट के वालिंटियर मार्च 1966 में शरण लेने तथा सहायता प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान गए थे । वे प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा शस्त्र लाने के लिये पाकिस्तान जाते रहे हैं । मिजो नेशनल फ्रंट को शस्त्र तथा अन्य उपकरण और सुविधाएं देने के विरुद्ध पाकिस्तानी उच्चायुक्त को विरोधपत्र दिये गए हैं ।

मिजो विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये सरकारी कर्मचारी

307. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० मा० श्री अणे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोहियों ने विद्रोह के दौरान उनके द्वारा पकड़े गये सरकारी कर्मचारियों को हाल ही में "पाकिस्तान में किसी स्थान" छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को छोड़ा गया है और क्या कोई कर्मचारी अभी वहीं रह गया है अथवा "लापता" है ; और

(ग) क्या सरकार इन रिहा किये गये कर्मचारियों से मिजो विद्रोहियों की भावी सामरिक नीति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकी है और यदि हां, तो वह जानकारी क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) अब तक मिजो विद्रोहियों द्वारा 56 कर्मचारी छोड़ गए हैं और 22 कर्मचारी अभी तक लापता हैं ।

(ग) इस बारे में सूचना देना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

मिजो लोगों द्वारा अधजले करेंसी नोटों का बदलवाया जाना

308. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मई, 1966 को कुछ मिजो लोग आधे जले नोटों के बण्डल बदलवाने के लिये गौहाटी स्थित भारत के रक्षित बैंक में आये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे नोट कितनी राशि के थे ; और

(ग) बैंक अधिकारियों द्वारा गौहाटी की पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई तथा इस प्रकार से मिज़ो लोगों को क्यों भागने दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) 750 रुपये के नोट बदलवाये गये।

(ग) ये अधजले नोट एजल बाजार के मैसर्स पछुहूंगा एण्ड सन्स की सम्पत्ति थे और सूचना के अनुसार मार्च, 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट की कार्यवाही में जलाये गये थे। गौहाटी स्थित भारत के रक्षित बैंक के एजेन्ट ने पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं समझा क्योंकि ये नोट असली थे। किन्तु पुलिस ने सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ की। पूछताछ के परिणामस्वरूप आगे कोई कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा गया।

कार्यालय अभिस्थापन मितव्ययिता

309. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के जिन-जिन विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों में कार्यालय अभि-स्थापन मितव्ययिता योजना अब तक लागू की गई है, उनमें यह योजना कहां तक सफल रही है ; और

(ख) कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई है और उनमें से कितने लोगों को अन्य रोजगार दे दिया गया है और इस प्रकार कितने धन की बचत हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) ऐसा ख्याल किया जाता है कि एक 'अधिकारी प्रधान' ढांचे के अनुसार पुनर्गठन की ओर संकेत किया गया है। अब तक इसे निम्न-लिखित कार्यालयों में लागू किया गया है :—

निर्माण आवास तथा नागरिक विकास मन्त्रालय

(i) निर्माण खण्ड में 18–10–1965 से

(ii) सम्पदा खण्ड में 1–7–1966 से

सम्भरण तथा निपटान का महानिदेशालय

(iii) तेल, रोगन तथा रासायनिक निदेशालय में 1–3–1966 से

(iv) लकड़ी, ऊन तथा चमड़ा निदेशालय में 1–4–1966 से।

इस पुनर्गठित व्यवस्था को काम करते अभी इतने दिन नहीं हुए कि इसके फलस्वरूप स्पष्ट रूप से कोई निष्कर्ष निकाले जा सकें।

(ख) उन लोगों की संख्या जो फालतू घोषित हुए, उनको अन्य काम पर लगाने का ढंग और इस प्रकार होने वाली बचत इस प्रकार है :–

खण्ड का नाम	पद	फालतू घोषित व्यक्तियों की संख्या	समान पदों पर पुनः लगाये गए व्यक्तियों की संख्या	उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग में लगाये गए व्यक्तियों की संख्या	अनुमानित बचत की राशि (वार्षिक)
					रु०
(i) निर्माण .	सहायक	19	16	3	1,26,000
(ii) सम्पदा	सहायक	8	7	1	16,400
	यू० डी० सी०	1	1	..	
	एल० डी० सी०	2	2	..	
(iii) सम्भरण और तथा (iv) निपटान का महानिदेशालय	सहायक	19	..	19	1,05,000

सीमा सुरक्षा पुलिस

310. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सीमावर्ती राज्यों में किस हद तक सीमा सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) इस व्यवस्था के आरम्भ होने के बाद यह पुलिस कैसा काम कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पाकिस्तान के साथ लगने वाले सभी सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा दलों का संगठन किया गया है।

(ख) इस थोड़े से समय में जब से इसका निर्माण हुआ है, इसने अपने संगठन का उचित दिशा में निर्माण किया है और अपने कर्तव्य को संतोषजनक ढंग पर निभा रहा है।

प्रशासनिक व्यवस्था में लाल फीताशाही

311. श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम हरख यादव :
श्री काजरोलकर :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री इम्बीची बावा :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री नम्बियार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था में लाल फीताशाही को कहां तक कम किया गया है ;

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग अन्तिम प्रतिवेदन देने से पूर्व कोई अन्तरिम प्रतिवेदन देगा और यदि हां, तो कब ; और

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): (क) कोई तैयार उपाय नहीं है, किन्तु सुधार करने के लिये उठाये गए उपायों की रूपरेखा प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिवेदन में दी गई है ।

(ख) कोई अंतरिम प्रतिवेदन देने के बारे में आयोग अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है ।

(ग) अभी तक के अनुमान के आधार पर सितम्बर 1967 तक ।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (पी०) लिमिटेड से बैरलों का क्रय

312. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन बैरलों सम्बन्धी अपनी मांग के क्रयादेश मेंसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (पी०) लिमिटेड को देता रहा है ;

(ख) क्या इस फर्म का नाम सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के रजिस्टर से बिल्कुल निकाल दिया गया है और लोहा और इस्पात तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालयों ने इसे काली सूची में डाल दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा इस फर्म को क्रयादेश दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां; हाल तक ।

(ख) जी हां ।

(ग) अप्रल, 1966 में भारतीय तेल निगम को इस फर्म के काली-सूची में दर्ज होने का पता लगा । तब से निगम ने इस फर्म को आर्डर न देने का फैसला किया है ।

बरशेन घरेलू गैस का सम्भरण

313. श्री भागवत झा आजाद : श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाइड गैस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की बरशन घरेलू गैस से दिल्ली राज्य में उपभोक्ताओं को मार्च 1966 से बड़ी असुविधा और परेशानी उठानी पड़ रही है; और

(ख) क्या खाली सिलण्डर बदलने के लिये व्यादेशों का घण्टों तक पालन नहीं किया जाता है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नही है ।

(ख) सरकार को यह सूचना है कि कार्य के समय पुनः भरने का काम दो घण्टे के अन्दर शीघ्र ही पूरा किया जाता है । कार्य के समय के बाद प्राप्त होने वाले सन्देशों को जल्द से जल्द अगले दिन पूरा किया जाता है ।

अम्बाला छावनी में बम विस्फोट

314. श्री गुलशन : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला छावनी में मई, 1966 में हाथ से फेंका जाने वाला जो बम फटा था वह किस प्रकार का था और उस पर किस देश में बने होने के चिन्ह थे;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ग) ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाली किस्म का एक फ्यूज सं० 233 एम० के० आई० अचानक फट गया । दो व्यक्ति मारे गए । ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिये कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह एक संयोगवश होने वाला विस्फोट था ।

विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श अधिनियम

315. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती रेणुका राय : श्री रिशांग किशिंग :
श्री यशपाल सिंह : श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के लिये एक आदेश अधिनियम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसे कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) "विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम" समिति, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1961 में गठित की गई थी, की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों के संगठनात्मक ढांचे को नियंत्रित करने के लिए सामान्य सिद्धान्त सुझाए हैं, किन्तु कोई आदर्श अधिनियम तैयार नहीं किया गया है ।

(ग) समिति की रिपोर्ट उपयुक्त कार्यवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई है । क्योंकि "शिक्षा" एक राज्य विषय है, इसलिए समिति की सिफारिशों पर अमल करना मुख्यतौर से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

शेख अब्दुल्ला

316. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला के रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) क्या हाल में उन्हें रिहा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) (क) सरकार को ऐसे किसी परिवर्तन का प्रमाण नहीं मिला।

(ख) उन्हें रिहा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत रक्षा नियमों का प्रयोग

317. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री यशपाल सिंह :
श्री नम्बियार : श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री काशीराम गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री वासुदेवन नायर :
श्री रघुनाथ सिंह ; श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रक्षा नियमों का प्रयोग केवल सीमान्त क्षत्रों के लिये सीमित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है और इन क्षेत्रों को किन आधार पर छांटा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) भारत सुरक्षा नियमों के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबन्धों की प्रकृति और सीमा को गृह मंत्री द्वारा 18 मई, 1966 को लोक सभा में दिये गए वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया है। इसके एकदम बाद भारत सुरक्षा नियमों में एक नया नियम 3क जोड़ दिया गया जिसके अनुसार नये नियम के अन्तर्गत जारी किये गए आदेश में अधिसूचित अधिकारों का उपयोग करने वाली राज्य सरकार को पहले केन्द्र से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 18 मई, 1966 की अधिसूचना जिसमें नियम 3क दिया गया था और 19 मई, 1966 को जारी आदेश संख्या 1529, 1530, और 1531 क्रमशः उन्हीं तारीखों के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। कुछ सीमान्त राज्यों और क्षेत्रों को भारत सुरक्षा अधिनियम तथा नियमों का प्रयोग करने की इजाजत केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी जरूरतों के ख्याल से दी गई हैं।

रिक्शा चलाने का धंधा

318. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथ से चलाये जाने वाली रिक्शाओं के चलाने पर समान प्रतिबन्ध लगाने तथा उसके कारण बेरोजगार होने वाले लोगों को अन्य रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकारों से सलाह की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकारों का क्या रुख रहा है ;

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) रिक्शा चलाने के धन्धे को समाप्त करने के प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यता राज्य सरकारों से है, परन्तु भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकारों को पत्र लिखें हैं और समय समय पर सुझाव दिए हैं :

ये सुझाव इस प्रकार हैं :—

(i) रिक्शा चलाने के धन्धे को समाप्त करने के लिए एक चरणात्मक कार्यक्रम तैयार करना, और इस बीच—

(ii) काम की दशाओं, डाक्टरी परीक्षा, आदि के बारे में समुचित विनियम निर्धारित करना ।

(iii) रिक्शा चलाने वाले मजदूरों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देकर दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण को रोकना।

राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य में व्याप्त स्थितियों के अनुसार और विभिन्न तथ्यों जैसे रिक्शा चलाने वालों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था और ऐसे नगरों तथा उप-नगरों के गरीब व्यक्तियों के लिए, जहां संचार के सस्ते साधनों की भारी मांग है, वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठा रही हैं।

मिजो तथा नागा विद्रोही

319. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1966 तक कितने मिजों तथा विद्रोही लोग लड़ाई के दौरान मारे गये; और

(ख) नागा तथा मिजों विद्रोहियों की विद्रोही कार्यवाहियों के कारण सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

पंजाब सीमा आयोग

320. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कोल्ला वेंकैया :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज :
श्री ह० च० सोय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा ; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) पंजाब सीमा आयोग ने 31 मई, 1966 को अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया—प्रतिवेदन की प्रतियां 26 जुलाई, 1966 को लोक-सभा के सभा-पटल पर रखी गई।

(ग) आयोग की सिफारिशें कुछ संशोधन के साथ स्वीकार की गई हैं। पंजाब राज्य के पुनर्गठन के लिये आवश्यक विधि व्यवस्था तैयार की जा रही है।

गोश्रा का महाराष्ट्र में विलय

321. श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुश्रा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोश्रा को महाराष्ट्र में विलय करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : गोश्रा के भविष्य के फैसले से सम्बन्धित कुछ कदमों के बारे में अभी निर्णय किये जाने हैं।

गुप्त ट्रांसमिटर

323. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या गृह-कार्य मंत्री 2 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई तथा जून, 1966 में एक गुप्त ट्रांसमिटर द्वारा नागालैण्ड क्षेत्र के आस-पास वार-बार प्रसारण किया जाता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसे प्रसारणों की कोई सूचना नहीं मिली ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्ध

324. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री रामपुरे :
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1608 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायकों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्धों के बारे में प्रारूप संहिता को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रारूप संहिता की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रारूप संहिता को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) प्रारूप संहिता अभी तक विचाराधीन है ।

तकनीकी संस्थाओं के लिये अमरीकी ऋण

325. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री 16 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका में निर्मित साज-समान प्राप्त करने के सम्बन्ध में तकनीकी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अमरीकी सरकार से ऋण के बारें में चल रही बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : समझौते को अन्तिम रूप देने में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है ।

तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा

326. श्रीमती विमला देवी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उस अवधि में वह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है ;

(ख) तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई थी और उस में से कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) चौथी योजना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तरों के लिए निर्धारित 85·5 लाख, 12·8 लाख और 4·7 लाख की अतिरिक्त भर्ती के लक्ष्यों की अपेक्षा क्रमशः 68·1 लाख, 11·7 लाख और 5·6 लाख के लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(ख) तीसरी आयोजना के दौरान लड़कियों की शिक्षा के लिए 175 करोड़ रुपये उपलब्ध होने की सम्भावना रही है । किन्तु, खर्च हुई रकम बताना संभव नहीं है क्योंकि राज्यों की वार्षिक आयोजनाओं में इस प्रयोजन के लिए अलग से आंकड़े नहीं दिए गए हैं । इसके अलावा, 1965–66 के दौरान लड़कियों की शिक्षा की गति को तेज करने के लिए राज्यों और संघीय क्षेत्रों को 26·10 लाख रुपये की राशि नियत की गई थी ।

तीसरी आयोजना के दौरान, महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 6,48,460/- रु० का सीधे ही अनुदान स्वीकृत किया गया था । तीसरी आयोजना के दौरान लड़कियों की शिक्षा पर सेमिनार आयोजित करने के लिये राज्यों को भी 28,122/- रु० की रकम स्वीकृत की गई थी ।

(ग) सामान्य शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की गई व्यवस्थाओं के अलावा, जिसमें से लड़कियों की शिक्षा के लिए उसका उचित भाग मिलेगा, स्कूल स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विशेष योजनाओं के लिए आयोजना के मसौदे में 32·20 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। इन योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :—

1. अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों का निर्माण ;
2. लड़कियों के लिए छात्रावास ;
3. सफाई खण्ड ;
4. माइयों की नियुक्ति ; और
5. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं के लिए भत्ता।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन किया गया है ताकि यह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में लड़कियों की शिक्षा के प्रति व्यापक रूची उत्पन करने के लिये महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् तथा राज्य परिषदें चौथी आयोजना के दौरान कार्य करती रहेंगी। इस प्रयोजन के लिए जनमत तयार करने के लिए महिला शिक्षा के संबंध में चल-चित्र फिल्म तैयार किए जा रहे हैं और लड़कियों की शिक्षा की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वच्छिक शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने की योजना चौथी आयोजना के दौरान भी जारी रखी जाएगी, जिसके लिए 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

Pay Scale of Teachers

327. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghunath Singh :
Shri H.N. Mukerjee :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bade :
Shri S.C. Samanta :
Shri M.L. Dwivedi :
Shri Rajdeo Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri D.C. Sharma :
Shri Subodh Hansda :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri I.C. Borooah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether programmes in connection with the improvement of the pay scales of the Primary and Secondary School teachers throughout the country are also under the consideration of Government;

(b) if so, when a final decision is likely to be taken in the matter ;

(c) whether any memoranda have been submitted to Government by the Primary and Secondary School teachers or by their Associations; and

(d) if so, Governments' reaction thereto ?

Minister of Education (Shri M.C. Chagla): (a) The Education Commission's Report contains some recommendations in this behalf and except in so far as these recommendations are being examined by the Ministry, along with other recommendations of the Commission, there is no programme under consideration of the Central Government.

(b) Does not arise.

(c) Yes.

(d) Pay scales of teachers at the school stage are the concern of State Governments.

Central University in Each State

328. **Shri Prajash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in connection with the scheme to establish at least one Central University in each State in the country;

(b) whether the University Grants Commission at their level, have also, obtained some information in this regard; and

(c) if so, how far the Commission agree with this scheme ?

Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) The question of establishing at least one Central University in each State as recommended by the Conference of State Education ministers held in October, 1962 and subsequently by the Committee on Higher Education in their Report published in 1964 has been examined by the Education Commission which has expressed itself against the proposal. The report of the Commission is, however, still to be considered by the University Grants Commission and the Ministry of Education.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

व्हिटले परिषद् योजना

329. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० क० गोपालन :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री दशरथ देव :
श्री प्र० प्र० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में व्हिटले परिषद् योजना क्रियान्वित की गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना के कब से आरम्भ हो जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) आशा है कि इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त परिषदें बहुत शीघ्र ही काम करना शुरू कर देंगी ।

राज्यों में प्राथमिक शिक्षा

330. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या शिक्षा मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5137 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों का ध्यान राज्य नीति के सम्बद्ध निदेशक तत्व की ओर दिलाया है यहां प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की सलाह के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जहां तक प्राइमरी स्तर (6–11 आयुवर्ग) तक शिक्षा का संबंध है, विशेष स्कूलों तथा पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों के कुछ स्कूलों को छोड़कर, सारे देश में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

शहरी इलाकों में भी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता की ओर पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार, निगम अधिकारियों के सहयोग से शहरी इलाकों में भी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करने की योजना तैयार कर रही है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए किसी विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव नहीं है।

अपनी इच्छा से पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्ति

331. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 11 मई, 1622 के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 12411 व्यक्तियों के वापस लौट आने के सम्बन्ध में जो गत वर्ष सितम्बर मे संघर्ष के दौरान "अपनी इच्छा से" पाकिस्तान चले गये थे, भारत रक्षा नियम सम्बन्धी नई नीति के प्रभाव के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों में ग्राम पंचायतों के बहुत से सरपंच तथा सदस्य शामिल हैं ;

(ग) क्या निर्दिष्ट इन व्यक्तियों को भारत वापस लौट आने की अनुमति दी जायगी ; और

( ) उनके नागरिकता सम्बन्धी अधिकारों के बारे में कानूनी स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) स्वेच्छा से जाने वालों पर भारत रक्षा नियमों की व्यवस्थाओं के संशोधनों के प्रभाव की लगातार समीक्षा की जा रही है।

(ख) जी हां, थोड़े से।

(ग) इन व्यक्तियों की वापसी का नियमन 27 दिसम्बर, 1965 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित 25 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या सामान्य परिनियत नियम, 1893 द्वारा होता है ।

(घ) उपरोक्त संशोधन से उनके नागरिकता सम्बन्धी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

श्रम कानून

332. श्री मधु लिमये : श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी : श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एसा एक वक्तव्य दिया था कि जब पहले वह इस मंत्रालय के मंत्री थे उस समय पारित किये गये कुछ श्रम कानून तथा कुछ अन्य लाभकारी श्रम कानून कार्यान्वित नही किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का इरादा कार्मिक संघों को मान्यता देने संबंधी कानून के अन्तर्गत जो अभी भी विधि पुस्तक में मौजूद हैं परन्तु जिसे कार्यान्वित नहीं किया गया है, अधिसूचना जारी करने के बारे में अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का है ; और

(घ) श्रम कानूनों को ठीक तरीके से कार्यान्वित किया जाये इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। संभवतः माननीय सदस्य श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा, 1966-67 के लिए इस मंत्रालय के अनुदानों की मांग के सम्बन्ध में लोक-सभा में हुई बहस के उत्तर में, की गई टिप्पणी की ओर संकेत कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा था कि कार्यान्विति की गति में अधिक प्रगति नहीं हुई। उन्होंने आर्थिक और प्रौद्योगिक प्रगति के प्रकाश में यत्र-तत्र अधिनियम में मामूली संशोधन करने की आवश्यकता का उल्लेख किया; उन्होंने सामाजिक चेतना की आवश्यकता का भी उल्लेख किया ताकि श्रमिकों के लिए जिस कानून की व्यवस्था की जाए वह ईमानदारी और कारगर ढंग से कार्यान्वित हो सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी नहीं ।

(घ) कार्यान्विति की प्रभावशालिता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार प्रत्येक मामले के हालात को ध्यान में रखते हुये उचित प्रयास जारी रखेगी। जहां कहीं आवश्यक हुआ, वहां अधिनियमों में संशोधन किया जायगा, प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाया जायगा और अपेक्षित सामाजिक चेतना पैदा की जायगी। इस सम्बन्ध में यह बताना संगत होगा कि राज्य सरकारें अनेक श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है।

1129(Ai) LS—5.

Employme for Scheduled Caste Candidates

333. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) whether the list of Scheduled Caste candidates seeking employment is very long at the Employment Exchanges in Delhi;

(*b*) the categories in which they seek employment ; and

(*c*) since when they have been on the waiting lists ?

Minister of Labour, Employment and Rehablitation (**Shri Jagjivan Ram**) : (*a*) and (*b*).

Broad Occupational Groups	No. of Scheduled Caste applicants on the live register as on 30-6-66.
Professional, Technical and related workers	692
Administrative, Executive and related workers	4
Clerical workers	182
Agricultural workers	60
Workers in Transport and Communication occupations	37
Craftsmen and Production Process workers	204
Service, Sport and Recreation workers	54
Unskilled workers	4,380
Workers without previous work experience:	
(*a*) Graduates	110
(*b*) Matriculates	1,723
(*c*) Middle Standard passed	758
(*d*) Below Middle Standard	640
Total.	8,844

(*c*) :

Period for which candidates remained on the live register	No. of candidates
Less than 6 months	4,655
More than 6 months but less than a year	2,009
More than a year but less than two years	1,103
More than two years but less than three years	748
Over three years	329
Total	8,844

Television Sets in Delhi Schools

334. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Education be pleased to state :**

(*a*) the number of Government Secondary and Higher Secondary schools in Delhi where television sets have been provided ; and

(*b*) when they are likely to be provided in the remaining schools ?

Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (*a*) 132.

(*b*) 39 more schools are expected to be provided with gift television sets this year. The facilities will be extended to the remaining schools according to the availability of the gift sets.

पत्तन तथा गोदी कर्मचारी

335. **श्री यशपाल सिंह :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोनस का तुरन्त भुगतान करने और पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित सकल मजूरी के 25 प्रतिशत की अन्तरिम सहायता देने के बारे में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). स्थिति इस प्रकार है :—

बोनस : बोनस के भुगतान सम्बन्धी पत्तन कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जा रहा है। जहां तक गोदी कर्मचारियों का सवाल है, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन और मद्रास के पत्तनों में बोनस योजनायें लागू हैं।

अंतरिम सहायता : पत्तन तथा गोदी श्रमिक मजूरी बोर्ड ने अंतरिम सहायता की मंजूरी के लिए सिफारिशें की थीं और वे सरकार द्वारा अप्रैल, 1965 में स्वीकार कर ली गईं। पता चला है कि अब अखिल भारतीय पत्तन और गोदी संघ ने मजूरी बोर्ड के सामने दूसरी अंतरिम सहायता का प्रश्न उठाया है।

सेलेक्शन ग्रेड पदों का बनाया जाना

336. **श्री राम हरख यादव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में सेलेक्शन ग्रेड असिस्टेंटों तथा लोअर डिवीजन कलर्कों के पद बनाये जाने के बारे में कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय में एक से अधिक बार विचार किया गया है किन्तु सहायकों तथा लोअर डिवीजन क्लर्कों के सिलेक्शन ग्रेड पद बनाने की मंजूरी देना सम्भव नहीं हो सका।

जांच आयोग अधिनियम

339. श्री बागड़ी : श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री सार्वजनिक सभा में प्रधान मंत्री के भाषण के बाद भगदड़ के बारे में 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5176 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच आयोग स्थापित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस मामले में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आसाम सरकार ने अभी जांच आयोग स्थापित नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांधी हत्या काण्ड

340. श्री बागड़ी : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक : श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामसेवक यादव : श्री सोनावने :
श्री मधु लिमये : श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच करने के लिये नया आयोग स्थापित करने के बारे में क्या सरकार ने इस बीच निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के कौन-कौन से सदस्य होंगे ; और

(ग) यह आयोग अपना काम कब आरम्भ कर देगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

कानपुर के एक व्यापारी के विरुद्ध आरोप

341. श्री बागड़ी : श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक : श्री बी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री कानपुर के एक व्यापारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में 11 मई,

1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को नालीदार चादरें भेजने के आरोप में उस व्यापारी के विरुद्ध की जा रही कानूनी जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जांच पूरी करने के बाद कानूनी सलाह ली गई है। जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि कानपुर से नरोदा (अहमदाबाद) के लिये बुक की गई नालीदार चादरों में से कोई चादर अवैध रूप से पाकिस्तान भेजी गई थी। 8 व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश की धारा 4 के साथ-साथ पढ़ी जाती हुई भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 (ख) के अधीन आरोप-पत्र दाखिल करने का फैसला किया गया है।

विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं

342. डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री मधु लिमये : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री किशन पटनायक :

क्या शिक्षा मंत्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1611 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6506/66]

डाक तथा तार अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन का दुरुपयोग

343. श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास पर टेलीफोनों के बिलों का भुगतान केवल पुस्त-समायोजन द्वारा किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर नियंत्रण रखने के लिये कोई व्यवस्था की है कि जिन स्थानों के लिये सीधी टेलीफोन सेवा उपलब्ध है, वहां के लिये डाक तथा तार विभाग के अधिकारी इन टेलीफोनों का ट्रंक टेलीफोन के लिये उपयोग न करें ; और

(ग) सरकारी कार्य के नाम पर निजी कार्य के हेतु इन टेलीफोनों के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या इन पर मीटर लगाने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) डाक-तार विभाग के अधिकारियों के निवास स्थानों पर लगे टेलीफोन कनेक्शनों से की जाने वाली स्थानीय कालों का कोई बिल तैयार नहीं किया जाता। जहां तक ट्रंक कालों का संबंध है यदि कालें प्रशासनिक कार्य से संबंधित होती हैं तो अधिकारी लोग संबंधित ट्रंक काल बिलों पर इस संबंध में प्रमाणपत्र दे देते हैं अन्यथा उन्हें इन कालों की अदायगी करनी होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश के अग्निकाण्ड से पीड़ित क्षेत्रों के लिये 'केयर' तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता

344. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'केयर' तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिलों में अग्निकांड से पीड़ित क्षेत्रों के लिये सहायता भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा कितनी सहायता भेजी है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने विजयबाड़ा में आग लगने की इतनी अधिक घटनाओं के कारणों के बारे में किसी समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नास्कर) : (क) केवल 'केयर' ने कुछ सहायता दी है।

(ख) दुग्ध चूर्ण	10,135 पाउंड
गेहूं	3,515 पाऊंड
तेल	705 पाउंड

(ग) और (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई। किन्तु राज्य सरकार ने इन अग्नि कांड़ों के कारणों की जांच करने और ऐसी आगजनी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिये एक जिला तथा सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया है। आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों के लिये टेलीफोन

345. श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के किसी श्रेणी के कर्मचारियों के निवास पर, राजधानी में सरकारी कार्य के संबंध में अथवा छुट्टी पर उनके अस्थायी निवास के दौरान, टेलीफोन लगाये जाते हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों/विभागों के दौरे पर जाने वाले अधिकारियों को भी, जो उसी प्रकार के कार्य के संबंध में दिल्ली आते हैं, ऐसी ही सुविधाएं दी जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो ये सुविधाएं केवल डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों को ही क्यों दी जाती हैं ; और

(घ) 1 जुलाई, 1965 से 30 अप्रैल, 1966 तक इन अधिकारियों के निवास पर लगाये गये टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कुल कितना खर्च हुआ ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मंडल इंजीनियर के पद तक के अधिकारियों को दौरे पर दिल्ली आने की स्थिति में उनके यहां रहने की अवधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाता है।

(ख) किराये की सामान्य विभागीय शर्तों के अधीन दौरे पर आने वाले अन्य अधिकारियों के मांगने पर उन्हें भी आकस्मिक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 1 जुलाई, 1965 से 30 अप्रैल, 1966 तक की अवधि के दौरान डाक-तार विभाग के अधिकारियों को दिये गये सरकारी कनेक्शनों की सूची संलग्न की जा रही हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6507/60]** ये टेलीफोन बिना कोई विशेष खर्चा किये सामान्य परिस्थितियों में दे दिये गए थे।

Correspondence between States and the Centre

346. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Sidheshawr Prasad : **Shri Rishang Keishing :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken so far on the assurance given by him that the Governments of the Hindi-speaking States would be intimated by a Circular not to send English translation of the communications that they address to the Centre ;

(b) whether Government have made arrangements for translation into English of the communications received from the Hindi-specking States, in order to avoid delay in taking action on them; and

(c) the reaction of the Hindi-speaking states thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A copy of the communication sent by the Home Mimister to the Chief Ministers of the Hindi-Speaking States is attached. [**Placed in the Library. See No.** LT-6508/60].

(b) Arrangements exist in the various Ministries for translation into English of Hindi communications received from the Hindi-speaking States. If necessary, these arrangements would be supplemented.

(c) No complaint has been received that reply to any Hindi communication was delayed.

पौधों के रोगों की रोकथाम के लिए नये प्रतिजैविक पदार्थ

347. श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में ऐसे नये प्रतिजैविक पदार्थों का आविष्कार हुआ है जिन से पौधों के रोगों की रोकथाम की जा सकती है ; और

(ख) क्या उनके प्रभाव का परीक्षण किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन). (क) और (ख) : अनुसंधानशाला, पिम्परी में किये गये अनुसंधानों के परिणामस्वरूप दो नये प्रतिजैविक पदार्थों का आविष्कार हुआ है ; जो पौधों की रक्षार्थ प्रयोग किये जायेंगे । वे दो नये पदार्थ ये हैं :—

1. अयरोफनजिन (Aureofungin) : यह एक प्रति फंफूद प्रति जैविक पदार्थ है ; जो पौधों के रोगों को नाश करने के लिये अधिक प्रभावशाली है । इस्तेमाल किये गये सान्द्रणों पर निर्भर होते हुए इसका प्रभाव कवकनाशी एवं फंफूदघातक बताया जाता है । धान उत्स्फोटन रोगों के लिए अयरोफनजिन जापान में आविष्कार किये गये ब्लास्टोमाईसीन की अपेक्षा अधिक लाभकारी पाया गया है । अयरोफुनजिन फल को फसलों में होने वाले रोगों को नाश करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और यह आशा की जाती है कि इस समय देश में प्रयुक्त होने वाले तांबे पर आधारित एवं आर्गनिक फंफुदनाशी, जो तांबे जैसे आयातित सामग्री से मुख्यतः उत्पादित किये जाते हैं, के स्थान पर अयरोफुनजिन इस्तेमाल होने लगेगा ।

2. स्टेप्टोसाईक्लीन : कृषि विभाग (खाद्य , कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय) ने धान के टैचुग (Taichung) नेटिव–1 किस्म की खेती के लिए बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम चालू किया है । स्टेप्टोसाईक्लीन बीजों के इलाज एवं धान के जीवाणु–अंगमारी पर नियंत्रण के लिये बहुत प्रभावशाली पाया गया है ।

उपर्युक्त मंत्रालय (कृषि विभाग) की अयरोफुनजिन तथा स्टेप्टोसाईक्लीन की आवश्यकता को पूरा करने का प्रस्ताव है । अमरीका की कुछ विदेशी फर्मों द्वारा भी इस में दिलचस्पी प्रकट की गई है ।

स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास

348. **श्री प्र० ना० विद्यालंकार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की परिचय निर्देशिका (हूं इज हू) लिखने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(ग) केन्द्र ने तथा राज्यों ने इस कार्य पर अब तक पृथक-पृथक कितना खर्च किया है ; और

(घ) अब तक प्रकाशित की गई पुस्तकों के क्या नाम हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास का प्रथम खंड 1961 में प्रकाशित किया गया; खण्ड II छप रहा है; और खण्ड III तैयार किया जा रहा है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें स्वतंत्रता के सेनानियों के कौन कौन हैं। (हूं इज) के सम्पादन से संबंधित प्रत्येक राज्य में हुई प्रगति दी गई है।

(ख) सरकारी अभिलेखों, प्राइवेट कागजों, संस्मरण, समकालीन समाचारपत्र आदि जैसी इस विषय पर उपलब्ध विस्तृत साधन सामग्री और स्वतंत्रता युद्ध को वस्तुनिष्ठ रूप देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कार्य की प्रगति कम नहीं समझी गई है। फिर भी गति तेज करने की आवश्यकता समझी गई है।

(ग) स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के सम्पादन के लिए, केन्द्र द्वारा मार्च, 1966 तक 810,050 रुपये खर्च किए गए हैं। एक विवरण संलग्न है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के "कौन कौन हैं" के सम्पादन करने पर राज्य सरकारों द्वारा किया गया खर्च और इस प्रयोजन के लिए दिया गया केन्द्रीय उपदान दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6509/60]

(घ) भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड I प्रकाशित कर दिया गया है।

प्रामाणिक (स्टेण्डर्ड) इतिहास की पाठ्य पुस्तकें

349. **श्री प्र० ना० विद्यालंकार :**
श्री एम० के० कुमारन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रामाणिक (स्टेण्डर्ड) इतिहास की पाठ्य पुस्तकें लिखने की योजना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई ;

(ख) अब तैयार की गई तथा प्रकाशित की गई पाठ्य पुस्तकों के नाम क्या हैं और वे किन कक्षाओं के लिये हैं ?

(ग) इस कार्य के लिये क्या प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है तथा उस योजना से सम्बद्ध विद्वानों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस सम्पूर्ण योजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). मिडिल स्कूलों के लिए भारतीय इतिहास की एक पाठ्य-पुस्तक तैयार की गई है और छप रही है। मिडिल स्कूलों के लिए एक अन्य पाठ्य-पुस्तक इस वर्ष तैयार हो जाने की सम्भावना है। माध्यमिक स्कूलों के लिए भी एक पाठ्य-पुस्तक तैयार की जा रही है।

(ग) प्रायोजना एक सम्पादकीय मंडल के निदेशन में चल रही है, जिसमें डा० एस० गोपाल प्रधान सम्पादक तथा प्रो० एस० नुरुल हसन, प्रो० सतीश चन्द्र और डा० रोमिला थापर सम्पादक हैं।

(घ) सारी प्रायोजना अगले तीन वर्षों में पूरी हो जाने की आशा है।

दिल्ली में गुण्डागर्दी

350. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री मधु लिमये : श्री बागड़ी : श्री राम सेवक यादव : श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आ जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी से गुण्डागर्दी को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजधानी की विधि तथा व्यवस्था के बारे में शिकायतें तथा समाचार-पत्रों के समाचार अतिरंजित प्रतीत होते हैं क्योंकि राजधानी में होने वाले अपराधों की रिपोर्टें पिछले छः महीनों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हो गई है।

(ख) राजधानी में गुण्डागर्दी को समाप्त करने के लिये की गई कार्यवाहियों का संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है।

दिल्ली में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

351. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री राम सेवक यादव : श्री किशन पटनायक : श्री बागड़ी : श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री राजनैतिक पीडितों को सहायता देने के बारे में 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने कम आय वाले राजनैतिक पीडितों को रिहायसी प्लाट देने वाली योजना पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दिल्ली विकास प्राधिकार ने लाटरी द्वारा निर्धारित मूल्य पर उन कम आय वाले (अर्थात 6,000 रु० वार्षिक से कम आय वालें)

व्यक्तियों को 200 गज से कम नाप के रिहायशी प्लाट देने का निर्णय किया है, जिनके पास दिल्ली में कोई रिहायशी प्लाट या मकान नहीं है और जो दिल्ली में लगातार पिछले पांच वर्ष से रह रहे हैं। इस योजना में कुछ प्लाट उन राजनैतिक पीड़ितों के लिये आरक्षित हैं जो आवश्यक शर्तें पूरी करते हों। राजनैतिक पीड़ितों के लिये आरक्षित प्लाटों की संख्या कुल प्राप्त आवेदनों की तुलना में राजनैतिक पीड़ितों से प्राप्त आवेदन पत्रों को देख कर की जाती है।

कोई भी व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम में कष्ट पाया हो राजनैतिक पीड़ित माना जाता है। अब तक केवल एक ही प्लाट एक राजनैतिक पीड़ित को दिया गया है।

श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम

352. **श्री वारियर**: क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम में और अधिक सुधार करने के सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव क्या हैं ; और

(घ) इस कार्यक्रम पर केन्द्र ने अब तक कुल कितना व्यय किया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने अभी तक श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम का, जो कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू और प्रशासित किया जाता है, कोई पुनरीक्षण नहीं किया। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है और सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1881 के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। परन्तु इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्पूर्ण योजना के कार्य के पुनरीक्षण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। पुनरीक्षण पूर्ण होने पर श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम में और सुधार के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(घ) मार्च, 1966 के अन्त तक सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर 1,69,52,940 रुपये खर्च किए गए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

353. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री भागवत झा आजाद : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य का पुनर्विचार करने वाली त्रिपक्षीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां

(ख) निष्कर्षों और सिफारिशों का सार समिति की रिपोर्ट में दिया गया है । रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है।

(ग) सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया । निगमों, राज्य सरकारों आदि से मांगी गई टिप्पणियों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

नागालैंड, मनीपुर आदि के छात्रों का अन्तर्राज्यीय रहन-सहन

354. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री वे० द० पुरी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय रहन-सहन का अनुभव प्राप्त करने के लिये नागालैंड, मणिपुर, नेफा, आसाम तथा त्रिपुरा के लगभग 80 छात्रों ने बम्बई में कुछ दिन बिताये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने 'अंतर-राज्य विद्यार्थी रहन-सहन अनुभव' कार्यक्रम के अंतर्गत, बम्बई में भारतीय परिवारों के साथ एक महीने ठहरने के लिए नागालैंड, मणिपुर, नेफा और असम के 78 विद्यार्थियों के दौरे की व्यवस्था की थी । इस दौरे के फलस्वरूप, अतिथियों और मेजबान परिवारों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क और बन्धुत्व कायम हुआ ।

Sale of Houses in Delhi Colonies

355. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of houses in Rajendra Nagar, Patel Nagar and other colonies in Delhi were sold in 1960 with the stipulation that their vacant possession would be given to the purchasers on the completion of the construction of houses of their occupants in Defence Colony;

(b) whether these houses have not been vacated even when their occupants have built their houses in Defence Colony, New Dolhi; and

(c) if so, the action being taken to deliver vacant possession of these houses to the purchasers ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Question does not arise.

Abduction of Persons by Naga Hostiles

356. Shri Rameshwaranand:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that 10 persons who were abducted by the Naga hostiles in April, 1966 were releaseed subsequently on payment of reansom of Rs. 3,200;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Minisrty of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) It is not clear which incidents exactly are being referred to. However, the details of two incidents of April that have come to our notice are given below :—

On the 15th April, 1966 two villagers in Ukhrul Sub-division of Manipur were kidnapped by a gang of twenty-five Naga hostiles. They were released on payment of Rupees three thousand.

On the 20th April, 1966 eleven villagers in Sadar Hills Sub-division of Manipur were kidnapped by a gang of twenty-five Naga hostiles. They were released on payment of Rupees hundred each as sansom.

(b) Cases have been registered by the police and are now under investigation.

Seizure of Foreign Liquor

357. Shri Rameshwaranad :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 27th April, 1966 the Anti-Corruption Department seized foreign liquor worth about six thousand rupees as reported in the 'Hindustan' dated the 30th April, 1966; and

(b) if so, the details of the action taken in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) The report in the 'Hindustan' of 30th April, 1966 relates to a matter which is primarily the concern of the Maharashtra Government and the Government of India have no information.

Fraud in Hauz Kazi P. O., Delhi

358. Shri Rameshwaranand :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5378 on the 11th May, 1966 and state :

(a) whether the investigations in regard to Rs. 9600 found missing from the Hauz Kazi Post Office, Delhi have been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken in the matter ?

Minister of State for Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) & (b) The departmental enquiries have been completed, but the police investigations are still in progress. No arrest has been made by the police so far. No clue of the culprit could be found during the course of departmental enquiries.

(c) The clerk from whose custody the cash was lost, has been placed under suspension pending disciplinary proceedings.

Price of Caustic Soda

359. **Shri Rameshwaranad :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rahgunath Singh :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of Caustic Soda and soap have doubled; and

(b) if so, whether Government have been taken appropriate action in this direction ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) No. The prices have gone up by about 25% in the case of caustic soda and 22 to 45 percent in the case of soaps since December, 1963, due to rise in production costs.

(b) The question of holding the price line has been discussed with the producers. Caustic soda manufacturers have given an assurance that they will not effect any further increase without prior consultation with Government and the soap manufacturers have assured Government of their cooperation in holding the price line.

Relics of old Civilization found in Mandsaur

360. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that relics of 35 thousand years old civilization have been discovered in the district of Mandsaur :

(b) if so, the language of inscriptions on these relics; and

(c) whether these relics relate to India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) (a) The Government is not aware of any such discovery.

(b) & (c) Do not arise.

Engineering Colleges

361. **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in April, 1965 about 500 Engineers passed their examination from Delhi;

(b) whether it is also a fact that 50 per cent of those Engineers are working at Rs. 100/ per month and the rest are unemployed;

(c) if so, the reasons for starting more Engineering Colleges in the country; and

(d) the number of Engineers who passed their examination in 1965 and the number of those who have been given employment so far ?

The Minister of Education (Shri M. C.Chagla): (a) & (b) There are two Engineering Colleges in Delhi, namely, the Indian Institute of Technology, Delhi and the Delhi Engineering College.

No students graduated from Indian Institute of Technology in 1965. Only 20 students passed their B. E. Examination held in 1965 from Delhi College of Engineering. In addition 12 students passed their National Diploma Examination during the same period. All the 32 persons are in employment on salaries exceeding Rs. 300/- p. m.

(c) At their present is no intention to start any new Engineering College under the Fourth Five Yeor Plan. Only those Engineering Colleges already approved under Third Five-Year Plan are being established.

(d) Total number of engineering students who passed their examination in 1965 from Colleges in India is 10,282. Number of those who have secured employment is not readily available.

Stones in Post Parcel of Gold

362. **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pieces of stones of equal weight were found from a parcel sent from Jaipur to Jabblapur containing gold ornaments on the 22nd May, 1966;

(b) if so, the action taken in the matter; and

(c) whether compensation for ornaments has been given to the concerned person ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) One insured parcel despatched from Jaipur was delivered at Jabalpur on 16-5-66 and not on 22-5-66. The parcel on delivery was found to contain 2 stones, one piece of glass, one jewel box and 2 gold bracelets, while the contents of the parcel according to the sender were one pearl necklace, a pair of pearl tops, one gold ring and a pair of gold bracelets.

(b) Departmental and police investigations are in progress.

(c) The claim will be considered after completion of investigations.

पर्वतीय क्षेत्र विकास संस्था

363. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाटस्कर आयोग की सिफारिश के अनुसार खासी तथा जयन्तिया पहाड़ी जिलों में एक पर्वतीय क्षेत्र विकास संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) संस्था की विशेष बातें क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) पाटस्कर आयोग ने आसाम के पहाड़ी जिलों पर अपने प्रतिवेदन में खासी तथा जयन्तिया पहाड़ी क्षेत्रों में किसी विकास संस्था की स्थापना की सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमावर्ती राज्यों में भारत रक्षा नियम

364. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये सभी आदेश सामान्य नियमों के अधीन फिर से जारी करें ताकि उन्हें किसी भी असामान्य स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त अधिकार मिल सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे भारत रक्षा नियमों के समाप्त किये जाने के बाद भी, यदि उन्होंने इन नियमों के अन्तर्गत कोई सीमित कार्यवाही की हो, चाहे उसे जारी रखने के लिये आदेश जारी करें और यदि हां, तो इस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) आसाम, नागालैंड, जम्मू तथा काश्मीर, मनीपुर व त्रिपुरा की सरकारों को वर्तमान् नीति के अनुसार भारत सुरक्षा अधिनियम और नियमों के इस्तेमाल पर लग प्रतिबन्धों से छूट प्राप्त है। किन्तु फिर भी इन सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे संशोधनों के साथ यथासम्भव अधिकाधिक सामान्य कानूनों का इस्तेमाल शुरू कर दें। भारत सुरक्षा अधिनियमों तथा नियमों का सहारा प्रतिरक्षा, सुरक्षा आदि से सम्बन्धित केवल ऐसे उद्देश्यों के लिये ही किया जाय जिनके लिये सामान्य कानून संशोधनों के साथ भी पर्याप्त न हों। अन्य राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि कुछ राज्यों और प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुछ उद्देश्यों के लिये भारत सुरक्षा अधिनियम तथा नियमों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुये उन्हें ऐसी उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उन विभिन्न उद्देश्यों के लिये जरूरी संशोधन के साथ सामान्य कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके जिनके लिये इस समय भारत सुरक्षा अधिनियम तथा नियमों का इस्तेमाल होता है। इन सुझावों पर मोटे रूप से सभी सहमत हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से गोआ उर्वरक परियोजना

365. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ उर्वरक परियोजना के बारे में, दी बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड और आरमूर एण्ड कम्पनी (अमरीका) के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या थीं ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम से परियोजना के लिये कितनी सहायता मांगी गई ; और

(घ) परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तथा परियोजना उत्पादन कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) सहयोग करार की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) विदेशी सहयोगी इण्डियन कम्पनी के साम्य पूंजी का 3.88 मिलियन डालर अदा करेंगे अर्थात 2.91 मिलियन डालर नकदी में और .97 मिलियन डालर दक्षता (know-how) के लिए ।

(2) विदेशी सहयोगी इण्डियन कम्पनी को निम्नलिखित उपलब्ध करायेंगे :—

(i) इंजीनियरिंग, निर्माण एंव मार्किटिंग वित्त ;

(ii) मार्किट उत्पादों के अनुसार सन्यंत्र के रूपांकन, निर्माण एवं चालू करने के लिए अपेक्षित इंजीनियरी दक्षता ;

(iii) संयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की जब आवश्यकता हो तब उसका गुप्त फारमूला बताना ;

(iv) संयुक्त राज्य अमरीका में उनके द्वारा अब प्रयुक्त होने वाली गुप्त प्रक्रिया एवं तकनीकी ;

(v) यदि इण्डियन कम्पनी द्वारा आवश्यकता हो, तो तकनीकी व्यक्तियों का संयन्त्र की कार्यान्विति का पर्यवेक्षण करना ।

(3) विदेशी सहयोगी भारतीय पार्टी की सहायता से परियोजना के लिए अपेक्षित रुपए एवं विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करेंगे ।

(4) विदेशी सहयोगी भारतीय व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे ।

(ग) इण्टरनेशनल फाईनांस कारपोरेशन से 13.5 मिलियन डालर (अवमूल्यन से पहले के आंकड़े) के एक दीर्घकालीन ऋण को प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

(घ) परियोजना के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा 11.03 करोड़ रुपये (23.17 मिलियन डालर) (अवमूल्यन से पहले के आंकड़े) होने का अनुमान है और परियोजना के प्रतिवर्ष 340,000 मीटरी टन यूरिया के उत्पादन करने की सम्भावना है ।

पंजाबी कवि श्री नन्द लाल की मृत्यु

366. श्री बलजीत सिंह : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार सच है कि प्रसिद्ध पंजाबी कवि श्री नन्द लाल नूरपुरी ने, जिनकी कवितायें देश भर में प्रसिद्ध हैं, निरन्तर चिरकाल से बीमारी तथा उपेक्षा से तंग आकर जालन्धर में आत्म हत्या की है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि उनको तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार को कोई सहायता दी गई है तो कितनी ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार को उनकी मृत्यु की जानकारी समाचारपत्रों से मिली।

(ख) प्रभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों आदि को वित्तीय सहायता देने की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत उन्हें सितम्बर, 1957 से 75 पये मासिक पेंशन मिल र ी थी। मासिक शन के लिये उनके परिवार से अभी तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर भारत में तेल शोधन कारखाना

367. श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात की जोरदार मांग है कि उत्तर भारत में एक तेल शोधन कारखाना स्थापित किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं; फिलहाल नहीं किन्तु सम्भवतः कुछ वर्षों के बाद।

(ख) यथासमय आवश्यकता का निर्धारण करने के लिये अध्ययन किये जा रहे हैं।

शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर बर्बादी

368. श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर होने वाली बर्बादी और गतिरोध को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या यह बर्बादी और गतिरोध पिछड़ी श्रेणियों के लोगों में बहुत अधिक होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन पिछड़ी श्रेणियों के बच्चों में होने वाली शिक्षा की बर्बादी और गतिरोध को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्) : (क), (ख) और (ग). शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर विद्यार्थियों की गतिहीनता और बरबादी की मात्रा का यद्यपि अभी तक कोई राष्ट्रव्यापी अध्ययन नहीं किया गया है, यह आम राय है कि गतिहीनता और बरबादी की मात्रा, विशेष रूप से पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक, काफी है।

इस समस्या से निपटने के लिये, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे भी शामिल हैं, निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोलना ;

(ii) मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ;

(iii) निःशुल्क अथवा सस्ती पाठ्यपुस्तकें देना ;

(iv) अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार ;

(v) अध्यापक-छात्र अनुपात में सुधार ;

(vi) पर्याप्त तथा आकर्षक स्कूल भवनों का निर्माण तथा उन्हें आवश्यक शिक्षण-उपकरणों से सुसज्जित करना ;

(vii) अधिछात्रवृत्तियों की स्वीकृति ;

(viii) अधिकाधिक स्कूलों की स्थापना ताकि बच्चे आसानी से स्कूल जा सकें ।

(ix) मन्द बुद्धि वाले बच्चों को स्कूल समय के बाद विशेष सहायता ।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स प्रोजेक्ट

369. श्री सुबोध हंसदा :　　　　श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :　　　　श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स प्रोजेक्ट ने संयंत्र तथा मशीनें खरीदने के संबंध में कुछ प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश किस फर्म को दिया गया है ; और

(ग) कब तक इनके मिल जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कमिकल्स प्रोजेक्ट में सम्मिलित सारे रसायन संयंत्रों की सप्लाई के लिये प्राप्त टेण्डरों की जांच पूरी हो चुकी है । प्रत्येक संयंत्र के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले इस समय कम्पनी चुनी हुई पार्टियों के साथ बात-चीत कर रही है । अगले कुछ महीनों में आदेश देने की सम्भावना है ।

(ख) अब तक किसी पार्टी को आदेश नहीं दिया गया है ।

(ग) सम्बंधित पार्टियों के साथ सप्लाई करार की तारीख से लगभग दस महीने से लेकर 14 महीनों के अन्दर संयंत्रों के प्राप्त होने की सम्भावना है ।

अनधिवासियों (स्क्वेटर्स) का पुनर्वास

370. डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता झील क्षेत्र के ऊपरी भाग में सरकार तथा कुछ व्यक्तियों की भूमि पर कुछ विस्थापित व्यक्ति अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें बसाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उप-मंत्री (श्री हा० रा० चव्हाण): (क) जी, हां पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के 317 परिवार अब तक भूमि के उन खण्डों पर रह रहे हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1947 में, मेडिकल कालेज तथा अस्पताल चालू करने के लिये अर्जित या पट्टे पर लिये गये थे ।

(ख) इन 317 परिवारों में से, केवल 29 परिवार पश्चिम बंगाल अधिनियम XVI-1951 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के फैसले द्वारा संरक्षित रखे गये हैं और बेदखली से पूर्व दूसरे स्थान पर आवास पाने के हकदार हैं। पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां जो उन्हें 1966 में दी गई थीं जिसमें संरक्षित अनधिवासियों के लिये पुनर्वास ऋण सम्मिलित है, के अधीन इन 29 परिवारों को पुनर्वास सहायता दे रही है। शेष परिवार किसी भी पुनर्वास सहायता पाने के पात्र नहीं हैं।

कवि नजरूल इस्लाम की पुस्तकें

371. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कवि नजरूल इस्लाम की पुस्तकों के प्रतिलिप्यधिकार को प्राप्त करके उन्हें प्रकाशित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कार्यवाही करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को सुविधायें प्रदान करने के हेतु नया विधान प्रस्तुत करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) इस सम्बन्ध में किसी विशेष कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अन्तर्गत राज्य सरकारें अथवा व्यक्ति, विशिष्ट पुस्तकों के कापी-राइट अधिकार प्राप्त करने में स्वतंत्र हैं।

Release of Life-term Prisoners

372. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Sonavane :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4551 on the 27th April, 1966 and state :

(a) whether the information in regard to the release of the prisoners who had been sentenced to life term imprisonment, has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when it would be collected ?

Deputy Minister in the ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) to (c) The information is still awaited from 4 State Governments and will be laid on the Table of the House as soon as it is collected.

चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट)

373. **श्री अचल सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार कर्मचारी, विशेष रूप से आगरा में, प्रति वर्ष चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के झूठे दावे करते हैं जिससे विभाग का खर्च बढ़ गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा चिकित्सा व्यय में प्रतिवर्ष लाखों रुपये की बर्बादी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). आगरा में चिकित्सा सम्बन्धी प्रतिपूर्ति की रक़म में भारी वृद्धि हुई है। ऐसा सन्देह है कि कुछ काल्पनिक या झूठे दावे प्रस्तुत किये गए हों। इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए कुछ मामले विशेष पुलिस सिब्बन्दी के पास भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दावा झूठा स्थापित नहीं हो सका है ।

(ग) इस प्रकार के अपव्यय को रोकने तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता आसानी से उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगरा में डाक-तार कर्मचारियों के लिए एक विभागीय डिस्पेंसरी खोलने का निश्चय किया गया है और इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

टोकियो में पुस्तक विशेषज्ञों का सम्मेलन

374. **श्री राम हरख यादव** : **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 के अन्तिम सप्ताह में टोकियो में पुस्तक विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया और उसमें किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया ; और

(ग) भारत ने सम्मेलन में क्या दृष्टिकोण रखा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। एशिया में पुस्तक उत्पादन और वितरण पर यूनेस्को द्वारा टोकियो में 25 से 31 मई, 1966 तक विशेषज्ञ सम्मेलन बुलाया गया था।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित 20 देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था—

1. अफगानिस्तान
2. बरमा
3. कम्बोडिया
4. श्रीलंका
5. ताइवान (फारमोसा)
6. हांग कांग
7. भारत
8. इंडोनेशिया
9. ईरान
10. जराइल

11. जापान

12. दक्षिण कोरिया

13. लाओस

14. मलेशिया

15. नेपाल

16. पाकिस्तान

17. फिलिपिन्स

18. सिंगापुर

19. थाइलैंड और

20. दक्षिण वियतनाम

सम्मेलन ने एशिया में पुस्तक विकास की समस्याओं का पुनःरीक्षण किया और एशियाई देशों में प्रकाशन विकास और पुस्तकों को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम को अपनाने की सिफारिश की। यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक देश पुस्तक विकास योजना बना सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक संस्थान खोल सकता है और ग्राफिक कला संगठन स्थापित कर सकता है। एशिया में प्रकाशन कार्य के विस्तार करने के लिए विश्व बैंक द्वारा लम्बी अवधि के कम ब्याज पर ऋणों की सिफारिश की गई थी। पुस्तकों पर कम डाक दरों, प्रकाशनों पर टैरिफ में कमी और नाममात्र की फीस पर कापीराइट अधिकार मंजूर करने के लिए जोर देने के की युनेस्को से प्रार्थना की गई थी, ताकि पुस्तकों का व्यापक वितरण किया जा सके।

(ग) विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने, जिनमें भारत के विशेषज्ञ भी शामिल थे, अपनी-अपनी व्यक्तिगत हैसियत से सम्मेलन में भाग लिया था। इसलिए सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानियों द्वारा डकैतियां

375. श्री राम हरख यादव :
श्री सोनावने :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 के अन्तिम दो सप्ताहों में पाकिस्तानी अपराधियों ने पश्चिमी बंगाल के सीमान्त गांवों में आधा दर्जन डाके डाले थे ;

(ख) क्या इस ही अवधि में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के कई गिरोहों ने, जो बन्दूकों तथा अन्य घातक हथियारों से लैस थे, आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोलपाड़ा तथा गारो पहाड़ी जिलों में कई छापे मारे थे ;

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तानियों द्वारा की गई इन उत्तेजनात्मक तथा हिंसात्मक कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल के सीमान्त गांवों में पाकिस्तानी अपराधियों ने 7 डाके डाले थे।

(ख) तीन डाके डाले गए।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) गश्त और निगरानी को बढ़ाया गया है।

विवरण

I—पश्चिम बंगाल सीमा

(1) 17 मई, 1966 को 15 पाकिस्तानियों ने भारतीय गांव बोवागुरी पर आक्रमण किया तथा वहां के निवासियों पर हमला करके और चार गोलियां चला कर नकदी और आभूषण ले गये। घटना स्थल पर तीन खोल पाये गये, जिन पर पाकिस्तान के निशान थे।

(2) भारतीय गशती दस्ते ने लगभग 15 सशस्त्र पाकिस्तानियों का 21 मई, 1966 को तारपुर क्षेत्र में मुकाबला किया और उन्हें सीमा पार भगा दिया।

(3) भारतीय गश्ती दस्ते ने 23 मई, 1966 को खेड़बेरी क्षेत्र में 6 पशु चुराने वालों का मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया।

(4) 25 मई, 1966 को प्रातः निमानपुरा गांव में एक मकान पर लगभग 30 पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया, तीन गोलियां चलाई तथा नकदी और आभूषण ले गये। घटना स्थल पर दो पिस्तौल पाये गये, जिन पर पाकिस्तान के चिन्ह अंकित थे।

(5) बोलटा गांव में 26 मई, 1966 को एक डाका डाला गया।

(6) 26 मई, 1966 के प्रातः लगभग 25 पाकिस्तानियों ने जमरेल गांव में एक मकान पर डाका डाला।

(7) 27 मई, 1966 को प्रातः नेवलापुर गांव में 9 पाकिस्तानियों ने डाका डाला।

II—आसाम-सीमा

(1) 23 मई, 1966 को प्रातः 20 सशस्त्र पाकिस्तानी भारतीय क्षेत्र में घुस आये और नामदासपारा गांव पर डाका डाला गया।

(2) 23 मई, 1966 को प्रातः पाकिस्तानियों ने मोसलाबारी गांव पर डाका डाला।

(3) 23 मई, 1966 को प्रातः पाकिस्तानियों ने घोकाहेरा गांव पर डाका डाला।

बम्बई में टेलीफोन

376. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई शहर में टेलीफोन के मालिकों द्वारा नये टेलीफोन लगवाने के बारे में भेदभाव किये जाने की बहुत शिकायत की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि रामदेवी केन्द्र (एक्सचेंज) क्षेत्र में समृद्ध लोगों को जिन्होंने 1963 में आवेदन किया था, टेलीफोन मिल रहे हैं, जबकि कम प्रभावशाली लोग 1956 से अब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच किये जाने का आदेश दिया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) अपना टेलीफोन योजना के अन्तर्गत 1963 के आरम्भ तक प्राप्त हुई मांगें लगभग पूरी की जा चुकी हैं। टेलीफोन कनेक्शन सामान्यतः प्रतीक्षा-सूची में निर्दिष्ट रजिस्ट्रेशन की तारीख के हिसाब से दिये जाते हैं। फिर भी कुछ विशेष क्षेत्रों तथा स्थानों पर केवल तारों या अन्य कठिनाइयों के कारण जहां तहां कुछ मामलों में देरी लग जाती है। ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने की दिशा में विशेष प्रयत्न किये जाते हैं फिर भी ऐसे मामलों में बारी से कनेक्शन देना सदैव संभव नहीं हो पाता । टेलीफोन सलाहकार समिति की सिफारिशों पर या सरकार के विवेकानुसार कुछ कनेक्शन बिना बारी के भी दे दिये गए हैं।

(ग) जी नहीं। फिर भी बम्बई, अहमदाबाद तथा कानपुर में टेलीफोन कनेक्शन देने के सम्बन्ध में अपनाई गई पद्धति का अध्ययन करने के लिए एक समिति कायम की गई है।

Money found missing at Faizabad Post Office

377. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Tula Ram :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri P. R. Chakravarti :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that a bag containing Rs. 2,500 was found missing from the Head Post Office, Faizabad (U.P.) on the 1st June, 1966;

(*b*) if so, the circumstances under which the bag disappeared; and

(c) the action taken in the matter ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) : (*a*) yes, Sir.

(b) On 1-6-66, the treasurer and the sub account clerk of Faizabad H. O. closed 19 bags for different Post Offices which were sent to the mail clerk through a Class IV Servant for onward despatch. The mail clerk gave a receipt for all the 19 bags to the Class IV servant, but after some time when he sorted out the boys for despatch, one bag was found missing. This bag contained a remittance of Rs. 2500/-.

(c) A thorough search of the Head Post Office was made by the Postmaster Faizabad, but no clue could be found. The matter has been reported to the police and their investigations are in progress.

Arrest of Smugglers at Ganga Nagar

378. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eight smugglers were arrested in Ganganagar on Rajasthan border as reported in 'Vir Arjun' of the 3rd June, 1966;

(b) whether it is also a fact that one of them was a Pakistani;

(c) whether three thousands rupees and a rifle were recovered from them; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Four smugglers were apprehended on 27-5-66.

(b) No Sir.

(c) One rifle, 30 rounds and goods worth approximately Rs, 1,330/- were recovered from them; and

(d) The siezed articles were handed over to the I/C Land Customs at SHRI KARANPUR. The rifle along with the rounds were handed over to the Station House Officer at SHRI KARANPUR.

टीपू सुलतान के किले का बेचा जाना

379. **श्री मुहम्द कोया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में माननटोडी में टीपू सुलतान द्वारा बनाया गया किला किसी व्यक्ति को सत्रह रुपये में बेच दिया गया था ;

(ख) क्या लोक निर्माण विभाग की इस कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी थी; और

(ग) इस मामले में पुरातत्व विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ख). भारत सरकार को किसी ऐसी बेच (बिक्री) का पता नहीं है और राज्य सरकार से जानकारी मांगी जा रही है ।

वित्तीय नियंत्रण का प्रत्यायोजन

380. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्र जीत गुप्त : **श्री बीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याओं पर व्यय की 22 करोड़ पये की राशि का पूर्ण वित्तीय नियंत्रण तथा भुगतान का अधिकार पश्चिमी बंगाल सरकार को प्रत्यायोजित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इसका अर्थ यह होगा कि पश्चिमी बंगाल सरकार की उक्त 22 करोड़ रुपये की राशि का सीधा अनुदान दे दिया जायेगा अथवा यह धन केन्द्रीय सरकार ारा स्वीकृत विशिष्ट पुनर्वास परियोजनाओं से सम्बद्ध होगा ;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले वस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिये कोई ठोस योजना पेश ी है, जिसके आधार पर 22 करोड़ पये की राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 6510/66]

Indian Migrants From Abroad

381. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Dr. P. Srinivasan :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ramchandra Ulaka :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Indian Nationals who returned from abroad during the financial year 1965-66 :

(b) the total number of Indian nationals repartiated from Ceylon, Burma and Africa;

(c) the percentage of the people among them provided with employment opportunities by Government; and

(d) whether the process of repatriation of refugees has not yet stopped.

Dy. Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) This Ministry is dealing with repatriates from Burma, Ceylon and Mozambique only and does not have the figures of all the Indian nationals who returned from abroad during the financial year 1965-66. The number of Indian nationals repatriated from Burma during 1965-66 is 56,004.

(b) The total number of repatriates who have arrived from Burma upto 16-7-1966 is 1,49,114. The total number of repatriates who have arrived from Mozambique is 2,300. The repatriation of Indian nationals from Ceylon under the Indo-Ceylon Agreement, 1964, has not yet commenced.

(c) 14,089 families from amongst Burma repatriates have beeen provided with rehabilitation benefits like loans, employment, etc., and 113 families from amongst Mozambique repatriates. Nearly all the 500 families of Mozambique repatriates have been rehabilitated. 3,305 persons from amongst Burma repatriates and 6 persons from amongst Mozambique repatriates have been provided with employment in Government or private service. This works out to 2·2 per cent and 0·3 per cent respectively.

(d) No Sir.

उच्चतर शिक्षा

382. **डा० मा० श्री अणे :**
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के विरोध को दृष्टि में रखते हुए उच्चतर शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ;

(ख) इसका विरोध करने वाले प्रत्येक राज्य ने किन-किन कारणों से इसका विरोध किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सप्रू समिति के प्रस्ताव क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) समस्त राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने के बाद इस मामले पर निर्णय किया जायेगा।

(ख) अब तक जिन दस राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुये हैं उन में से नौ ने मुख्यतः संवैधानिक कठिनाइयों, प्रशासनिक सुविधाओं के स्तर को बनाये रखने तथा इस की कार्य-क्षमता के आधार पर सप्रू समिति की सिफारिशों का विरोध किया है।

(ग) सप्रू समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा को राज्य-सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रखा जाये तथा संघीय सूची में उल्लिखित क्रमांक 66 को ज्यों का त्यों रखा जाये।

संसद् के सचेतकों द्वारा संसदीय लोकतंत्र का अध्ययन

383. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बुला राम :
श्री बासप्पा :

क्या **संसद्-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के सभी राजनैतिक दलों के सचेतक (व्हिप) इस बारे में प्रधान मंत्री से मिले हैं कि उन्हें विभिन्न देशों में संसदीय लोकतंत्र की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए बाहर भेजा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मुद्रा की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रधान मंत्री ने इस प्रस्ताव पर इस समय विचार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

एक नागा युवक की गिरफ्तारी

384. श्री राम हरख यादव : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1966 को तिनसुखिया (आसाम) में एक बस स्टाप पर एक नागा युवक गिरफ्तार किया गया था जिसके पास कुछ विस्फोटक पदार्थ थे ;

(ख) यदि हां, तो उसकी गिरफ्तारी का ब्यौरा क्या है तथा वह कैसी संदिग्ध परि-स्थितियों में पकड़ा गया था ; और

(ग) उसके पास कैसा विस्फोटक पदार्थ था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). आसाम सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

युद्ध विराम रेखा के साथ सीमा पट्टी

385. श्री राम हरख यादव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से हाल में मांग की गई कि पुंछ से छम्ब तक युद्ध-विराम रेखा के साथ वाले स्थान को नागरिकों से खाली करवा कर 10 किलोमीटर की सीमा पट्टी बनाई जाये ताकि युद्ध-विराम रेखा के साथ घुसपैठियों को आने से रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल सरकार को देय पुनर्वास की राशि

386. श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल में शिविर से बाहर रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी 13 करोड़ रुपये की देय राशि पश्चिमी बंगाल सरकार को नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा यह राशि कितने समय से देय है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1960-61 में भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किये गये संयुक्त मूल्यांकन के अनुसार यह अनुमान किया गया था कि पश्चिम बंगाल में पुराने विस्थापितों की अवशिष्ट समस्याओं के परिसमापन के लिये 21.88 करोड़ रुपये की धन राशि की आवश्यकता होगी। 21.88 करोड़ पये की धन राशि में से 30 जून, 1966 तक 14.20 करोड़ रुपये मंजूर किये जा चुके हैं। कुछ ऐसी श्रेणी की योजनायें हैं जिनके सम्बन्ध में कानूनी औपचारिकताओं का पालन आवश्यक है और जिसमें अधिक समय लगता है इसलिये इनकी प्रगति की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, ऐसी योजनाओं की मंजूरी के लिये लगभग 5.15 करोड़ रुपये की राशि के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार को (अप्रैल, 1966 में) पूर्ण शक्तियां दे दी गई हैं।

इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष में मंजूर की गई और/सौंपी गई योजनाओं की कुल राशि 19.35 करोड़ पये की है, और शेष 2.53 करोड़ रुपये की राशि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा आगे योजनायें प्रस्तुत करने और / या अंतिम रूप देने पर ही भारत सरकार द्वारा मंजूर की जायेगी ।

इसलिये यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के किसी "देय" को नहीं रोका है। वास्तव में समय-समय पर जब भी पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा विशिष्ट मांगें की गई और जब मंजूर की गई योजनाओं में प्रगति हुई तो भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को धनराशि दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल के आयात पर अतिरिक्त बट्टा (डिस्काउन्ट)

387. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री बूटा सिंह :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव को सन्तुलित करने के लिये सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर विदेशी तेल कम्पनियों से अतिरिक्त बट्टा देने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में इन कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं, किन्तु सरकार कच्चे तेल के मूल्यों को बराबर नजर में रखती है और जब बाजार की स्थितियां न्याय संगत होती हैं तब कटौती की मांग करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई-अफ्रीकी वैज्ञानिकों का सम्मेलन

388. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री अल्वारेस :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अप्रैल-मई में अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों के वैज्ञानिकों की एक गुप्त बैठक दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक अथवा सम्मेलन में किन-किन देशों के प्रतिनिधि शामिल थे ;

(ग) उन सब वैज्ञानिकों के क्या नाम थे और उनके पदनाम क्या थे और उनके बारे में अन्य आवश्यक जानकारी क्या है ; और

(घ) इस सम्मेलन को कितनी सफलता मिली ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6511/60]**।

(घ) सम्मेलन में की गई सिफारिशों में वैज्ञानिकों, साहित्य का आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यक्रम विख्यात वैज्ञानिकों के दौरे, तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि जैसे अफ्रीकी-एशियाई सहयोग के पहलू सम्मिलित हैं। सबसे अधिक उल्लेखनीय उपलब्धि अतिथि वैज्ञानिकों की यह अनुभूति थी कि पारस्परिक सहयोग के फलस्वरूप विज्ञान और टेक्नोलोजी से देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है।

मदुरै में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की डिस्पेंसरियां

389. श्री उमानाथ : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में मदुरै नगर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की विभिन्न डिस्पेंसरियों में डाक्टरों की बड़ी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप नये भवनों का काफी बड़ा भाग तथा कर्मचारियों के लिए बनाये गये क्वार्टर बेकार पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) वहां केवल दो डाक्टरों की कमी है । कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के लिये दस डाक्टर मंजूर किए गए हैं, जिन में से आठ अपने अपने पदों पर काम कर रहे हैं ।

(ख) औषधालय का एक भाग और कर्मचारियों के लिए बनाए गए कुछ क्वार्टर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं । इस औषधालय का निर्माण बीमाशुदा व्यक्तियों और उन के परिवारों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये किया गया है, परन्तु डाक्टरों और कुछ अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण अभी तक परिवारों को डाक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ।

(ग) राज्य सरकार और डाक्टर तथा अन्य अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त करने के लिए कार्यवाही कर रही है । डाक्टरों तथा अन्य अपेक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर परिवारों को डाक्टरी सुविधा दी जायगी ।

तकनीकी और विज्ञान की पुस्तकों का आयात

390. श्री उमानाथ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी और विज्ञान की पुस्तकों को विदेशों से आयात करने के बारे में अपनी नीति घोषित करने में सरकार ने विलम्ब किया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विलम्ब के कारण ऐसी पुस्तकों पर निर्भर रहने वाले अध्यापकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को कठिनाई हो रही है ; और

(ग) शिक्षा वर्ष के आरम्भ में ही ऐसी पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं, पुस्तकों के लिए निर्यात नीति की घोषणा पहली अप्रैल, 1966 को की गई थी ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

लमडिंग में विस्फोट

391. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या लमडिंग में पाये गये विस्फोटक पदार्थों की जांच के सम्बन्ध में सरकार ने कोई विशेषज्ञ की राय प्राप्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) इस के बारे में भारत सरकार को किसी विशेषज्ञ की राय प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक सेवा की आयु

392. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि देश में व्याप्त ऊंचे मूल्यों तथा औसत आयु की वृद्धि को ध्यान में रखकर सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाये ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सेवाओं की मांगों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में प्रशिक्षण कालेजों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

393. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के प्रशिक्षण कालेजों सम्बन्धी ए० एन० थैम्पी जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या यह सिफारिश की गई है कि गैर सरकारी प्रशिक्षण कालेजों में ट्यूशन फीस 300 रुपए होनी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

H. P. O. Ghazipur

394. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Communications** be pleased to **state:**

(a) whether it is a fact that the scheme to construct a new building for the Head Post **Office** in Ghazipur is under consideration of Government; and

(b) if so, when the building is likely to be constructed and the cost involved ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao.) (a) Yes, Sir.

(b) The Detailed estimate for the building is nearly complete. Notice calling for tenders will be issued in the month of August, 66. The execution of the work is likely to be completed within 15 months of the date of award of the work. The total cost of the work is estimated at Rs. 3,14,600/- including the cost of land.

Pak. Infiltration on Assan Border

395. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 180 more police check posts have been set up on the Assam border to check the Pakistani infiltration;

(b) if so, the pay grades of the police personnel posted there and whether they would be given local grades ;

(c) whether it is also a fact that an enquiry Commission was appointed in respect of three areas and it has submitted its report ; and

(d) if so, the salient features thereof and whether the State Governments have accepted the report ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) 180 watch posts are functioning on the border.

(b) The police personnel posted in these watch posts are on the same pay scales as are applicable to State Police officers of Assam, as in statement attached [**Placed in the Library See No. LT-6572/66**]

(c) No Enquiry Commission as such was set up.

(d) The question does not arise.

रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि

396. **श्री द्वारका दास मंत्री : श्री यशपाल सिंह :**
श्री मधु लिमये : श्री अ० व० राघवन :
श्री किशन पटनायक : डा० महादेव प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश में विज्ञान संबंधी पुस्तकों तथा अन्य आयात की गई पुस्तकों और सामान के मूल्य बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विषय सरकार के विचाराधीन है। मूल्यों में स्थिरता रखने के उपायों में से एक के रूप में यह निर्णय किया गया है कि पुस्तकों के लिए आयात-लाइसेंस इस शर्त पर दिये जाएंगे कि आयातक रुपयों में दी गई संशोधित सरकारी विनिमय दर से नियमित खुदरा मूल्य से ज्यादा नहीं ले सकता।

अन्दमान में घुसपैठ

397. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पास के देशों से अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में घुसपैठिये आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन द्वीपों का इन घुसपैठियों से बचाव करने की आवश्यकता समझती है ; और

(ग) क्या इन द्वीपों के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिये सरकार का वहां पर एक सुदृढ़ नौसेना रखने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार इन द्वीपों की युद्धोपयोगी स्थिति को पहचानती है और उनकी सुरक्षा के लिये उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं।

केरल में सरकारी कालेजों के प्रोफेसर

398. **श्री अ० व० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल में विभिन्न सरकारी कालेजों के बहुत से विभागों में 1965–66 में या तो कोई प्रोफेसर नहीं थे अथवा बहुत कम थे ;

(ख) उस राज्य के सरकारी कालेजों के नाम, प्रत्येक कालेज में पढ़ाये जाने वाले विषय, प्रोफेसरों की स्वीकृत संख्या तथा वर्ष 1965–66 में जितने दिनों के लिये ये पद खाली रहे उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण क्या सभा पटल पर रख दिया जायेगा; और

(ग) कालेजों में पर्याप्त संख्या में प्रोफेसर रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । किन्तु, कुछ कालेजों में कुछ विषयों में स्टाफ की कमी थी

(ख) विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी–6513/66]**, जिसमें राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्टाफ सम्बन्धी किए गए पुनरीक्षण से पहले की स्थिति दिखाई गई है, पुनरीक्षण के फलस्वरूप सभी विभागों में फालतू पदों में कमी की गई है ।

(ग) शिक्षा वर्ष के प्रारंभ में केरल लोक-सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह सभी खाली पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की सिफारिश करे; प्रिंसिपलों को अधिकार दिए गए हैं कि वे खाली स्थानों को अस्थाई तौर पर भर लें तथा उपयुक्त योग्य स्कूल अध्यापकों को सरकारी कालेजों में हस्तांतरित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

Radio Licences

399. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints regarding the difficulties experienced by the people in obtaining their radio licences and getting them renewed ; and

(b) if so, the nature of complaints and the action taken in this regard ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes, three complaints have been received. Letters to the Editor in two dailies and a weekly and editorial comments in a monthly were also brought to my attention.

(b) The complaints arose from the rush for licence renewal in the last working days of January, lack of timely supply of licence books and the special stamps at certain post offices or the failure of the post office staff.

The facility of renewal is available two months before the expiry of the licence and is exended for another month beyond it. The remedy for the loanq ieues for renewal therefore lies with the licence holders themselves; the Department can only appeal to the licensees through the press, All India Radio and departmental publicity for early renewal. The publicity measures will be intensified.

Non-availability of licence fee stamps of certain denominations at local treasuries and shortage of licence books at certain post offices were rectified quickly. Such shortages were partly due to the stamps and the books having been introduced for the first time and are less likely to recur in future.

Remedial action has been taken in all cases where issue and renewal of licences were delayed on account of wrong interpretation of rules by postal staff or other failure on their part.

दूर मुद्रण (टेलीप्रिन्टर) सेवा

400. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल, मनीपुर में जो दूर मुद्रण (टैलीप्रिंटर) लगाया गया था, उसे शिलांग के पोस्ट मास्टर जनरल के आदेश से हटा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इम्फाल में दूर मुद्रण की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि गोहाटी और इम्फाल के बीच मौजूदा भू-लाइन प्रणाली टेलीप्रिंटर के कार्य-संचालन के उपयुक्त नहीं थी अत: टर्मिनल टैलीप्रिंटर मशीनों को अस्थायी तौर पर हटा लिया गया है और उनका प्रयोग दूसरे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।

(ग) भू-लाइन के पुनंस्थापन की दिशा में कारंवाई की जा चुकी है और 1967–68 के दौरान इस कार्य के समाप्त हो जाने की सम्भावना है और इसके बाद ही उपयुक्त प्रणाली स्थापित की जाएगी जो टेलीप्रिंटर कार्यसंचालन के अनुकूल है। इम्फाल और गोहाटी के मध्य रेडियो टैलीप्रिंटर चालू करने और जोरहट-कोहिमा-इम्फाल मार्ग पर सूक्ष्मतरंग सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्नों पर भी विचार किया जा रहा है ।

नेफा प्रशासन

401. श्री रिशांग किशिंग : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा प्रशासन के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा निवृत्ति की तिथि बीत चुकी है परन्तु उन के सेवा काल को पुनः बढ़ा दिया गया है ;

(ख) सरकार ने किस कारण ऐसा किया है ; और

(ग) यह प्रथा कब तक चलती रहेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) सेवा-निवृत्ति की आयु-प्राप्त केवल एक अधिकारी का सेवाकाल 31–12–66 तक एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया है ।

(ख) उनके बाद के छोटी आयु के अधिकारियों में इस पद के साथ संलग्न विशेष जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति, उपलब्ध नहीं था ।

(ग) अब इस प्रथा को जारी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता । केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में जनहित की दृष्टि से सेवाकाल बढ़ाया जाता है ।

श्रीनगर में टेलीफोन

402. श्री बसुमतारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर में वर्तमान 2,000 टेलीफोनों की संख्या अप्रैल-मई, 1967 तक बढ़ाकर 4,500 की जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1966 के अन्त तक श्रीनगर स्थित 2,000 लाइनों के मौजूदा टेलीफोन केन्द्र का विस्तार करके 3,300 लाइनों का केन्द्र बना दिया जाएगा । इसी केन्द्र का और आगे 4,500 लाइनों में विस्तार करने का कार्य 1968 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) उक्त कार्यों पर लगभग 30.18 लाख रुपए का खर्चा आएगा ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक

403. डा० मा० श्री अणे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक कब तक पुरस्थापित कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम और सांविधियों में संशोधन करने के लम्बी अवधि के विधायी प्रस्तावों को, लोक सभा में पहले ही प्रस्तुत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 के पास होते ही, संसद् में पेश किये जाने की सम्भावना है ।

पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैनों का हरिदासपुर सीमा के इस पार आक्रमण

404. **श्री बसवन्त :** **श्री बड़े :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री बसुमतारी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री गुलशन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1000 पाकिस्तानियों ने, जिनके साथ पूर्वी पाकिस्तान राइफल के 20 सैनिक थे, 12 जून, 1966 को नाडिया जिले के छपरा पुलिस स्टशन के अन्तर्गत हरिदासपुर सीमा के इस पार भारतीय नार्गारकों पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति घायल हुए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) बहुत से पाकिस्तानियों ने जिन के साथ पूर्वी पाकिस्तान राइफल के लगभग 20 सैनिक भी थे भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से घुस कर भारतीय नागरिकों पर ईंटें बरसाईं। पांच भारतीय नागरिक घायल हुए।

(ख) नदिया के जिला मजिस्ट्रेट ने कुश्तिया, पूर्वी पाकिस्तान के डिपुटी कमिश्नर को विरोध-पत्र दे दिया है ।

बस्तर कांड

405. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक संसद् सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन गत मई में राष्ट्रपति को दिया गया था जिस में पिछले मार्च में बस्तर में हुई दु:खद घटनाओं तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग के सम्बन्ध में कुछ विशेष मांगें रखी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). कुछ संसद् सदस्यों तथा विधान सभा-सदस्यों के साथ संसद् सदस्य श्री अटल बिहारी बाजपेयी 2-4-66 को राष्ट्रपति से मिले और उन्हें मध्य प्रदेश विधान सभा के 75 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका दी। इस याचिका में की गई मांगों पर कोई कार्यवाही जरूरी नहीं समझी गई, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पहले ही एक जांच आयोग नियुक्त किया जा चुका था।

दिल्ली में एक पुलिस मैन का अपहरण

406. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री दिल्ली में रोहतक रोड चैक पोस्ट से दिल्ली पुलिस के एक हैडकांस्टेबल

के अपहरण के संबंध में 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3980 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस बारे में जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जांच पूरी कर ली गई है और तीन व्यक्तियों पर शीघ्र मुकदमा चलाया जायगा ।

केन्द्रीय आर्थिक पुंज (सेंट्रल इकानामिक पूल)

407. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 30 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विविध प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्तियां करने के हेतु एक केन्द्रीय आर्थिक पुंज बनाने के बारे में विभिन्न पहलुओं पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विविध प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्तियां करने के लिए एक केन्द्रीय आर्थिक पुंज बनाने के बारे में विभिन्न पहलू अभी विचाराधीन हैं ।

केन्द्रीय सेवा में आइ० ए० एस० पदालि में उड़ीसा का प्रतिनियुक्ति कोटा

408. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा राज्य से केन्द्रीय सेवा में भारतीय प्रासशनिक सेवा पदालि के प्रतिनियुक्ति कोटा में कितने रिक्त स्थान हैं; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं और इस कोटा को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य से केन्द्रीय भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि के प्रतिनियुक्त कोटा में 33 स्थान हैं, जब कि पदालि की कुल स्वीकृत संख्या 170 है। इस समय इस कोटें में 31 अधिकारी नियुक्त हैं। राज्य में पदालि की वास्तविक संख्या केवल 141 ही है। जिस पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कोटा 28 बनता है।

अगरतला में आम हड़ताल

409. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला में 17 जून, 1966 को पूर्ण आम हड़ताल हुई थी ;

(ख) हड़ताल के कारण कौन-कौन से सरकारी कार्यालय बन्द रहे ?

(ग) लोगों की मांगें क्या थीं ; और

(घ) लोगों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयसुखलाल हाथी : (क) जी हां । आम हड़ताल थी।

(ख) कोई सरकारी कार्यालय बंद नहीं हुए।

(ग) (i) उचित मूल्य की और अधिक दुकानों का खुलना ।

(ii) राशन की वर्तमान दर दो किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिसप्ताह को बढ़ाकर मजदूर वर्ग के लिये प्रति व्यक्ति प्रतिसप्ताह 4 किलोग्राम और अन्य लोगों के लिये 3 किलोग्राम करना ;

(iii) सारे त्रिपुरा में परीक्षणात्मक सहायता कार्य शुरू करना तथा निःशुल्क सहायता आदि बांटना ;

(घ) त्रिपुरा सरकार ने पहले ही परीक्षणात्मक सहायता कार्य शुरू कर दिये हैं और प्रभावित क्षेत्रों में निःशुल्क सहायता बांटना शुरू कर दिया है । उचित मूल्य की दुकानें भी बड़ी संख्या में खोली गई हैं। अतः इस बारे में की गई मांगें बहुत हद तक पूरी कर दी गई हैं। राशन की मात्रा में बढ़ौतरी करने की मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है ।

सैंट्रल कजोरा कोयला खान

410. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दत्ता की सैंट्रल कजोरा कोयला खान के श्रमिकों से प्राप्त हुए सामूहिक अभ्यावेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) शिकायतों की जांच की जा चुकी है। जहां कहीं आवश्यक है, वहां मैनेजमेंट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों की नागरिकता

411. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में शरणार्थी विस्थापित व्यक्तियों की नागरिकता नहीं मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नागरिकता प्राप्ति हेतु कितने आवेदन अभी अनिर्णीत पड़ी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। 30 जून, 1966 तक प्राप्त 1,37,753 आवेदन पत्रों में से 1,22,137 स्वीकृत कर लिये गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 30 जून, 1966 को 2,280 इनमें से 1131 आवेदन पत्र अधूरे हैं और शेष 1149 कार्यवाही की विभिन्न स्थितियों में हैं ।

अगरतला डाकघर के लिये इमारत

412. **श्री वीरेन दत्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला डाकघर के लिये विभागीय इमारत तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है ;

(ख) इनका निर्माण-कार्य कब आरंभ होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) एक विभागीय इमारत पहले से ही मौजूद है और उसके विस्तार के लिये उपयक्त भूमि भी उपलब्ध है। कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए 18.'× 60' के आकार का भूमि प्लाट अधिग्रहीत कर लिया गया है और उसका कब्जा मिल चुका है ।

(ख) क्रिया पद्वति सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आशा है कि इसका निर्माण कार्य 1967-68 के दौरान शुरू किया जा सकेगा ।

(ग) प्रधान डाकघर की इमारत के विस्तार के प्रारम्भिक प्राक्कलनों की जांच की जा रही है। जहां तक क्वार्टरों के निर्माण का प्रश्न है देरी का कारण यह है कि क्वार्टरों के निर्माण पर अभी तक प्रतिबन्ध लगा हुआ था ।

त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारी

413. **श्री बीरेन्द्र दत्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के सभी विभागों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पांच वर्ष से लगातार सेवा करने के बाद अभी तक अस्थायी हैं; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अर्द्ध-स्थायी बना दिये गये हैं तथा कितने कर्मचारियों को स्थायी करना शेष है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 6,571 ।

(ख) त्रिपुरा सरकार के 1,997 कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी किया गया है। अभी 1,565 को स्थायी करना शेष है ।

Conference of U. P. Vice-Chancellors

414. **Shri Sarjoo Pandey**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have receied the proposals made in the conference of the Vice-Chancellors of the Uttar Pradesh Universities held at Nainital ;

(b) if so, the main suggestions thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

Minister of Eeducation (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Conference has asked for Central assistance in respect of the schemes for (i) renovating Ancient Indian Sciences and Technology; and (ii) collaboration and pooling of resources of manuscripts for correct editing of old tests in the contest of the proposals made by the Varanaseya, Sanskrit Vishwavidyalaya.

(c) The suggestions are under consideration.

प्रति-व्यक्ति शुल्क

415. **श्री काजरोलकर :**

श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में कुछ गैर-सरकारी तकनीकी संस्थाएं प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों से प्रति-व्यक्ति शुल्क वसूल कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । जहां तक हमें जानकारी है 7 प्राइवेट इंजीनियरी कालेज, जो सभी मैसूर राज्य में स्थित हैं, ऐसे हैं जो दाखिला चाहने वाले विद्यार्थियों से प्रति-व्यक्ति-फीस लेते हैं ।

(ख) इन कालेजों के काम की हालत, दाखिले और शिक्षा के स्तरों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 1964 में नियुक्त संयुक्त समिति ने सिफारिश की कि इन कालेजों को भारत सरकार की "खुली (ओपन डोर)" नीति के कार्यक्षेत्र में लाने के प्रश्न पर विचार किया जाए बशर्ते कि वे प्रति-व्यक्ति शुल्क के संग्रह को बन्द करने के लिए तैयार हों, और सहायक कालेजों की शेष विकास संबंधी लागत के खर्च का अपना भाग देने के लिए तैयार हों ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मैसूर के शिक्षा मंत्री 28-4-1966 को इन कालेजों के प्रबंधकों और प्रिंसिपलों से मिले थे और बैठक में हुई चर्चा के आधार पर राज्य सरकार प्रति-व्यक्ति-फीस के संग्रह को बन्द करने तथा स्तरों में सुधार करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। राज्य सरकार के अन्तिम प्रस्तावों की प्रतीक्षा है ।

विदेशों में शिक्षा

416. श्री काजरोलकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पये के अवमूल्यन के कारण विदेशों में शिक्षा पर अधिक खर्च आने की सम्भावना है ;

(ख) विदेशों में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं और उनके अध्ययन पर कितना अधिक व्यय होगा; और

(ग) क्या शिक्षा पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये विदेशों में अध्ययन कर रहे छात्रों को ऋण देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) । : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशों में लगभग 14,500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं । निम्नलिखित कारणों से अतिरिक्त खर्च बताना सम्भव नहीं है;

(i) प्रत्येक विद्यार्थी के अध्ययन की ठीक-ठीक अवधि मालूम नहीं है; और

(ii) प्रत्येक विद्यार्थी को धन नहीं भेजा जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ को विदेशी छात्रवृत्तियां मिलती हैं अथवा अध्ययन के साथ साथ वे धन अर्जित भी करते हैं ।

(ग) जी हां । सरकार पहले से ही एक योजना चला रही है, जिसके अन्तर्गत विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों को ऋण दिए जाते हैं ।

प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

417. डा० चन्द्रभान सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी एक विभाग से दूसरे विभाग में, अथवा राज्यों में या निगमों में प्रतिनियक्ति पर हैं;

(ख) उनमें ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिन्हें वस्तुतः दिल्ली में नियुक्त किया गया है और जो सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पैर हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को प्रतिनियक्ति भत्ता के रूप में पृथक-पृथक कितनी धन राशि दी जाती है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

विशेष डाक-टिकट

418. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में किन-किन समाज सुधारकों की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने का बिचार है;

(ख) क्या बारहवीं शताब्दी के महात्मा बसवेश्वर के सम्बन्ध में, जो अस्पृश्यता दूर करने वाले पहले व्यक्ति थे, कर्नाटक से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह टिकट कब जारी किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1966 में गोपाल कृष्ण गोखले का स्मारक डाक-टिकट ।

1967-68 से सम्बन्धित प्रस्तावों पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है ।

(ख) तथा (ग) इस टिकट को जारी करने से सम्बन्धित प्रस्ताव 1965 में प्राप्त हुआ था, किन्तु सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक की सीमित क्षमता के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

भोपाल में टेलीफोन एक्सचेंज

419. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नया भोपाल के लिये स्वचालित टेलीफोन की व्यवस्था के लिये निर्माण कार्य बहुत धीरे धीरे चल रहा है;

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस इमारत के डिजाइन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और आशा है कि 1968 के मध्य तक यह इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। उपस्कर की स्थापना के पश्चात् आशा है कि 1969-70 में यह टेलीफोन केन्द्र काम करना आरम्भ कर देगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'अपना व्यवसाय चुनो' अभियान

420. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जून में रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय, दिल्ली ने "अपना व्यवसाय चुनो" अभियान आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उसमें क्या सफलता मिली है; और

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे अभियान चलाये जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) रोजगार, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के निदेशक ने 6 जून, 1966 से 15 जून, 1966 तक दिल्ली में "अपना व्यवसाय चुनिए" आन्दोलन चलाया था । आन्दो-

लन रोजगार कार्यालय, नयी दिल्ली, रोजगार कार्यालय, पूसा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अरब की सराय, रोजगार कार्यालय, दरियागंज, रोजगार कार्यालय सब्जी मंडी, दिल्ली विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और सहायता केन्द्र और गांधी स्मारक मल्टी परपज हायर सेकण्डरी स्कूल, शाहदरा दिल्ली के 7 केन्द्रों में आयोजित हुआ था। प्रदर्शनी का समय प्रातः 9–30 से 12–30 तक और सायं 5–00 से 7–00 बजे तक था। इन केन्द्रों में विद्यार्थियों के लिए भारत में और विशेषकर दिल्ली में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों और पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई।

(ग) लगभग 5,000 लोगों ने इन केन्द्रों में उपलब्ध व्यावसायिक सलाह की सुविधा का लाभ उठाया।

(घ) इस तरह का कार्यक्रम प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अन्य राज्यों को भी यह कार्यक्रम चलाने की सलाह दी गई है। अब कार्यक्रम का आयोजन उन राज्यों की इच्छा पर निर्भर है।

पाकिस्तानी बम

421. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमा गश्ती दल को 22 जून, 1966 को नदिया जिला (पश्चिम बंगाल) में छपरा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत उटिया ग्राम में एक खम्भे से कुछ अति विस्फोटक पाकिस्तानी बम प्राप्त हुये थे और यदि हां, तो कितने ;

(ख) वे वहां कितने समय से पड़े थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) छपरा थाने में उटिया नाम का कोई गांव नहीं है। हां 22-2-66 को 14–30 बजे इस क्षेत्र के एक व्यक्ति का छपरा थाने के गांव सुटिया में एक सीमा-स्तम्भ के पास एक राशन का थैला मिला जिसमें 8 देशी बम थे। उस व्यक्ति ने थाने के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने इन बमों को कब्जे में ले लिया।

(ख) ख्याल किया जाता है कि पिछली रात को अपराधी उन्हें वहां छोड़ गए थे।

(ग) इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

सेवा-निवृत्ति की आयु

422. श्री प्र० च० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ताकि फालतू कर्मचारियों सम्बन्धी समस्या को हल किया जा सके; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेन्ट्रल सर्किल नागपुर का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना

423. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के डाक तार कर्मचारियों तथा लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि नागपुर स्थित सेन्ट्रल सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर ले जाये जाने पर अन्य स्थानों से डाक तथा तार विभाग के कुछ कार्यालय नागपुर लाये जायेंगे ताकि वहां की इमारतों का उपयोग हो सके और जिन कर्मचारियों को नागपुर छोड़ कर जाना पड़ेगा उन्हें कठिनाई न हो; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध म कितनी प्रगति हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। जबलपुर स्थित अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर के कार्यालय तथा कलकत्ता स्थित डाक जीवन बीमा के उप-निदेशक के कार्यालय को नागपुर में स्थानान्तरित करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ था किन्तु प्रशासनिक कारणों से इस सुझाव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर भी नागपुर में एक नया दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे डाक सेवा पटना की इमारत

424. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा पटना की इमारत का निर्माण-कार्य 1966-67 की निर्माण योजना में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां तो निर्माण-कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)। (क) जी नहीं।

(ख) रक़म की व्यवस्था करने में कठिनाई होने के कारण 1966-67 के दौरान रेल विभाग यह कार्य अपने निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर सका।

ओंकार नाथ ठाकुर का इलाज

425. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री ओंकार नाथ ठाकुर के इलाज के लिये, जो इस समय आंशिक पक्षाघात से पीड़ित हैं, कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) वित्तीय सहायता के लिए अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और इसीलिए श्री ओंकार नाथ ठाकुर को कोई सहायता नहीं दी जा सकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये विश्वविद्यालय

426. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री काजरोलकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसाम के पहाड़ी जिलों के लिए एक पृथक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये सहमत हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जिसमें असम के पहाड़ी जिले भी शामिल हैं एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

पाकिस्तानी घुसपैठिये

427. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, पश्चिम बंगाल तथा अन्य पूर्वी क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में ताजा स्थिति क्या है; और

(ख) पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के दौरान आज तक कितने घुसपैठिओं को खदेड़ बाहर किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) आसाम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों के बारे में ताजा स्थिति इस प्रकार है:—

राज्य	घुसपैठ करने वालों की अनुमानतः संख्या	पाकिस्तान को लौटने वालों की संख्या का अनुमान
आसाम . .	2,50,000	1,68,438
पश्चिम बंगाल	1,16,000 (अस्थायी)	15,932
त्रिपुरा	50,000	49,000

(ख) निकाले गए घुसपठियों की संख्या इस प्रकार है:—

राज्य	1965 में निकाले जाने वालों की संख्या	1966 में निकाले जाने वालों की संख्या	
आसाम . .	26,998	5,075	(मई तक)
पश्चिम बंगाल .	825	20	(अप्रैल तक)
त्रिपुरा	454	—	

गुन्टूर में तेल निक्षेपों का सर्वेक्षण

428. **श्री म० ना० स्वामी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल निक्षेपों का पता लगाने के लिये गुन्टूर जिले में हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम रहा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षणों से तेल और गैस के संचयों के लिए अनुकूल संरचनाओं की विद्यमानता का पता नहीं चला है।

वालकाट द्वारा भाग निकलने का प्रयास

429. **श्री काजरोलकर :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी नागरिक डेनियल वालकाट तथा उस के फ्रांसीसी साथी जीन क्लाड डोन्स ने हाल में मद्रास में जेल से भाग निकलने का प्रयत्न किया था;

(ख) क्या उनके इस प्रयास में किसी बाहर के व्यक्ति ने उन की सहायता की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे कोई संकेत नहीं मिले कि उन्हें बाहर से कोई मदद दी गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Barauni Refinery

430. **Dr. Mahadeva Prasad :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Petrolium and Chemicals** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the production of kerosene oil was stopped in the Barauni Oil Refinery in June last for want of empty tins ; and

(b) if so, the reasons for the non-availability of empty tins ?

Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan): (a) No.

(b) Does not arise.

कपड़ा मजूरी बोर्ड

431. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दशरथ देव :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मजूरी बोर्ड ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह अपना पंचाट कब तक देगा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) इस समय निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि मजूरी बोर्ड का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा। लेकिन बोर्ड कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रहा है।

विश्वविद्यालयों के लिये समान शिक्षा वर्ष

433. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के लिये समान शिक्षा वर्ष निर्धारित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिए सत्रों का एकरूप कैलेण्डर रखने का प्रस्ताव किया है।

(ख) केवल 9 विश्वविद्यालयों ने अपने उत्तर भेजे हैं और उनकी प्रतिक्रिया आमतौर पर आयोग के सुझाव के अनुकूल है।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्

434. **श्री बासप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा किये गये मुख्य निर्णय उनके मंत्रालय को भेज दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे निर्णय क्या हैं तथा क्या मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) 7 और 8 जुलाई, 1966 को हुई अपनी बैठक में अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्नांकित हैं :—

1. जमैका में राष्ट्रमंडलीय खेलों में भाग लेने के लिए 32 एथलिट्स / खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के एक दल को भेजने के लिए भारतीय आलिम्पिक संघ को वित्तीय सहायता का अनुदान ;
2. प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए राज्य खेल परिषदों / राष्ट्रीय संघों आदि को वित्तीय सहायता का अनुदान ;
3. विश्व अमच्यूर गोल्फ प्रतियोगिता में भारतीय दल द्वारा भाग लेने के लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति ;
4. भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भारतीय हाकी संघ को अनुमति प्रदान करना ;

5. भारतीय हाकी टीम के विदेश भ्रमण के लिए अनुमति प्रदान करना ;

6. अखिल भारतीय गूंगे बहरे खेल संघ की मान्यता समाप्ता करना ; और

7. खेल के नए मैदानों तथा विद्यमान मैदानों में सुधार की व्यवस्था के लिए सुविधाएं प्रदान करना ।

शिक्षा मंत्रालय ने उपर्युक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

विशेष सूचना सेवा

435. श्री बासप्पा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट मास्टर जनरल ने हाल में बंगलौर में टेलीफोन प्रणाली में "विशेष सूचना सेवा" का उद्घाटन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो लोगों को इससे क्या लाभ होगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1 जुलाई, 1966 को बंगलौर में विशेष सूचना सेवा (कोड 176) का उद्घाटन किया गया।

(ख) 176 पर डायल करके उपभोक्ता निम्न विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :—

(I) गाड़ियों, बसों और हवाई सेवाओं के निर्धारित समय ।

(II) बंगलौर के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही पिक्चरों के समय और दरें ।

(III) यात्रियों की रुचि के स्थान, महत्वपूर्ण स्थल, गलियां आदि ।

(IV) मौसम सम्बन्धी रिपोर्ट ।

(V) शहर में हो रही खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिणाम ।

(VI) डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधाएं तथा उनकी दरें ।

और ऐसे बहुत से विषयों की जानकारी जिसमें स्थानीय जनता की रुचि हो ।

बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास आदि अन्य शहरों में भी यही सुविधा उपलब्ध है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण

436. श्री बासप्पा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जितने प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं उस प्रतिशतता को न बनाये रखने तथा उसके अनुसार नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या कोई राज्य सरकार तथा विशेषकर मैसूर सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में अधिक संख्या में नियुक्त करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नास्कर) : (क) भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में नियुक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण का प्रतिशत भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 335 की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया गया है। संविधान में इन जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी का मुख्य कारण यह है कि उनके लिये आरक्षित सभी पदों के लिये उपयुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवार नहीं मिलते। खास तौर पर उन पदों के लिये जिनमें तकनीकी अथवा विशेष योग्यताओं की जरूरत होती है।

(ख) राज्य सेवाओं में आरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 12 के साथ पढ़े जाते हुए अनुच्छेद 335 के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

डाक-टिकटों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

437. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मालूम करने के लिये कोई उचित अनुमान लगाया गया है कि विश्व भर के टिकट संग्रह करने वालों को डाक टिकट बेचने से भारत को प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1964–65 तथा 1965–66 में ऐसी आय के आंकड़े क्या हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारत के मुद्रणालय में छपे हुए डाक-टिकट अमरीका के अधिकृत एजेंट के माध्यम से तथा विदेशी ग्राहकों से सीधे ही प्राप्त आर्डरों की स्थिति में बम्बई के डाक-टिकट संकलन ब्यूरो द्वारा बिक्री किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के बहुत से डाक टिकट विक्रेता भारतीय मुद्रणालय में छपे डाक-टिकट निर्यात करते हैं। भारत के ऐसे डाक-टिकट विक्रेताओं द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का उपयुक्त निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) डाक-टिकट विक्रेताओं के माध्यम से विदेशों में बेचे गए टिकटों की बिक्री से सम्बन्धित आंकड़े निर्धारित नहीं किये गए हैं लेकिन अधिकृत एजेंट तथा बम्बई के डाक-टिकट संकलन ब्यूरो द्वारा टिकटों की बिक्री से अर्जित विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1964–65	28629 रुपये
1965–66	35386 रुपये

मद्रास के कालिजों में दाखिला

438. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषकर मद्रास नगर में आर्ट्स कालेजों में दाखिला लेने के लिये बहुत से विद्यार्थी इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी सलाह अथवा हिदायतें देने का है कि आर्ट्स कालेजों में पारी पद्धति प्रचलित की जाये ताकि विद्यार्थी दाखिला लेकर अपने माता-पिता की और अपनी चिन्ता मिटा सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें संतुष्ट करने का कौनसा वकल्पिक तरीका है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) राज्यों में कालेजों में दाखिलों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है और आर्ट्स कालजों, विशेष रूप से मद्रास शहर में, दाखिले के लिए भारी भीड़ के संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). कालेजों में दाखिले के लिए नियमित विद्यार्थियों के दबाव के प्रश्न पर, अक्तूबर, 1965 में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था और बोर्ड ने सिफारिश की कि उपयक्त शिक्षा सुविधाओं वाले कालेजों में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए एक अथवा द्वितीय पारी में, जैसा सम्भव हो, कार्य के लगभग 10 घन्टे होने चाहिएं ताकि दाखिले की बढ़ती हुई मांग की समस्या को हल करने के साथ-साथ सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके । बोर्ड की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों के पास भेज दी गई हैं ।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

439. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी के तेल शोधक कारखाने के कुछ एककों में संयंत्र लगाने का काम (लेआउट) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगसन) : (क) जी हां ।

(ख) उपकरणों और सामग्री के आने में कुछ देरी हुई है और ठेकेदारों के कार्य में कुछ कठिनाइयां हुई हैं ।

(ग) क्या कार्यवाही करनी है, इसके बारे में भारतीय तेल निगम विचार कर रहा है ।

New Universities in Fourth Plan

440. **Shri Kishen Pattnayak:**
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to set up new Universities during the Fourth Five-Year Plan;

(b) whether it is proposed to set up two new Universities in Orissa ;

(c) whether it is proposed to set up University Centres at some other places also; and

(d) whether it has been decided to set up a University and one such University Centre in Sambalpur, Orissa ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (d). There is no Central scheme as such to set up new universities during the Fourth Five Year Plan. Moreover establishment of universities and University Centres in the States is primarily the responsibility of the State Governments concerned. The Central Government have decided so far to set up only the Jawaharlal Nehru University in New Delhi during the Fourth Plan period.

As regards Orissa, the Government of Orissa has sought the advice of the Central Government and the University Grants Commission on its proposal to set up a University at Sambalpur. The proposal is under consideration of the University Grants Commission.

महिला शिक्षा

441. **श्री जेधे :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान करने के उद्देश्य से कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु उन्हें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तक टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्स) करने की बजाय, जैसे कि आजकल की जाती है, अब बी० ए० स्तर तक प्रतिपूर्ति करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को कौन सी अन्य रियायतें दी जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जहां तक शिक्षा मंत्रालय का संबन्ध है, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों में विशेष मशीनरी स्थापित की है। अधिकाधिक लड़कियों को स्कूलों में लाने के लिए प्रेरणा देने हेतु तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं सम्मिलित की गई थीं तथा ऐसी ही योजनाएं चौथी आयोजना में भी शामिल की गई हैं।

(ख) से (घ). कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लड़कियों की टयूशन फीस

443. **श्री जेधे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेजों में लड़कों और लड़कियों की टयूशन फीस समान है जब कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तक लड़कियों की टयूशन फीस कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु बी० ए० स्तर तक लड़कियों की टयूशन फीस कम करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उस मामले को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शरणार्थियों का शिविरों को छोड़ कर चले जाना

444. **श्री रा० बरुआ :**
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये 4,000 शरणार्थी हाल ही में बैतुल जिले (मध्य प्रदेश) में अपने शिविरों को छोड़ कर चले गये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 25 जून, 1966 को लगभग 4,000 व्यक्तियों के 800 परिवार बैतुल जिले के पातुआपुरा तथा तेमरू शिविरों को छोड़कर चले गये थे और निकट के बारबत पुर रेलवे स्टेशन पर बैठ गये थे । तथापि 3 जुलाई, 1966 को उन्हें वापिस शिविरों में लौटने के लिये समझाया गया था ।

(ख) उनकी शिकायतें निम्न थीं :—

(1) उनके पुनर्वास के लिये जो भूमि चुनी गई है वह धान की खेती के लिये उपयुक्त नहीं;

(2) सिचाई सुविधाओं का अभाव; और

(3) राज्य सरकार द्वारा चावल के कोटे में की गई कटौती । चावल के कोटे की कटौती आंशिक रूप में फिर से चालू कर दी गई है ।

ज्वालामुखी में खुदाई (ड्रिलिंग)

445. **श्री हेमराज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी क्षेत्र में किये जा रहे खुदाई कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस क्षेत्र में अब तक कितने कुएं खोदे गये हैं तथा प्रत्येक से क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). क्षेत्र में कुल पांच संरचनात्मक कुओं और एक गहरे कुएं का कार्य पूरा हो चुका है । इस समय, दो गहरे कुओं की, एक ज्वालामुखी और दूसरा वाल्ह में, खुदाई हो रही है । अब तक किये गये परीक्षण परिणामों से पता लगता है कि तेल और गैस सार्थक मात्रा में नहीं हैं ।

त्रि-भाषायी सूत्र

446. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री मुथिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रि-भाषायी सूत्र की क्रियान्विति के लिये शिक्षा आयोग ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(ग) क्या इस विषय में राज्य सरकारों की राय पूछी गई थी और यदि हां, तो उनका कैसा रुख था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

त्रि-भाषा सूत्र के संबंध में शिक्षा आयोग की सिफारिश

(क) त्रि-भाषा सूत्र के संबंध में शिक्षा आयोग की सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है :—

I—IV कक्षाएं : केवल एक भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। स्वाभाविक है कि यह मातृ-भाषा होगी ।

V—VII कक्षाएं : इस स्तर पर दो भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए । दूसरी भाषा या तो केन्द्र की राज भाषा (हिन्दी) अथवा केन्द्र की सह राज-भाषा (अंग्रेजी) जब तक इस प्रकार मान्यता प्राप्त है, हो सकती है ।

VIII—X कक्षाएं : इस स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए और इन तीन भाषाओं में से एक भाषा केन्द्र की राज-भाषा अथवा सह राज-भाषा, जो भी कक्षा V—VII में न ली हो, होगी ।

XI—XII कक्षाएं : इस स्तर पर केवल दो भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए।

उच्च शिक्षा : किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेजी जा रही है ।

अकोककर (नान-कोकिंग) कोयले का प्रयोग

447. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री 30 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था द्वारा निकाले गये तरीके के आधार पर अकोककर कोयले का कोककर कोयले के रूप में प्रयोग करने के बारे में जांच पूरी कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्रायोजना संबंधी जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निकोबार द्वीप-समुह के सचिवालय से नक्शों की चोरी

448. श्री अ० क० गोपालन :　　　**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री म० ना० स्वामी :　　　**श्री दशरथ देव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त के सचिवालय से कुछ गुप्त नक्शे चोरी हो गये थे ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) पोर्ट ब्लेयर निवासी स्वर्गीय श्री पाल लियांग के पुत्र श्री आस्टिन पाल नामक व्यक्ति के कब्जे से अंदमान तथा निकोबार प्रशासन से त्याग-पत्र दे देने के पश्चात दिसम्बर 1963 में कुछ गुप्त नक्शे तथा अभिलेख बरामद हुए जब कि वह मुख्य आयुक्त के सचिवालय में स्टेशनरी क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा था।

(ख) और (ग) श्री पाल पर दिसम्बर 1964 में पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अदालत में सरकारी स्टेशनरी की चीजें चुराने के आरोप में दंड संहिता की धारा 38 1 के अधीन मुकदमा चलाया गया। श्री पाल अदालत द्वारा बरी कर दिये गये। उसके बाद मई 1965 में भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अधीन श्री पाल पर मुकदमा चलाया गया। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भ्रष्टाचार

449. श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दशरथ देव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने 1965 में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पोर्ट ब्लेयर के अराजपत्रित अधिकारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें उस द्वीप में फैले हुए भीषण कदाचारों के उदाहरण दिये गये थे ; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अफगानिस्तान के लिये डाक के थैलों को स्वीकार करने से पाकिस्तान द्वारा इन्कार

450. श्री जसवन्त मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हुसैनीवाला नामक स्थान पर अफगानिस्तान के लिये डाक के थैलों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अफगानिस्तान सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया है ; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय कानून भंग किये जाने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पाकिस्तान के डाक अधिकारियों ने हुसैनीवाला पुल पर अफगानिस्तान के लिये डाक के थैले लेने से इस आधार पर इन्कार कर दिया क्योंकि वे थैले ठीक ढंग से बन्द नहीं थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले पर पाकिस्तान के डाक अधिकारियों से राजनयिक स्तर पर भी बातचीत की गई । अब पाकिस्तान के डाक कर्मचारियों द्वारा अफगानिस्तान भेजे जाने वाली डाक स्वीकार की जा रही है । हमारे कर्मचारियों को भी ऐसे अनुदेश भेज दिये गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि अफगानिस्तान भेजे जाने वाले थैले अच्छी तरह से बन्द किये जाएं ताकि छोटे से छोटे कारण पर भी किसी प्रकार की आपत्ति उठाने की गुंजाइश न रहे ।

दिल्ली के तार कर्मचारियों द्वारा तत्काल हड़ताल

451. **श्री रामसेवक यादव :** **श्री बागड़ी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जुलाई, 1966 को केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के कई सौ आपरेटरों द्वारा तत्काल हड़ताल कर दिये जाने पर नई दिल्ली तथा उत्तर भारत के अधिकांश नगरों में छः घण्टे तक तार सेवा ठप रही थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसी अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा न पड़े ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) निश्चित तौर पर इसके कारण जानने के लिए विभाग के एक उच्च अधिकारी द्वारा जांच की गई है । जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति

452. **श्री बृजबासी लाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने कर्मचारियों का पदोन्नति वरिष्ठता की बजाय योग्यता के आधार पर देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नई योजना को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) क्या इस नई योजना को चालू करने के बारे में कोई विरोध प्रकट किये गये हैं ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) वर्तमान पद्धति के अधीन चयन पदों पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती है । हां ऐसा करते समय वरिष्टता का भी समुचित ध्यान रखा जाता है । अन्य ऐसे पदों में, जो चयन पद नहीं होते, पदोन्नति वरिष्टता के आधार पर की जाती है । हां ऐसा करते समय अयोग्य व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है और कुछ मामलों में प्रतियोगिता परीक्षा तथा अथवा निम्न वर्ग के विभागीय उम्मीदवारों के सीमित साक्षात्कार द्वारा चयन से पदोन्नतियां की जाती हैं । कुछ वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के लिये योग्यता के

आधार पर पदोन्नति तथा अग्रिम वेतन वृद्धि की भी योजना है। सरकार पदोन्नति की वर्तमान पद्धति को बदलने का विचार नहीं रखती। किन्तु अधिकारियों की उच्चतर पदों के लिये उपयुक्तता की जांच करने के लिये उनकी कुशलता की बारीकी से जांच शुरू की गई है।

(ख) भाग (क) के इस उत्तर को देखते हुए कि कोई नयी योजना शुरू नहीं की गई, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्द्रावती बेसिन में कागज का कारखाना

453. श्री वाडीवा : **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री चांडक : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 9 मार्च, 1966 क अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कागज निगम को अब दण्डकारण्य में इन्द्रावती बेसिन में लुगदी तथा कागज का कारखाना खोलने के बारे में विस्तृत जांच करने का कार्य सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) प्रस्तावित कागज निगम अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जगदलपुर में कताई मिल

454. श्री वाडीवा : **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री चांडक : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य में पुनर्वास उद्योग निगम के तत्वावधान में जगदलपुर में कताई मिल खोलने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कताई मिल खोलने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). दण्डकारण्य में कताई की मिल स्थापित करने की योजना पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा अमल में लाई जायेगी। निगम द्वारा मिल के स्थान के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और यह निर्णय किया गया है कि आर्थिक दृष्टि से जगदलपुर के आमने सामने किसी दूसरे स्थान का निरीक्षण किया जाये। इस प्रयोजन के लिये एक उप समिति नियुक्त कर दी गई है और आगामी बैठक में निदेशकों के बोर्ड को इस की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना तथा स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के उपरान्त ही उत्पादन आरम्भ करने का लक्ष्य निश्चित किया जायेगा। मशीनरी के बारे में जो पूर्व आर्डर दिये गये थे उनका अनुसरण किया जा रहा है।

गृह-कार्य मंत्रालय में वैज्ञानिकों के पद

455. श्री काजरोलकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृह-कार्य मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभागों के अध्यक्षों ने कितने पद / केडर "वैज्ञानिक" घोषित करने की सिफारिश की है ;

(ख) कितने ऐसे मामलों पर सरकार ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है ; और

(ग) उनके बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :(क) से (ग). इस बारे में संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में प्रश्न

RE. CALLING ATTENTION NOTICES (QUESTIONS)

Shri Ram Sevak Yadav: I had given calling attention Notice.

Mr. Speaker : I have sent that to the Ministry of Home Affairs.

Shri Madhu Limaye : I have sent Notice regarding the revolt in East Pakistan.

श्री हेम बरुआ : मैंने पश्चिमी बंगाल, आसाम और केरल के बारे में नोटिस दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इन्हें देख लूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

देश की बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): मैं देश की बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 6482/66]**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं मु० क० चागला की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1964-65 के वार्षिक लेखे की एक-एक प्रति तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 6483/66]**

(2) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा वर्ष 1964-65 का लेखापरीक्षित लेखा विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या ए० टी० 6484/66]**

मजूरी बोर्ड के गठन पर सरकारी संकल्प

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं श्री जगजीवन राम जी की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिनांक 28 मई, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—14 (1)/64 की एक प्रति, जिसके द्वारा सड़क परिवहन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड गठित किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6485/66]**

(2) दिनांक 28 मई, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—15 (1)/64 की एक प्रति, जिसके द्वारा बिजली उपक्रमों के लिए मजूरी बोर्ड गठित किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6486/66]**

(3) दिनांक 4 जून, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—3 (4)/66 की एक प्रति जिसके द्वारा चाय बागान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड द्वारा की गई अन्तिम सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 6487/66]**

(4) 22 अप्रैल, 1966 को नई दिल्ली में हुए सीमेंट संबंधी औद्योगिक समिति के पांचवें सत्र के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 6488/66]**

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1444 की एक प्रति जो दिनांक 14 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की प्रथम अनुसूची में कतिपय उद्योग सम्मिलित किए गए। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 6489/66]**

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

*(1) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 622 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6330/66]**

(2) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तगत भारत प्रतिरक्षा (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 18 मई, 1966

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 771 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6490/66]**

(3) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेष सुविधाय) दूसरा संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 18 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 772 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 6491 66**

(4) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 943 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6492/66]**

(5) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० एस० आर० 829 जो दिनांक 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 194 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(ख) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 830 में प्रकाशित हुये थे।

(ग) जी० एस० आर० 891 जो दिनांक 11 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसमें दिनांक 9 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1475 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(घ) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 945 में प्रकाशित हुये थे।

(ङ) जी० एस० आर० 976 जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची में एक संशोधन किया गया।

(च) जी० एस० आर० 1035 जो दिनांक 2 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(छ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 9 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1075 में प्रकाशित हुये थे।

(ज) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 9 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1076 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6493/66]**

(6) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 479 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (परिषदों तथा नगर वृद्धों के भत्ते) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 25 मई, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/67/64—दिल्ली में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6494/66]**

(7) केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 6) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6495/66]**

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 2 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 9 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1081 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6496/66]**

केरल औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय तथा पर्व दिनों की छुट्टियां) अधिनियम/ नियमों में संशोधन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं श्री शाह नवाज खां की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग)

(चार) के साथ पठित केरल औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय तथा पर्वदिनों की छुट्टियां) अधिनियम, 1958 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 72/66 की एक प्रति, जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा केरल औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय तथा पर्वदिनों की छुट्टियां) नियम, 1959 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 6280/66]**

(2) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) तीसरी संशोधन योजना, 1966 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1583 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) तीसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1584 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी 6497/66]**

(3) (एक) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 515 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गयी दखिए संख्या एल० टी० 6498/66]**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 1963-64 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गयी दखिए संख्या एल० टी 6499/66]**

17 मई, 1966 को कटरस चोइटोडीह कोलियरी, धनबाद, में हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी ० 6500/66]**

भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त का सातवां प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वि० च० शुक्ल) : मैं 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि के लिए भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के सातवें प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

90वां प्रतिवेदन

श्री श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 90वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

महाराष्ट्र मैसूर सीमा प्रश्न पर जांच आयोग के बारे में याचिका

PETITION *RE.* INQUIRY COMMISSION ON MAHARASHTRA-MYSORE BOUNDARY QUESTION

श्री शिव मूर्ति स्वामी :(कोटयल) : मैं महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा के प्रश्न की जांच करने के लिए प्रस्तावित एक सदस्य आयोग के बारे में 63 याचिका दाताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

हाल की रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में

RE. RECENT RAILWAY ACCIDENTS

अध्यक्ष महोदय : जब तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर लिया जाता इस चर्चा को स्थगित रखा जाय। यह चर्चा दो घंटे तक होगी परन्तु प्रश्न पूछने की अनुमति मैं नहीं दूंगा।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 48 वें प्रतिवेदन से जो 26 जुलाई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया है सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन के, जो 26 जुलाई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

सूती वस्त्र (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) (निरसन) विधेयक 1966

COTTON FABRIC (ADDITIONAL EXCISE DUTY) (REPEAL) BILL

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि सूती वस्त्र (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम 1957 को निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सूती वस्त्र (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1957 को निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was addopted

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: PRESENT ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा 26 जुलाई, 1966 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे अर्थात् :—

"कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाय ।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

या तो कागज ही समय पर नहीं दिये गये अथवा कुछ अन्य कारणों से । सभा को बताया जाना चाहिये कि नियमों की उपेक्षा क्यों की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि किसी नियम की न तो उपेक्षा की गई है और न इसकी आवश्यकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो क्या मैं यह समझ लूं कि आपने अपने विवेक से सरकार को प्रस्ताव करने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों में इसकी व्यवस्था है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पहले तो आम तौर पर आपने ऐसा नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : कई बार ऐसा किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ऐसा किया गया है परन्तु उसके साथ व्याख्या भी दी गई है । आपने सदा इस बात की व्याख्या की कि ऐसा करना क्यों आवश्यक है । इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ऐसा करने के क्या कारण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ने मुझ से निवेदन किया था कि क्योंकि इस पर चर्चा अभी दो दिन और चलनी है और एक दिन के पश्चात् जो संशोधन दिये गये हैं उनको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये । इसलिये मैंने उसकी अनुमति दी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कल जिस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनमति दी गई थी वह उस संशोधन से मिलती जुलती थी जो कि एक सदस्य ने दी जोकि सभा में उपस्थित नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह वही नहीं है ।

श्री त्यागी : जब किसी नीति विशेष पर विचार करने के लिए पहले संशोधन नहीं दिया जा सकता जोकि इसका अनुमोदन करता हो। सभा को पहले नीति के बारे में बताया जाना चाहिये। इसके पश्चात् अनुमोदनार्थ कोई भी संशोधन दिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कल मैं ने सभा में सामान्य स्थिति उत्पन्न करने के लिये निवेदन किया था ताकि सभा का कार्य सामान्य ढंग से चल सके। कल अधिकांश सदस्यों ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया था और मांग की थी कि पहले अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार किया जाये। मैं भी निवेदन करता हूं कि आर्थिक स्थिति पर विचार स्थगित कर दिया जाये और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की जाये। इस पर किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : संसदीय लोकतंत्र का यह एक मान्यता प्राप्त सिद्धान्त है कि नीति सम्बन्धी ऐसे निर्णय जोकि इस समय लिये जाते हैं जब सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा होता तो उनको सभा के अधिवेशन के पहले दिन ही सभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रथा तथा सिद्धान्त के अनुसार ही सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा है न कि किसी अन्य कारण से।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I rise on a point of order. I would like to know whether the point raised by Shri Dwivedi had already been discussed with them?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इसे लिखा है या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार क्या निर्णय लेने वाली है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे प्रसन्नता है कि श्री द्विवेदी ने यह अपील की है परन्तु हमने यह निर्णय अपने आप लिया है। सरकार ने विरोधी दलों का सदा सम्मान किया है तथा उनका सहयोग लेने का प्रयत्न किया है। जब बहस पुनः शुरू हुई तो हमने इस मामले पर पुनः विचार किया। यदि अध्यक्ष महोदय तथा सभा चाहे तो हम वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर चर्चा तब तक के लिये स्थगित करने के लिए तैयार हैं जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त न हो जाये। परन्तु समूची सभा से अपील करूंगी कि वह लोकतन्त्र की प्रथाओं को बनाये रखने के लिये अध्यक्ष महोदय से सहयोग करें।

श्री सोलंकी : (कैरा) : सरकार ने अब अपनी गलती को महसूस किया है।

श्री रंगा : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार को बुद्धि आ गई है यद्यपि बड़ी देर से आई है। इस समस्त स्थिति के लिये सरकार स्वयं जिम्मेदार थी। यह भी सच है कि कुछ अन्य सदस्य भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। परन्तु सभा में शिष्टता बनाये रखने की अधिकतर जिम्मेदारी सरकार की है।

Shri Hukam Chand Kachhavaya (Devas) : This may be debated.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता हूं :—

"कि आर्थिक स्थिति के बारे में और आगे चर्चा स्थगित कर दी जाये।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने अन्त में बुद्धिमत्ता से काम लिया है। इस सभा में जो कुछ हुआ हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। हमने सरकार पर बार-बार यह चीज स्पष्ट करने का यत्न किया कि वह लोकतन्त्र की प्रथाओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व सरकार को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहिये था क्योंकि अवमूल्यन उस समय किया गया जब कि सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा था। यदि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले ही चर्चा की अनुमति दे दी जाती तो बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सकता था और आशा है कि सत्तारूढ़ दल के सहयोग से हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकेंगे।

Shrí Bade (Khargaon) : I would like to say that my party was also wanted to avoid the happening which had accured during the last two days. But we could not resist ourselves as seeing that Government is going against all tenents of democracy . Only Government can be held for all these happenings.

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : परसों मैं ने जो सुझाव दिया था उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है परन्तु सरकार ने इसको स्वीकार करने में बहुत विलम्ब कर दिया है और सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई। कल भी श्री चटर्जी ने इस सारे मामले पर विचार करने के लिये कहा था।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने विरोधी दल के सुझाव को उदारता से स्वीकार कर लिया है। मेरा निवेदन है कि जिन सदस्यों को निलम्बित किया गया है......

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है।

Dr. Ram Manohar Lohia : There are two women in India—one Delhi wali and other Lucknow wali—*Interruptions*)

Shri Raghunath Singh: The use of the words "Do Aurten Hain" is objectionable.

Dr. Ram Manohar Lohia : I simply want to say that it was expected of her that she would bring sanity and politeness in the country politics. But it appears that she has committed herself to the firing, lathi charge and all kind of voilence.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आर्थिक स्थिति के बारे में सरकारी प्रस्ताव पर आगे चर्चा को स्थगित करने वाले प्रस्ताव पर लागू होने वाले लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 338 को निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आर्थिक स्थिति के बारे में सरकारी प्रस्ताव पर आगे चर्चा को स्थगित करने वाले प्रस्ताव पर लागू होने वाले लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 338 को निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार के प्रस्ताव पर आगे चर्चा स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सदस्यों के निलम्बन के रद्द किए जाने के बारे में

RE. REVOCATION OF SUSPENSION OF MEMBERS

Shri Madhu Limaye (Monghyer): When the debate has been adjourned, then I request that those members who were suspended from the sitting may be called back.

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए। मैं सभा के सामने रख दूंगा।

सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (श्री खाडिलकर)

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER (SHRI KHADILKAR)

श्री खाडिलकर (खेड): कल श्री मसानी के बाद बोलते समय मैं ने श्री मसानी द्वारा दिये गये कुछ वक्तव्यों का उल्लेख किया था। उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कल यह कहा था कि उन्होंने अमरीका सरकार को परामर्श दिया है कि वह भारत को वित्तीय सहायता न दे परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था बल्कि यह कहा था कि हमें आशा है।

व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक

MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 के उपबन्ध, समुद्र पर जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1948 पर जिसका भारत ने 1954 में अनुसमर्थन किया था, आधारित है।

1948 के अभिसमय पर 1960 में लन्दन में समुद्र पर जीवन की सुरक्षा सम्बन्धी चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार किया गया था और प्राप्त अनुमानों के आधार पर पुराने अभिसमय के स्थान पर 1960 का नया अभिसमय रखने का निश्चय किया गया।

नये अभिसमय के उपबन्धों के कारण व्यापारिक नौवहन अधिनियम में अनेक संशोधन करना आवश्यक हो गया। इन्हीं संशोधनों को मूर्त रूप देने के लिए वर्तमान विधेयक को पुरः स्थापित किया गया है।

1960 के अभिसमय की कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

(1) 1960 के अभिसमय के अनुसार मालवाहक जहाजों के सर्वेक्षण का क्षेत्र इतना बढ़ा दिया गया है कि उसमें मालवाहक जहाज़ों के खोखु यंत्र और अन्य उपकरणों को भी सम्मिलित किया जा सके। इसके अतिरिक्त कुल 500 टन से अधिक भार वाले सभी मालवाहक जहाजों के लिए वर्तमान प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र भी रखना आवश्यक होगा। उस सम्बन्ध में उपयुक्त उपबन्ध अधिनियम में जोड़ने होंगें।

(2) 1960 के अभिसमय के अनुसार यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक जहाज़ पर पर्याप्त मात्रा में ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिन से शिप मास्टर शीघ्र और सुगम तरीकों से सेवा सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों में जहाज की स्थिरता के बारे में उचित निर्देश प्राप्त कर सकें।

(3) जान बचाने वाले साधनों के बारे में 1960 के अभिसमय द्वारा जो अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह उस प्रकार के तरापों के जिनमें हवा भरी जा सकती है और ऐसे अन्य तरापों के जो तैरने के लिए हवा पर निर्भर होते हैं, प्रयोग पर 1948 की उपसंधि द्वारा लगाये गये निर्बन्धन हटाने के बारे में हैं। हवा भरे जाने योग्य जीवन-तरापे (लाइफरैफट्स) तथा कठोर जीवन-तरापे अब स्वीकार्य हैं।

(4) 1960 के अभिसमय के अनुसार कुल 300 टन से अधिक और 500 टन से कम भार वाले जहाज़ों में भी रेडियो यंत्रों को लगाना आवश्यक है।

(5) 1960 के अभिसमय में जहाजों में अनाज ले जाने से सम्बन्धित कई नई शर्तें भी हैं।

(6) 1960 के अभिसमय में जहाजों में खतरनाक माल लादने, पैक करने, लेबल लगाने, वर्गीकरण तथा नौवहन सम्बन्धी कई नये विनिमय हैं।

(7) इसी अभिसमय में नाभिकीय जहाजों के बारे में एक विशेष अध्याय है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि नाभिकीय जहाज जीवन के लिये खतरा न बन जाये तथा खाद्य और जल संसाधन दूषित न हो जायें कई शर्तें दी गई हैं।

7 अप्रैल, 1960 को यह विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया था और राज्य सभा ने इसे पास कर दिया है। परन्तु दूसरे अत्यावश्यक कार्यों के कारण इस सभा को पिछले सत्र में इस विधेयक को पास करने का समय नहीं मिल सका था। अतः इसको लागू करने के लिये सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार इसको स्वीकार कर लेने की तिथि से तीन महीने के अन्दर अन्दर इसको देश में लागू करना होता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : इस समय हमारे पास विधेयक की प्रतियां नहीं हैं। प्रतिदिन हम अपने साथ वही कागज अथवा विधेयक लाते हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना होती है। आज हम इस विधेयक विशेष सम्बन्धी कागज अपने साथ नहीं लाये हैं इसलिये हम चर्चा में भाग नहीं ले सकते। मेरा विचार नहीं कि हमें इस अवसर से वंचित रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इसमें कुछ सहायता नहीं कर सकता अब प्रश्न यह है

"कि खंड 2 से 39 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 2 से 39 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 to 39 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा दो संशोधन की सूचना दी गई है। संशोधन संख्या 2 द्वारा दो नये खंड शामिल किये गये।

श्री ब० मु० पुनाचा : मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम, 76 की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें यह बताया गया है कि विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्य के अतिरिक्त कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव नहीं कर सकता कि विधेयक पर विचार किया जाये। उसमें यह उपबन्ध भी है कि यदि अध्यक्ष महोदय इस बात से संतुष्ट हों कि मूल प्रस्तावकर्त्ता किन्हीं कारणों के हेतु प्रस्ताव नहीं कर सकता तो अध्यक्ष महोदय किसी अन्य सदस्य को ऐसा करने के लिये कह सकते हैं। श्री पुनाचा को बताना चाहिये कि श्री संजीव रेड्डी आज उपस्थित क्यों नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उचित यही था कि माननीय मंत्री आरम्भ में ही एक वक्तव्य दे देते कि किन कारणों से श्री संजीव रेड्डी उपस्थित नहीं हो सके हैं। परन्तु 'मंत्री' शब्द में अन्य मंत्री भी आ जाते हैं इस लिये श्री पुनाचा ऐसा कर सकते हैं।

खंड 40 तथा 41 (नये)

Clauses 40 and 41 (New)

संशोधन किये गये

Amendment Made

2 पृष्ठ 23 .... पंक्ति आठ के पश्चात् यह जोड़ा जाये

(कुछ उल्लघंन आदि अपराध नही माने जायेंगे ।)

40. इस अधिनियम के भूतलक्षी संचालन के होते हुए भी इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप मे मुख्य अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का कोई उल्लघंन अथवा परिपालन में असफलता किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहरायेगी यदि ऐसा उल्लघंन अथवा असफलता . . . . .

(एक) इस अधिनियम द्वारा मुख्य अधिनियम में जोड़े गये किसी भी उपबन्ध से अथवा किसी भी वर्तमान उपबन्ध से सम्बन्धित जिसको इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया हो ; और

(दो) 28 मई, 1966 को अथवा उसके पश्चात् और 6 जून, 1966 से पूर्व हुआ हो ।

निरसन और अपवाद

41. (1) व्यापारिक नौवहन (संशोधन) अध्यादेश 1966 (1966 की संख्या 3) एतद निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी कथित अध्यादेश के अन्तर्गत कोई भी किया गया कार्य अथवा की गई कार्यवाही को इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कार्य अथवा की गई कार्यवाही समझा जायेगा ।

(श्री च० मु० पुन्नाचा)

"Certain cintraventions etc. not to be offences

40. Notwithstanding the retrospective operation of this Act, no contravention of or no failure to comply with, any of the provisions of the principal Act as amended by this Act, shall render any person guilty of any offence of such contravention or failure . . .

(*i*) relates either to any provision inserted in the principal Act by this Act, or to any existing provision therof as amended by this Act, and

(*ii*) Occurred on or after the 28th day of May, 1966 and before the 6th day of June, 1966.

Repeal and saving

41(1) The Merchant Shipping (Amendment) ordinance 1966, (No. 3 of 1966) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any objection taken under the said Ordinance shall be deemed to have done under or taken under this Act".

(Shri C. M. Poonacha)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि खंड 40 और 41 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खंड 40 और 41 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSES 40 AND 41 WERE ADDED TO THE BILL

खंड 1....(संक्षिप्त नाम और भूमिका)

CLAUSE 1 (SHORT TITLE AND COMMENCEMENT)

संशोधन किया गया :

AMENDMENT MADE

पृष्ठ 1,

पंक्ति 5 और 6 के स्थान पर यह रखा जाये :---

"(2) इसको 28 मई, 1966 से लागू हुआ समझा जायेगा ।"

["(2) It shall be deemed to have come into force on the 28th day of May, 1966]'

(श्री चे० मु० पुनाचा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

खंड 1 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause, as amended, was adopted to the Bill.

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The enacting Formula aud the title of the Bill were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बिजली (सम्भरण) संशोधन विधेयक

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL

सिचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि बिजली (सम्भरण अधिनियम, 1948, में आगे संशोधन के लिये विचार किया जाय ।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*

1948 में बिजली (सम्भरण) अधिनियिम देश में बिजली के विकास के लिये पास किया गया था। तब से अब तक देश में बिजली का काफी विकास हुआ है। इन वर्षों में प्राप्त अनुभव को देखते हुए हमारे लिये यह बहुत आवश्यक है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाय ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिक अच्छी तरह से काम किया जा सके।

इस अधिनियम से दो उद्देश्य सिद्ध होते हैं। एक तो राज्यों के बिजली बोर्डों की सेवाओं में दक्षता लाना है और दूसरे प्राइवेट लाइसेंसों के बारे में है। कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया है जिन में से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित हैं :—

जहां तक राज्य बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है, सब से महत्वपूर्ण संशोधन दरों को एक जैसा करने के बारे में है। यों तो हमारा उद्देश्य सारे देश में बिजली की एक ही दर रखना है परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि कोई अखिल भारतीय ग्रिड हमारे पास नहीं है। इसलिए हम यह प्रयत्न कर रहे थे कि प्रत्येक राज्य में एक ही प्रकार के बोझ के लिए एक जैसी दरें हों। ऐसा करने के लिए कई राज्य सरकारों को मंत्रणा दी गई और ऐसा कई राज्यों द्वारा किया भी गया परन्तु इसका विरोध इस बात पर किया गया है कि एक बड़े शहर और गांव के लिए दर समान नहीं होना चाहिये। ऐसा

अधिनियम के दोषपूर्ण होने के कारण हुआ है। इसलिए एक संशोधन यह सुझाया गया है कि जहां तक सम्भव और वांछनीय हो सरकार तथा राज्य बिजली बोर्ड निश्चित रूप से एक जैसी दरें लागू करें।

फिर हमने इस अवसर पर कुछ और वांछनीय परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। यह व्यवस्था की जा रही है कि जैसे ही किसी संसद् सदस्य की सदस्यता समाप्त हो, उसे बिजली बोर्ड में ले लिया जा सकता है। इस समय यह शर्त है कि सदस्य की सदस्यता समाप्त होने के बाद 12 महीने का समय बीत चुका हो।

कुछ धनराशि सुरक्षित रखने के लिए और बिजली के विकास पर खर्च करने के लिए स्थायी परिसम्पति के 8 प्रतिशत की जो सीमा थी उसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है ताकि अधिक धनराशि एकत्रित रखी जा सके और इससे विकास कारी प्रायोजनाएं पूरी की जा सकें।

मशीनरी में मूल्यह्लास एक पेचीदा ढंग से हुआ है। अब हमने मूल्यह्लास के ढंग को सरल कर दिया है, पहले की अवधि में मूल्यह्लास अधिक होगा और बाद में कम।

परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी उपभोक्ता ने राज्य बिजली बोर्ड को कुछ राशि देनी थी और वह तीन वर्ष तक नहीं दी गई तो उसके पश्चात् वह राशि वसूल नहीं की जा सकती थी। कुछ हालतों में तो यह समय तब तक बीत चुका होता था जब तक कि बिजली बोर्ड ने सरकार से, जोकि पहले बिजली की व्यवस्था करती थी, कार्यभार संभाल लिया होता था। इसलिए हम यह संशोधन लागू कर रहे हैं कि वह तीन वर्ष की अवधि आज से आरम्भ हो जिस से कि वह अपनी बकाया रकम वसूल कर सकें।

उन परियोजनाओं के लिए जिन पर लागत 25 लाख रुपये तक आयेगी, अब से आगे प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होगी और उन प्रायोजनाओं के लिए जिन पर लागत 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक आती है, उस समय प्रकाशन करने की आवश्यकता होगी जब कि उन पर मंजूरी मिल गई हो। केवल 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं का प्रकाशन दो बार करने की आवश्यकता होगी।

जहां तक लाइससों का सम्बन्ध है, देश में 214 लाइसेंसदार हैं। उन्होंने 120 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है और उनके पास 150 लाख के० डबल्यू० की स्थापित क्षमता है। इस समय ग़ैर-सरकारी लाइसेंसदार काफी बिजली का उत्पादन तथा सप्लाई कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि ज्यों ही हमारे पास धन हो, इन लाइसेंसदारों से धीरे धीरे इनके लाइसेंस ले लिये जायें ताकि बिजली एक सरकारी उपक्रम बन जाये परन्तु इस में कुछ समय लगेगा। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि यह ग़ैर-सरकारी बिजली उपक्रम कार्य-कुशलता से चलाये जायें तथा उपभोक्ता को ठीक प्रकार सेवा मिल सके और कोई अतिरिक्त लाभ न कमाया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ने कुछ संशोधन पेश किये हैं। सर्वप्रथम और सब से महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि जो दर वें वसूल करते हैं वह मानक दर पर निर्भर है और मानक दर से अधिक नहीं होगा। मूल अधिनियम में मानक दर की व्याख्या के अनुसार बैंक दर और 2 प्रतिशत को मिलाकर मानक दर माना गया है। बैंक दर में परिवर्तन हुआ है। हम यह निश्चित करना चाहते हैं कि बढ़ी हुई बैंक दर संपूर्ण रकम पर लागू नहीं होगी। 1965 से

पहले काफी बड़ी रकम खर्च हो चुकी है और अब हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि उस पर केवल 7 प्रतिशत की दर ली जाये और बढ़ी हुई बैंक दर उन रकमों पर लागू हो जिनका इसके बाद विनियोजन किया जायेगा। इसका मतलब यह है कि हम ग़ैर-सरकारी लाइसेंसदारों को पूर्ण धनराशि पर भूतलक्षी प्रभाव से 8 प्रतिशत की दर पर ब्याज वसूल करने देना नहीं चाहते।

गैरसरकारी लाइसेंसदारों को प्रतिवर्ष कुछ शुद्ध लाभ मिलता है। हम ने यह व्यवस्था की है कि यह लाभ 15 प्रतिशत के उचित लाभ से अधिक न बढ़े। अब हम उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर रहे हैं परन्तु अब यह सुनिश्चित करना है कि इस में से अधिकतम 5 प्रतिशत तक लाइसेंसदारों को मिले, एक-तिहाई उपभोक्ता को छूट के रूप में मिले तथा एक-तिहाई को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा करने से लाइसेंसदार को कोई लाभ नहीं होगा। उस से उपभोक्ता को लाभ होगा और सुरक्षित कोष बढ़ेगा।

जैसा कि राज्य बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में किया गया है, हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस से ग़ैर-सरकारी लाइसेंसदारों द्वारा 'कनेकशन' दिये जाने पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एक न्यूनतम राशि वसूल हो सके।

संक्षेप में महत्वपूर्ण संशोधनों का हवाला दिया गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा इस संशोधन विधेयक पर विचार करे। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बिजली (सम्भरण) अधिनियम, 1948 का आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाये। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि, नियम 340 के अधीन, प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित किया जाए"

श्री जगन्नाथ राव (नौरंगपुर) : इस विषय पर हम कल सब से पहले चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा यही चाहती है ?

कई माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, विधेयक पर कल सब से पहले चर्चा होगी।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के आर्थिक स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित कर दिया गया है। सुझाव है कि कल और परसों के लिए सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित कार्यवाही भी शामिल कर ली जाये। सब से पहला विषय होगा बिजली (सम्भरण) संशोधन विधेयक, 1965 पर विचार करना तथा पास करना।

(2) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 1965 पर विचार करना तथा पास करना।

(3) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में दिल्ली उच्च-न्यायालय विधेयक, 1965 पर विचार करना तथा पास करना।

(4) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1965 पर विचार करना तथा पास करना।

(5) अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 1965 पर विचार करना तथा पास करना।

(6) राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1964, पर विचार करना तथा पास करना।

(7) दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक, 1966 पर विचार करना तथा पास करना।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): Mr. Deputy Speaker, I submit that the Hindi University (Amendment) Bill which has been postponed several times, may now be taken up during next week as the work of University has come to standstill.

श्री सत्य नारायण सिंह : हम इसे इसी सत्र में ले रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री भूतलिंगम को ब्रूसेल्स में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का राजदूत नियुक्त करने के सरकार के निर्णय का समाचार

श्री भागवत झा आजाद : मैं वित्त-मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"लोक-लेखा समिति द्वारा अपने पचासवें प्रतिवेदन में श्री एस० भूतलिंगम के विरुद्ध प्रतिकूल बातें कहे-जाने के बावजूद उन्हें ब्रूसेल्स में ई० ई० सी० के राजदूत के रूप में नियुक्त करने के सरकार के निर्णय का समाचार"

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : जहां तक श्री भूतलिंगम की नियुक्ति का प्रश्न है, उनकी नियुक्ति लोक-लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन के प्राप्त होने से पहले की गई थी। उनकी तैनाती अभी नहीं की गई है। सरकार ने अपना उत्तर लोक-लेखा समिति को भेज दिया है। लोक-लेखा समिति ने अभी तक उस पर अपनी टिप्पणी नहीं की है और इसलिए जब तक वह प्रतिवेदन सभा-पटल पर नहीं रख दिया जाता तब तक तैनाती किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि इस अधिकारी के विरुद्ध लोक-लेखा समिति की गम्भीर खोज के अतिरिक्त विशेष पुलिस संस्थापन ने भी श्रीमती और श्री भूतलिंगम के आचरण की जांच-पड़ताल की है कि श्रीमती भूतलिंगम ने बजट की

घोषणा से पूर्व कुछ कम्पनियों के शेयर खरीदे थे जब भूथलिंगम वित्त सचिव थे और जब बजट प्रकाशित हो गया तो शेयरों के भाव चढ़ गये और श्रीमती भूथलिंगम ने उन्हें उच्चतर मूल्यों पर बेच दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेष पुलिस संस्थापन ने इस मामले की जांच की है या नहीं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : एक ऐसा ही सुझाव आधा घण्टा पहले दूसरे सदन में दिया गया था। इस से पहले इस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं अवश्य ही इस मामले की परीक्षा करूंगा।

Shri Sidheswar Prasad (Nalanda) : Whether it is a fact that S. P. E. had somewhat enquired into this matter but the enquiry was stopped afterwards due to certain reasons? If it is a fact, at what level and at whose initiative the proceedings were stopped? What is the present position and whether the Government would like to see that the entire matter is investigated? Whether Government would appoint a Commission or high level enquiring to investigate into the matter in view of the remarks against Shri S. Bhoothalingam by the P. A. C. in its 50th report? If so, when and whether the report of the enquiry would be placed on the Table of the House.

श्री शचीन्द्र चौधरी : जांच करने से पूर्व तथ्य जान लेना आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इस अधिकारी के विरुद्ध कुछ सुझाव दिये गये हैं। मैं उनकी परीक्षा करूंगा और तब निश्चय करूंगा कि क्या कार्यवाही की जाए। जहां तक लोक-लेखा समिति के सुझावों का सम्बन्ध है सरकार ने उस का निरीक्षण किया है और हम लोक-लेखा समिति की टिप्पणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri K. N. Tiwari : Has Shri S. Bhoothalingam sent any explanation to the Government after the report of the P. A.C? What is the reaction of the Government on that and if not satisfied whether Government had formed the opinion to bring the matter before some high Court Judge or High Power Commission calling upon Shri S. Bhoothalingam to give an explanation?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है मैंने सभा को पहले ही बता दिया है कि सरकार ने इस विषय पर भी एक वक्तव्य दिया है और इसे लोक-लेखा समिति के पास भेजा है। लोक-लेखा समिति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। इस से पहले कि श्री भूथलिंगम से सफ़ाई मांगने के लिये कोई निष्पक्ष जांच शुरू की जाये या इसकी किसी और अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाये लेखा समिति का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के सामने कोई अन्य कार्य सूची नहीं है इसलिए सभा स्थगित होगी और कल 11 बजे म० पू० फिर सभा लगेगी।

इसके पश्चात सभा वीरवार, 28 जुलाई, 1966/6 श्रावण, 1888 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 28, 1966/ Sravana 6, 1888 (Saka)

GMGIPND—L S III—1129 (ai) LS— 11-168—600.